खण्ड-240, अंक-2
गुरूवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(7 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०५–१०६
प्रश्नोत्तर	१०६–१४०
नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़कों या नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृति की शर्तों को नियत करने के सम्बन्ध में नियमावली (मेज पर रखी गई)	१४०–१४१
उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन सेवा (विकास) नियमावली १९५८ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१४१
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४१
नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४१
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४१–१४२
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१४२
आश्वासन समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	१४२–१४३
श्री नरसिंह नारायण पांडेय के सदन में किये गये कार्यों के विरुद्ध जिला सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकाशित परचे के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं सं० (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	१४३–१४९
बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के खुल जाने (आउट हो जाने) के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१४९–१५०
बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१५०–१५१
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २३—सहकारिता (स्वीकृत)	१५१–१९०
प्रदेश के विभिन्न जिलों से सुरक्षा कोष के धन में कथित गड़बड़ी की शिकायतों के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	१९०–१९७
नत्थियां	१९८–२०५

JUL

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ७ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रमान, श्री (उपनाम वक्कन)

जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेंदु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकन्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिसंपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह युसूफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :--नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा लघु उद्योग उप मंत्री, श्री शिव प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार ७ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्न

[६-३-६३ के लिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ११-१२ जो माननीय उपाध्यक्ष के आदेश से ७-३-६३ के लिये निर्धारित किये गये]

बलरामपुर अस्पताल के डाक्टरों के खिलाफ श्री चन्द्रशेखर की शिकायत

*११--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़), श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर), राजा अवधेशप्रताप (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या मुख्य मंत्री के पास माननीय चन्द्रशेखर एम० पी० ने स्थानीय बलरामपुर अस्पताल के डाक्टरों के दुर्व्यवहार से संबंधित कोई शिकायती पत्र भेजा है ? यदि हां, तो श्री चन्द्रशेखर जी ने जो शिकायतें की हैं उस पर मुख्य मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की उसकी जानकारी सदन को कराने की कृपा करेंगे ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--

जी हां। श्री चन्द्रशेखर जी की शिकायतों पर जांच करने पर मालूम हुआ कि उनमें कोई तथ्य नहीं था।

*१२--श्री उमाशंकर, श्री केशरी प्रसाद पांडेय, राजा अवधेश प्रताप तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री चन्द्रशेखर जी को अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय जो सर्टिफिकेट गत १३ फरवरी को दिया गया है, उसमें किस रोग का जिक्र है और उसकी जो प्रतिलिप पुनः १५ फरवरी को दी गयी है उसमें किस रोग का जिक्र है ?

श्री धर्मसिंह--

श्री चन्द्रशेखर जी को १३-२-१९६३ को दिये गये डिस्चार्ज सर्टीफिकेट में किसी भी रोग का जिक्र नहीं है। १५-२-१९६३ को श्री चन्द्रशेखर जी की प्रार्थना पर उनकी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देते समय अनजाने ही उन्हें दूसरा डिस्चार्ज सर्टीफिकेट दिया गया। यह पहले डिस्चार्ज सर्टीफिकेट की प्रतिलिपि नहीं है और उसमें डायग्नोसिस (diagnosis) के खाने में "Chronic Appendicitis" लिखा है।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्रीजी कृपा कर यह बतायेंगे कि चन्द्रशेखर जी ने जो शिकायत की उसकी जांच किसने की और जांच करने वाले अधिकारी ने और रोग की खोज करने वाले अधिकारी ने क्या रिपोर्ट्स दीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)--

जब श्री चन्द्रशेखर जी का एडमिशन हुआ तो उनको डाक्टर माथुर ने एक्जामिन करके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लिखी। इसके बाद डाक्टर राय ने उनको एक्जामिन किया और उसके बाद डाक्टर गुप्ता ने एक्जामिन किया। उनका ब्लड काउन्ट किया गया, एक्स-रे लिया गया।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पहले दिन चन्द्रशेखर जी की भरती के बाद जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया गया उसमें यह लिखा हुआ था कि कोई रोग नहीं है और जबानी भी यही कहा गया, लेकिन १५ तारीख को जब वे एक्स-रे की फोटो मांगने गये लेकिन वह उनको नहीं दी जा रही थी, उनके इसरार करने पर दी गयी। इसके बाद जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें रोग का नाम लिख दिया गया। अगर वह दूसरे दिन न गये होते तो क्या हालत होती ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जब माननीय चन्द्रशेखर जी वहां थे तो उनको डिसेंट्री थी। उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया गया। चार दिन से उनको कब्ज था, उसका इलाज किया गया। जो इस तरह का ट्रीटमेंट होता है उसका टैक्निकल नाम एमेबिक ट्रीटमेंट है। उनको कोई एन्टीबायोटिक नहीं दिया गया। उनको टेम्प्रेचर भी नहीं था इसके अलावा एपेन्डीसाइटिस के और सिमटम भी नहीं थे। उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया था उससे उनको फायदा भी हुआ था। १३ तारीख को जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो उनको कोई शिकायत नहीं थी। उनकी हालत नार्मल थी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि डाइग्नोसिस के लिये जो एक्सपेरीमेन्ट्स किये गये उनसे यह सिद्ध नहीं होता था कि उनको एपेन्डीसाइटिस थी। लेकिन एक्स-रे रिपोर्ट में एपेन्डी-साइटिस निकला क्योंकि रिपोर्ट में लिखा है--

"Visualization of appendix by cambies method. Segment of appendix is visualized which is irregular in calibre , ... suggestive of chronic appendicitis,"

मान्यवर में अर्ज करना चाहता हूं-----

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल कीजिये।

श्री रामायणराय--

तेरह तारीख को जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया गया उसमें लिखा था कि एपेन्डीसाइटिस नहीं है लेकिन १५ तारीख को जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें लिखा था कि एपेन्डीसाइटिस है। इस पर रोगी को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने दिल्ली जाकर डाक्टर के०एम० कश्यप को दिखाया। २१-१-६३ को वे भी लिखते हैं कि इनको एपेन्डीसाइटिस है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर में जो यह कहा गया है कि १५ तारीख को अनजाने ही उनको एक ऐसा कागज दे दिया गया जिसमें रोग के खाने में एपेन्डीसाइटिस लिखा हुआ है तो अनजाने से क्या तात्पर्य है ? यह कागज उन्हीं का है या किसी और का है, इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

जब १३ तारीख को उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो उनको हमारे हिसाब से एपेंडिसाइटिस नहीं थी । उन्होंने अपना ओरिजिनल रेकार्ड्स मांगा और कहा कि टेम्परेचर चार्ट, एक्सरे रिपोर्ट आदि तमाम चीजें जितनी हैं सभी उनको दी जायं । जूनियर डाक्टर जैन ने कहा कि उन्हें ओरिजिनल कागजात नहीं दिये जा सकते । वैसे उनको रिपोर्ट दे दी गयी । उस वक्त तक की रिपोर्ट से कोलाइटिस ही मालूम हुआ था जैसा कि हमारे डाक्टरों ने कहा । अगर कश्यप साहब ने एपेंडिसाइटिस की बात कही तो दूसरी बात है । उन्हें एक डिस्चार्ज स्लिप दे दी गयी लेकिन डिस्चार्ज स्लिप की कोई नकल नहीं रखी जती । १५ तारीख को वे फिर तशरीफ लाये और उन्होंने कहा कि हमारी सब रिपोर्ट दे दी जाय । तो उसकी कापी करा कर उन्हें दे दी गयी । चूंकि कापी के नीचे यह लिखा हुआ है---सजेस्टिव आफ क्रानिक एपेंडिसाइटिस और आपको यह भी बतला दूं कि जब वे दाखिल हुये थे तो डाक्टर फरीदी का एक पर्चा लेकर आये थे जिस पर लिखा हुआ था कि इनको एक्यूट एपेंडिसाइटिस है, जब कि उन्हें एपेंडिसाइटिस थी नहीं । तो फिर उन्होंने डाक्टर जैन का ध्यान उस तरफ दिलाया कि इस स्लिप में सजेस्टिव एपेंडिसाइटिस लिखा हुआ है । तब वे फिर डाक्टर गुप्ता के पास पहुंचे लेकिन वे उस रिपोर्ट से एग्री नहीं किये और उन्होने उनके सामने ही नोट आफ इंप्रोगेशन लगा दिया और उन्होंने कोलाइटिस की दवा दी । और उनसे कहा कि ६ हफ्ते तक इस दवा का इस्तेमाल करें उसके बाद फिर देखा जायगा । अगर साफ सिमटम्स एपेंडिसाइटिस के होते तो सजेस्टिव एपेंडिसाइटिस न लिखा गया होता । ब्लड काउन्ट, ब्लड प्रेशर आदि जितनी बातें एपेंडिसाइटिस के डाइगनोसिस के लिये की जाती हैं उन सारे कागजात को देख कर अगर डाक्टर कश्यप एपेंडिसाइटिस डिक्लेयर करें तब दूसरी बात हो सकती है और गलती कही जा सकती है । वरना उनके साथ किसी बदनीयती से कोई बात नहीं की गयी और न कोई नेगलिजेंस ही बरती गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रशेखर जी का एक्सरे कब हुआ और एक्सरे रिपोर्ट और १५ तारीख को जो डिस्चार्ज सार्टिफिकेट दिया गया है और उन दोनों में कोई मेल है या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

६ तारीख को उनका एडमिशन हुआ था और ८ तारीख को उनका एक्सरे किया गया । सजेस्टिव एपेंडिसाइटिस के मतलब हरगिज ये नहीं है कि एपेंडिसाइटिस है । दूसरी चीज यह है कि अगर वहां कोई लम्प हो तो उसकी पिक्चर भी ऐसी आ सकती है और वह एपेंडिसाइटिस से कंफ्यूज की जा सकती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत श्री चन्द्रशेखर जी की तरफ से की गयी उसमें मुख्य-मुख्य क्या बात थी और आपने यह कैसे कह दिया कि वह शिकायत निराधार है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

सारी शिकायत तो यही थी कि डाइग्नोस ठीक प्रकार से नहीं किया गया । तो डाइग्नोसिस तो ठीक किया गया था । अगर इसी पर से उनका पेट काट कर देखा जाता तो और भी शिकायत होती, इसलिये इससे साफ मालूम होता है कि इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गयी । उनका ट्रीटमेंट हुआ और वे अच्छे हो गये, तो इसमें शिकायत की क्या बात हो सकती है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक्जामिनेशन रिपोर्ट क्या थी जिससे डाक्टर गुप्ता ने एग्री नहीं किया ? जो उत्तर दिया गया है उससे प्रमाणित होता है कि १५ तारीख से पहले डाक्टर गुप्ता ने उस रिपोर्ट को देखने की कृपा नहीं की, तो क्या यह उनकी लापरवाही का नमूना नहीं है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

दूसरे तमाम सिम्टम्स को देखने के बाद वे अब भी यही कहते हैं कि इसको यकीनन एपेंडिसाइटिस नहीं कहा जा सकता ।

श्री रामायणराय---

मंत्री जी बार-बार सजेस्टिव एपेंडिसाइटिस फरमा रहे हैं, मैं अर्ज करूंगा कि सजेस्टिव एपेंडीसाइटिस नहीं हुआ करती, रिपोर्ट में सजेस्टिव आफ क्रानिक एपेंडिसाइटिस लिखा है । इसके अलावा श्री कश्यप जो दिल्ली के डाक्टर हैं उनकी २०-२-६३ की रिपोर्ट है और मंत्री जी स्वयं मानते हैं कि एपेंडिसाइटिस का दौरा जिस समय होता है ठीक डायग्नोसिस केवल उसी समय हो सकता है । डाक्टर फरीदी ने उनको एक्जामिन किया और पर्चे में लिखकर दिया कि वह एपेंडिसाइटिस से सफर कर रहें हैं इन को तत्काल बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया जाय । डाक्टर राय और जिस डाक्टर ने उन को एक्जामिन किया उन्होंने भी लिखा कि यह एपेंडीसाइटिस के मरीज हैं, लेकिन उसके बाद एपेंडिसाइटिस खत्म हो जाती है और जब वह खत्म हो जाती है तो दुनिया का कोई भी डाक्टर उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकता । तो जिस समय दौरा था उस समय के डाक्टरों ने जो डाइग्नेसिस किया उसको न मानने का क्या कारण है ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव---

जिस समय एक्जामिन किया गया तो डाक्टर फरीदी ने भी कहा कि एपेंडिसाइटिस है लेकिन रिपोर्ट है में यह कि---

"On examination his pulse rate was 64 per minute, temperature normal, bowels constipated, appetite normal, P. P. 120/90 and general condition fair.

Abdomen-Movements equal in all quadrants, no lump, no guarding and rigidity, no hyperaesthesia, no tenderness specially at Mc Burneys point (all these findings have been recorded in the history sheet). Only vague tenderness in the right Iliac region was found.

A total and differential Leucocyte count was done the same day. Total W. B. C. was 10100/ cmm with 55%; 43% Lymphos and 25% Eosinophils."

अब यह जितनी बातें हैं कि पल्स बढ़ना चाहिये, टेम्परेचर हो जाना चाहिये और ५५ की जगह परसेंटेज ८० प्रतिशत हो जाना चाहिये, ऐसी कोई बात नहीं है । अब सजेस्टिव आफ क्रानिक एपेंडिसाइटिस में यह है कि तस्वीर जो खींची गई.....

"This appearance is also compatible with mild inflamation of the coecum which may also involve the appendix as part of generalised amoebic lesion of the coecum."

यह चीज महज उस तस्वीर पर है जब कि सिम्टम्स सारे ही खिलाफ हैं और वह तस्वीर भी दूसरी से डिफर कर सकती है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि एपेंडिसाइटिस है । अब भी मुझे खुशी होगी कि यह सारा केस किसी एक्सपर्ट को भेज दिया जाय और मालूम हो जाय कि यह केस एपेंडिसाइटिस का है तो आपरेशन हो सकता है लेकिन चूंकि यह एक मार्जिनल केस बोर्डर लाइन का है इसलिये तस्वीर की बिना पर पेट नहीं काटा जा सकता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

चीनी तथा कपड़ा मिल मालिकों से सुरक्षा कोष में प्राप्त धन

*१---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मन्त्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में तथा मुख्य मन्त्री कोष में राज्य के कपड़ा और चीनी मिलों के मालिकों ने जो धन दिया है उसका विवरण देने की कृपा करेंगे ?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

प्रदेश के कपड़ा और चीनी मिलों के मालिकों ने जो धन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष एवं मुख्य मन्त्री कोष में दिया है उसका विवरण अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार संलग्न तालिका† में उल्लिखित है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मन्त्री जी बतायेंगे पूरे प्रदेश के कपड़ा और चीनी मिल मालिकों की जो लिस्ट दी गई है और पूरे प्रदेश की जो आमदनी होती है उसका करीब ३३ फीसदी से ज्यादा आमदनी मिल मालिकों के पास है, लेकिन जो कोष में रकम दी है वह पूरी सुरक्षा कोष में जमा हुई रकम का ढाई प्रतिशत होता है, इस बात को देखते हुए ऐसे राष्ट्रीय संकट के समय प्रदेश के मिल मालिकों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है इसके लिये सरकार कोई कदम उठायेगी ताकि अपनी औकात के मुताबिक मिल मालिक सुरक्षा कोष में धन दें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जो हमारे पास प्राप्त सूचना है उसके अनुसार २० जिलों में जो मिलें हैं उन्हीं की सूचना हमारे पास आयी है। १४ जिले ऐसे हैं जिनमें कोई मिल नहीं है, बाकी जिले ऐसे हैं जहां से अभी तक सूचना नहीं आयी है। तो आप लिस्ट से देखेंगे कि बहुत से ऐसे खास जिले छूट गये हैं जहां से काफी रुपया आया है लेकिन उसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन चीनी और कपड़ा मिल मालिकों की लिस्ट सरकार के पास पहुंच गई है उसको देखते हुए कि चूंकि इनकी हैसियत काफी है और इन मिल मालिकों ने अपनी हैसियत के मुताबिक १ फीसदी भी, जो गरीब किसान ने दिया है, न दे कर अपने कर्तव्य का ऐसे समय में निर्वहन नहीं किया है। अतः सरकार इस को देखते हुए इन मिल मालिकों के खिलाफ क्या कदम उठाने जा रही है ? कोई टैक्स लगायेगी ताकि उनसे उतना वसूल किया जा सके जो उन्हें देना चाहिये था ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

उस सब का इन्तजाम मोरारजी भाई ने कर दिया है यदि माननीय सदस्य ने बजट को देखा होगा। कोई पूंजीपति अब उस टैक्स से बचा नहीं है जिसका दायरा इतना बढ़ गया है कि कहीं-कहीं किसी फैक्ट्री को, जैसा मुझे बताया गया है मैंने तो बहुत उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखा है, १०५ और ११० फीसदी टैक्स देना पड़ेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे जिस बात का उन्होंने संकेत किया है कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने व्यवस्था कर दी है इस बात की आलोचना पार्लियामेंट में भी की गयी है कि को मेजर्स सरकार ने उठाये हैं उनसे भी मिल मालिकों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। अतः ऐसे राष्ट्रीय संकट में जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है क्या प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी कि चीनी और कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह सरकार गणतन्त्रीय सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार नहीं है और न अधिनायकवादी सरकार है। यह सरकार कायदे और विधान के अन्दर काम करती है और उसके अन्तर्गत रहते हुए जो चीज उसने वालेंट्री बना रखी है उसे वालेंट्री ढंग से ही करने की ख्वाहिश रखती है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

मन्त्री जी बतायेंगे मिल मालिकों ने जो धन दिया है सुरक्षा कोष में इसमें अकेले कानपुर के कपड़ा मिल मालिकों ने कितना रुपया दिया है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जो कुछ मुझे इत्तिला है शायद कानपुर से ५४ लाख रुपया इकट्ठा हुआ है उसमें से शायद ३५ या ४० लाख रुपया मिलों का है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने अपने जवाब में कहा है उसमें से कितना पर्सनल कंट्रीब्यूशन है मिल मालिकों का और कितना मिल का कंट्रीब्यूशन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इसका ब्योरा मैं नहीं बता सकता क्योंकि वह तो जिलाधीशों के पास है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि जो धन तालिका में दिया गया है मिल मालिकों से वसूली के सम्बन्ध में उसको देखते हुए जो प्रदेश में समस्त वसूली हुई है और जिसके आंकड़े यहां आये हैं उनको देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि केवल १० फीसदी के करीब मिल मालिकों ने अभी तक, अगर टोटल अमाउन्ट जो अभी तक जमा हुआ है उसको देखा जाय, तो १० परसेंट से कम अभी तक मिल मालिकों ने सुरक्षा कोष में दिया है और ९० परसेंट किसानों ने दिया है तो क्या माननीय मन्त्री जी जैसा कि बार-बार सदन में कहा गया है कि किसानों से जोर जबरदस्ती से वसूल किया जा रहा है वैसे ही कोई टार्गेट फिक्स करके उनसे कटौती करने की कृपा करेंगे जिससे सुरक्षा कार्य में तेजी लाई जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस सरकार ने चन्दा इकट्ठा करने के लिये न आदेश दिये हैं, न वह इस प्रकार की कोई इच्छा रखती है। जो वातावरण देश में बना उस वातावरण ने सबको प्रेरित किया, किसान को, गरीब को अधिक प्रेरित किया यह बात सबकी नजर में आ चुकी है।

श्री रामायणराय--

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री जी ने इसके लिये इलाज किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह राज्य के वित्त मन्त्री जी को तथा अपने राज्य के उन उद्योग-पतियों का इलाज करने की सलाह देंगे क्योंकि बजट भाषण में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हमारे राज्य के उद्योगपतियों ने गरीब जनता के मुकाबले में इस मामले में सहयोग नहीं दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

हमें जितने अधिकार प्राप्त हैं विधान के अन्तर्गत वह अधिकार तो हम सबके प्रति और खास तौर से पैसे वालों के प्रति बरतेंगे ही ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

जैसा कि मुख्य मन्त्री ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा की वसूली में कोई गड़बड़ी नहीं की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कल ही, जिसे कि माननीय मुख्य मन्त्री ने अखबारों में पढ़ा होगा, अधिकारियों को लथाड़ा है कि जबरिया जो रुपया वसूल किया गया है उसे समुद्र में फेंक देना चाहिये तो मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि आपके प्रदेश में जो जबरिया वसूली हुई है उस रुपये को समुद्र में फेंकने के लिये आप कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैंने तो इस बात को अखबार में पढ़ा नहीं है कि प्रधान मन्त्री जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने किसी से जबरिया चन्दा इकट्ठा करने के लिये नहीं कहा और अधिकारियों को बराबर इस बात की ताकीद देती रही है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चन्दा इकट्ठा न करे। यदि किसी की शिकायत कभी आई भी तो उस सम्बन्ध में जिलाधीश का ध्यान खींच कर इस बात की बराबर चेष्टा की कि कोई ऐसी बात न की जाय जिससे यह कहा जाय कि चन्दा कोई जबरिया इकट्ठा किया जा रहा है।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

सुरक्षा कोष में मिलों का रुपया है। इसमें मजदूरों का रुपया है, शेयरहोल्डर्स का भी है और मालिकों के खुद का रुपया न के बराबर है तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी तानाशाही छोड़कर जो कुछ प्रजातन्त्र के तरीके होते हैं उनको इस्तेमाल करके उनसे कुछ रुपया वसूल करने की कोशिश करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

प्रजातन्त्र के जितने तरीके हो सकते हैं वे सलाह के हो सकते हैं, आवेदन के हो सकते हैं और दरख्वास्त के हो सकते हैं उन सारे तरीका का चन्दा इकट्ठा करने में इस्तेमाल किया गया है और किया जा रहा है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

एक सवाल मुझे भी करना है, बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह सवाल समाप्त किया जाता है। आप बैठें। आज इस पर आध घंटा डिस्कशन शाम को और है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]।

ग्राम देवरिया कलां का केन क्रशर

*१--श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि पीलीभीत जिलान्तर्गत ग्राम देवरिया कलां में कितने केन-क्रशर इस साल कितने दिन से काम कर रहे हैं ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

ग्राम देवरिया कलां जिला पीलीभीत में एक लाइसेंस्ड केन क्रशर इस साल १९६२-६३ नवम्बर माह से चल रहा है। एक दूसरा क्रशर बगैर लाइसेंस लिये लगभग १५ दिन चला था ।

*२--श्री उमाशंकर तिवारी--

क्या यह सच है कि देवरिया कलां ग्राम में दो वर्ष से बिना लाइसेंस प्राप्त किये ही कोई केन-क्रशर कार्य कर रहा है और इस वर्ष भी कोई नया केन-क्रशर बिना लाइसेंस लिये ही काम करने लगा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी नहीं।

इस वर्ष एक व्यक्ति ने बिना लाइसेंस क्रशर चलाया था परन्तु इस केन क्रशर को सील (Seal) कर लिया गया है।

*३--श्री उमाशंकर तिवारी--

क्या सरकार यह समझती है कि उक्त दोनों केन-क्रशर के कारण जो लाइसेंस प्राप्त केन-क्रशर उक्त क्षेत्र में हैं उनको भारी क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

चूंकि कोई केन-क्रशर बिना लाइसेंस प्राप्त किये नहीं चल रहा है अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि देवरिया में जो पिछले दो वर्ष तक केन-क्रशर चला है उसकी जांच किसने की है और क्या उसने उस जांच को छिपाया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जो हमारे पास सूचना है वह मैंने अर्ज कर दी है। अगर माननीय सदस्य इसके अतिरिक्त कोई और जांच कराना चाहते हैं तो मुझको लिख कर दे दें, मैं जरूर उसकी जांच कराऊंगा।

श्री उमाशंकर तिवारी---

मेरे पास इस बात का सबूत है कि केन-कशर जो बन्द किया गया है उसकी सील मुहर तोड़ कर के आज वह फिर चलाया जा रहा है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करा के वाजिब कार्यवाही करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

अब आप ने मुझे सूचना दी है। मैं इसको तुरन्त जांच कराऊंगा।

इमर्जेन्सी कमीशन के लिए थानेदारों की प्रार्थना

*४---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के थानेदारों ने हाल ही में इमर्जेंसी कमीशन के अन्तर्गत फौज में जाने के लिये जो प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजे हैं उनकी कुल संख्या क्या है ? क्या सरकार थानेदारों को इमर्जेंसी कमीशन के सिलेक्शन में बैठने की आज्ञा देने पर विचार करेगी ?

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)---

ईमर्जेन्सी कमीशन के अन्तर्गत फौज में जाने के लिये किसी थानेदार ने सरकार को प्रार्थना-पत्र नहीं दिया परन्तु ८३ थानेदारों ने ऐसे प्रार्थना पत्र जिला अधिकारियों को दिये थे।

थानेदारों को इमर्जेन्सी कमीशन के सेलेक्शन में बैठने की आज्ञा देने के प्रश्न पर भली-भांति विचार किये जाने के उपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें यह आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

*५---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल कितने थानेदार हैं उनमें से परमानेन्ट और टेम्पोरेरी कितने हैं और कुल कितनी परमानेन्ट जगहें हैं ?

श्री नवलकिशोर---

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इमर्जेंसी कमीशन के चुनाव में थानेदारों को बैठने के लिये इजाजत देने में सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं जबकि दूसरे प्रदेशों में इजाजत दी जा रही है ?

श्री नवलकिशोर---

इमर्जेंसी के संबंध में इन्टर्नल सिक्योरिटी के लिये भी हमें काफी आदमियों की आवश्यकता है और हमारे पास यहां भी आदमी कम हैं। इसलिये हम इनको रिलीवर नहीं कर सकते।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

जो ८३ देशभक्त थानेदार हैं और जो चीन से लड़ने के लिये इजाजत चाहते हैं इनकी तरक्की के लिये सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री नवलकिशोर---

ये जहां हैं वहां भी अगर ईमानदारी से काम करें तो देशभक्ति का एक दूसरा नमूना पेश कर सकते हैं ।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि थानेदारों को इर्जेन्सी कमीशन में बैठने की इजाजत नहीं दी जायगी। मैं सूचना के तौर पर उनको बताना चाहता हूं कि क्या कुछ थानेदारों को इजाजत दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

किसी थानेदार को इजाजत नहीं दी गयी है। ८३ थानेदारों ने पहले एप्लाई किया था अपने आफिसर्स के जरिये। उनको इजाजत नहीं दी गयी। एक थानेदार ने बिना ऊंचे अधिकारी से पूछे ही डायरेक्टली एक एप्लीकेशन दे दी थी और वह शायद वहां चुन भी लिये गये थे। उस विषय में मैं कुछ सहानुभूति भी रखता था कि उसे इजाजत दी जाय लेकिन फिर इस प्रश्न पर पूरे तौर पर विचार करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि थानेदारों को अगर ऐसे कठिन समय पर हम इजाजत देने लगेंगे तो जैसा उप-मंत्रीजी ने बताया हमारे सामने सुरक्षा का प्रश्न आ जायगा। हमें थानेदारों की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता है और उनकी इस वक्त इस दिशा में कार्य करने के लिये जरूरत है।

श्री विजयपालसिंह---

क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के एक सब-इंस्पेक्टर नागर को इर्जेन्सी कमीशन में बैठने की इजाजत दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैंने बताया कि किसी को इजाजत नहीं दी गयी है।

प्रदेशीय फैक्टरियों का स्थानान्तरण

*६---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश की कौन-कौन सी फैक्टरियां दूसरे प्रदेशों में चली जा रही हैं ? यदि हां, तो उनके प्रदेश छोड़ने के कौन से कारण हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित कोई भी फैक्टरी दूसरे प्रदेशों में नहीं जा रही है। इस ऐक्ट के अन्तर्गत वे कारखाने आते हैं जिनमें विद्युत्-शक्ति के साथ ५० मजदूर या बिना विद्युत्-शक्ति के १०० मजदूर या इससे अधिक काम करते हैं।

छोटे कारखानों के विषय में, जिनमें इससे कम मजदूर काम करते हैं, सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी एरिया में एक चश्मे का कारखाना खुलने वाला था जो वहां न खोला जाकर बंगाल में क्यों खोला गया है ? इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह उद्योग पब्लिक सैक्टर में खुलने वाला था और हमारी कोशिश थी कि यह उद्योग यहीं खुले, लेकिन केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञ जो विदेशों से आये थे, जिन स्थानों पर हम खुलवाना चाहते थे, उनमें इलाहाबाद भी सम्मिलित था, उसके संबंध में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को सिफारिश नहीं की। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिश मानकर दूसरे प्रदेश में इसको खोलने का निर्णय लिया।

श्री ब्रह्मदत्त भाखर (जिला सहारनपुर)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सहारनपुर शहर में सिगरेट फैक्टरी, कत्था फैक्टरी और इंजीनियरिंग वर्क्स पर जो ट्रेड्स यूनियनें हैं, उनके विरोध में उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजा था और लिखा था कि उनके साथ जो अनुचित व्यवहार हो रहा है, अगर यह

नहीं हटाया गया तो उनको दूसरे प्रांतों में अपने कारखाने ले जाने के लिये मजबूर होना पड़ेगा ? क्या इसकी तरफ मुख्य मंत्री जी का ध्यान गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

हां, कुछ फैक्टरियों ने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया है और प्रदेशीय सरकार, जो टैक्स लगाये हैं उन पर विचार कर रही है और अभी एक म्युनिसपैलिटी के सदस्यों का मंडल मिलने वाला है जो इस विषय में अपना दृष्टिकोण रखना चाहता है। स्वतः सरकार का दृष्टिकोण बहुत दिनों से बना है कि कोई म्युनिसपैलिटी ऐसा कार्य न करे जिससे उद्योग धंधे प्रदेश में प्रतियोगिता के जमाने में खड़े न रह सकें।

श्री रामायणराय---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि ८-१० साल पहले यहां पर ९० ड्रग्स के कारखाने थे जिनमें से अधिकांश बम्बई शिफ्ट कर गये ? इसका पता लगायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

छोटे-छोटे कारखाने रहे होंगे। मैं व्योरा नहीं बता सकता। लेकिन जो कारखाने उत्तम ढंग के थे और जिनके पास साधन तथा रा मैटीरियल उपलब्ध था वे नहीं गये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इलाहाबाद में चश्मे के कारखाने के खुलने के संबंध में विशेषज्ञों ने राय नहीं दी और बंगाल में खोल दिया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्लान रखा जाता है उसके संबंध में ग्रांट दूसरे सूबों को मिल जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो केन्द्रीय सरकार ने फैसला दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी बतला दें !

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

ऐसी बात नहीं है। कहीं हमारी बात मानी जाती है और कहीं और प्रदेशों की बात मानी जाती है। हर प्रदेश केन्द्र से कहना चाहता है कि पब्लिक सेक्टर में उसके यहां उद्योग-धंधा लगे। इस योजना के अन्तर्गत चार उद्योग धंधे हमारे प्रदेश में लग ही रहे हैं केन्द्र की सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर में।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि नगरपालिका सहारनपुर के सदस्य मुझ से मिलने वाले हैं। मुख्य मंत्री जी से दो महीने हुये वहां के अध्यक्ष और कुछ सदस्य भी मिले थे और उन्हीं दिनों वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट्स का एक डेपुटेशन भी मिला था। उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सहारनपुर की सिगरेट फैक्टरी को लिखा था कि अध्यक्ष से मिल कर आपस में बातचीत कर लीजिये। तो आखिर में सरकार का निर्णय न लेने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सिगरेट वाले तो मुझसे मिले नहीं। मुझसे स्टार पेपर वाले मिले थे। जहां तक मुझे याद है सिगरेट वालों की तो मुझ से बातचीत हुई नहीं, अगर हुई होगी तो स्वायत्त शासन मंत्री जी से हुई होगी क्योंकि जो आपत्तियां उद्योग विभाग में फैक्टरी वालों की तरफ से आती हैं वह स्वायत्त शासन विभाग में भेजी जाती हैं। यदि कोई अधिक टैक्स लगाता है किसी उद्योग धंधे के ऊपर तो वह उद्योग विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग भेज दिया जाता है। यदि स्वायत्त शासन मंत्री से सिगरेट वालों से बातचीत हुई हो तो मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे याद नहीं है कि सिगरेट वाले मुझ से मिले। (व्यवधान) खैर, मैं उस बात को देखूंगा। अभी निर्णयात्मक ढंग से कोई उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री संतसिंह यूसुफ---

माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में एक एलायस्टील फैक्टरी पब्लिक सेक्टर में खुलने वाली थी, उसकी क्या पोजीशन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

वह भी एक ऐसा विषय है जिसके सिलसिले में प्रदेश की सरकार द्वारा बहुत कोशिश हो रही है परन्तु अभी कल या परसों डिफेंस मिनिस्टर का पत्र इस संबंध में आया और उनका वही जवाब है जैसा जवाब वहां से आ जाता है कि यह तो विशेषज्ञों से संबंध रखने वाला प्रश्न है । यदि विशेषज्ञ दूसरे स्थान के लिये सिफारिश करेंगे तो फिर वह वहां चली जायगी यदि हमारे यहां के लिये कहेंगे तो हमारे यहां लगेगी । मुझे ऐसा उत्तर नहीं मिला जिसको मैं प्रदेश के नुक्ते-नजर से बहुत संतोषजनक कहूं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या माननीय मुख्य मंत्री के पास नैनी इंडस्ट्री एरिया के उद्योग-धंधे वालों ने यह लिख कर भेजा है कि अगर सरकार जो सुविधाएं और प्रदेशों में दी जाती हैं, नहीं देगी तो यहां से हटा कर दूसरे प्रदेश में चले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

ऐसी बात नहीं है । अभी इंडस्ट्री लगाने वाले सब लोग आये थे जिन्हें लाइसेंस मिले हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं सामने रखीं । प्रदेश की सरकार का जो दृष्टिकोण है उन विषयों के संबंध में उसको संतोषजनक समझ कर यहां से वापस गये । यहां से यह निर्णय ले कर नहीं गये कि प्रदेश में कोई उद्योग धंधा नहीं लगायेंगे ।

अस्थायी चौकीदार

*७---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का प्रदेश में कोई ऐसा आदेश है जिसमें यह व्यवस्था है कि ग्रामों के चौकीदारों की मृत्यु के बाद उस गांव में चौकीदार आगे न रखा जायेगा ? यदि हां, तो यह किस आधार पर रखा गया है ?

श्री नवलकिशोर---

द्वितीय महायुद्ध के समय चौकीदारों की कुछ अस्थायी जगहें बनाई गई थीं । इन जगहों के खाली होने पर न भरने का तथा उन्हें समाप्त करने का शासन ने निश्चय किया है । अतः जब किसी अस्थायी पद पर कार्य करने वाले चौकीदार की मृत्यु हो जाती है या उस चौकीदार को किसी रिक्त स्थायी पद पर तैनात कर दिया जाता है तो उसकी अस्थायी जगह को नहीं भरा जाता और उस जगह को समाप्त कर दिया जाता है ।

*८---श्री विजयसिंह---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि राज्य की ओर से उक्त चौकीदारों के स्थान पर किस एजेंसी को रखा है जो ग्राम-ग्राम में उस कार्य को करे ?

श्री नवलकिशोर---

उन ग्रामों को, जिनके अस्थायी चौकीदार की जगह समाप्त कर दी जाती है, अन्य ग्रामों में कार्य करने वाले चौकीदारों के कार्यक्षेत्र में मिला दिया जाता है ।

श्री विजयसिंह---

मान्यवर, जालौन जिला मध्य प्रदेश के बार्डर पर है, वहां पर दस्यु अक्सर उस तरफ से आ जाते हैं और वहाँ के अधिकारियों को समुचित सूचना समय पर नहीं प्राप्त हो पाती है, इस बात को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो अस्थायी पद खाली हो गए हैं उनकी बराबर पूर्ति वह करते रहें ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, जहां तक यह प्रश्न है इस पर तो सरकार का एक निश्चय है कि इसको नहीं भरा जायगा। जहां तक जागीर की बात आती है तो वहां तो हमारे पास कोर्ट भी है, पं० ए० सी० वगैरह भी है और सरकार काफी जागरूक है।

श्री विजयसिंह---

क्या सरकार यह बतायेगी कि अस्थायी पदों के साथ-साथ स्थायी पदों को भी खत्म करने के लिए इमर्जेंसी टाइम में समाप्त करने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर---

जी नहीं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जो कार्य और जो कर्तव्य चौकीदार करते थे वह अब गांव सभाओं तथा गांव पंचायतों को दे दिया जाय, वह उस कार्य को किया करें, तथा वह उस अधिकार का इस्तेमाल करें ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, गांव सभाओं को जितना कार्य है वह अपनी जगह पर अभी बहुत काफी है। इसीलिये अभी इस पर विचार करने का सवाल नहीं उठता।

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अस्थायी चौकीदारों के संबंध में जो नीति उन्होंने निर्धारित की है उससे राज्य सरकार को क्या लाभ होगा ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, जो मैंने उत्तर पढ़ा था अगर शर्मा जी ने उसे ध्यान से सुना होता तो यह प्रश्न करने की उनको जरूरत न पड़ती। मैंने कहा था कि लड़ायी में कुछ जगहें बढ़ा दी गई थीं, उनके बारे में यह तय हो गया है कि ज्यों ज्यों वह स्थान खाली होते जायेंगे उनको समाप्त किया जायगा।

श्री रामायणराम---

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस आयोग ने चौकीदारों के महत्व को देखते हुये और उनके बढ़ते हुये उत्तरदायित्वों को सामने रखकर क्या किसी नयी प्रणाली का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो उसे अब तक क्यों नहीं कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्री नवलकिशोर---

पुलिस कमीशन की बहुत सी रिकमेंडेशंस जो थीं वह सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री विजयसिंह---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो स्थान रिक्त हो जाते हैं उनके कार्य-क्षेत्र को दूसरे चौकीदारों के कार्य-क्षेत्र में बढ़ा दिया जाता है, तो चौकीदार की तनख्वाह केवल ५ रुपया मासिक है, इस बात को देखते हुये जब उनका कार्य-क्षेत्र बढ़ाते हैं तो उनकी तनख्वाह भी दुगुनी करने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री नवलकिशोर---

अभी तो इमर्जेन्सी का वक्त चल रहा है, इसलिये ऐसा कोई इरादा नहीं है।

रेढ़र व कैलिया थाने

*९---श्री विजयसिंह---

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जालौन जिले में आपरेशन एरिया को ध्यान में रखकर थाना रेढ़र व कैलिया तक पहुंचने के लिये अधिकारियों को क्या साधन हैं ? क्या बरसात में वहां तक जाने में कोई पक्का रास्ता नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री नवलकिशोर---

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री विजयसिंह---

मान्यवर, यह प्रश्न अब समाप्त कर दिया जायगा या आगे फिर एजेंडे पर रखा जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

१५ दिन बाद फिर आयेगा ।

बाराबंकी जिले में पुराने पुलिस कर्मचारी

*१०---श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में कितने पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो ६ वर्ष से अधिक से बाराबंकी जिले में तैनात हैं ? उनमें से हर एक जिले के विभिन्न थानों में कितने-कितने दिन तैनात रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर---

बाराबंकी जिले में केवल ७ हेड कांस्टेबुल और १३४ कांस्टेबुल ६ वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। इनमें से प्रत्येक की जिले के विभिन्न थानों में तैनाती की अवधि की सूची बहुत लम्बी है। अतः सदस्य महोदय कृपया मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

*११---श्री गिरजाप्रसाद---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले में कितने पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो एक ही थाने में तीन वर्ष से अधिक से तैनात हैं ?

श्री नवलकिशोर---

बाराबंकी जिले में केवल २ कांस्टेबुल ३ साल से अधिक से एक ही थाने में नियुक्त हैं ।

श्री गिरजाप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ऐसा नियम है कि ६ वर्ष से ज्यादा एक जिले में कोई पुलिस कर्मचारी नहीं रह सकता है तो ऐसे लोगों को वहां रखने की क्या अवश्यकता पड़ गई ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, इस मामले में मेरे दोस्त को कुछ थोड़ा भ्रम है । नियम यह है कि सब-इंसपेक्टर के एक जिले में रहने का अधिक से अधिक टाइम ६ वर्ष है, हेड कांस्टेबिल के लिये दस साल है और जो कांस्टेबिल हैं उसके लिये कोई अवधि निश्चत नहीं की गई है।

श्री गिरजा प्रसाद---

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी में जो दो हेड कांस्टेबिल एक थाने में तीन साल से मौजूद हैं उनको न हटाने का क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, इस बात की कोशिश है कि उनको शीघ्र ही वहां से हटाया जाय ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री पुलिस बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस सब-इन्सपैक्टर ६ साल रह सकता है, हेड कांस्टेबिल १० साल तक रह सकता है और सिपाही के लिये कोई सीमा नहीं है तो इस कानून को गलत समझकर इसमें संशोधन करेंगे कि कोई सब इन्सपैक्टर १ साल से ज्यादा एक थाने पर नहीं रहना चाहिये और एक हेड कांस्टेबिल २ साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिये ? ऐसा आप करने जा रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर---

जी नहीं ।

थानाध्यक्ष मुहम्मदपुर के विरुद्ध शिकायत

*१२—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या १९६२ में बाराबंकी जिले में किसी थानाधीश के विरुद्ध भ्रष्टाचार और बलात्कार की शिकायतों से संबंधित पत्र जिला आरक्षा अधीक्षक को एक विधायक द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नवलकिशोर—

जी हां, श्री रामआसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा, ने थानाध्यक्ष, मुहम्मदपुर, के विरुद्ध भ्रष्टाचार, शराब पीने और दुश्चरित्रता की शिकायतों से संबंधित अपना २४ जुलाई, १९६२ का पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया था ।

शिकायतों की जांच की गई तथा वे सही नहीं पाई गईं ।

श्री गिरजाप्रसाद—

क्या माननीय पुलिस मंत्री बतलायेंगे कि इन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई और कब कराई गई ?

श्री नवलकिशोर—

जब शिकायतें आईं तो उनकी जांच कराई गई । उसकी जांच डी० एस० पी० से कराई गई और एस० पी० ने भी की ।

श्री गिरजाप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि शिकायतकर्त्ता को इसकी सूचना दी गई ?

श्री नवलकिशोर—

शिकायतकर्त्ता ने शिकायत भेजी थी । उन शिकायतों की जांच कराई गई ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि जब जांच की गई तो उसकी सूचना उनको दी गई ।

श्री नवलकिशोर—

उनको कोई सूचना दी गई या नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या पुलिस मंत्री जी बतलायेंगे कि उस पुलिसमैन के खिलाफ शिकायतकर्त्ता ने क्या-क्या शिकायत की थी ?

श्री नवलकिशोर—

मैंने अपने जवाब में पढ़ा कि उनकी शिकायत घूंस पाने की थी, चाल-चलन की थी और और कई तरह की शिकायत थी । मैं यह भी बतलाऊं कि उनकी शिकायत एक थानेदार के खिलाफ थी और दो सिपाहियों के खिलाफ थी, उन दो सिपाहियों को वहां से हटा दिया गया है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि जो इनकी शिकायत हुई इसकी चर्चा एस० पी० की जो मीटिंग होती है उसमें कई बार की गयी किन्तु डी० एस० पी० से जो जांच कराई गई वह इस नीयत से कराई गई कि इस मामले को रफा दफा कर दें और प्रिजुडिस होकर उनको वहीं रखा गया है तो उनको सरकार वहां से हटाने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—

मैंने अर्ज किया कि इसकी जांच डी० एस० पी० के द्वारा हुई और उसके बाद एस० पी० ने भी जानकारी की मगर कोई शिकायत साबित नहीं होती है । जब कोई शिकायत साबित नहीं होती है तो क्या ऐक्शन लिया जाय ?

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

इस बात को देखते हुये कि यह शिकायत विधान सभा के एक सदस्य की थी तो उनको इस बात का अवसर क्यों नहीं दिया कि वह अपनी शिकायतों को इस्टेबलिश करें ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने यह नहीं कहा कि उनको मौका नहीं दिया गया। मैंने यह कहा था कि मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री श्यामलाल--

पुलिस विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार की आम शिकायतें होती हैं और पुलिस विभाग के एक छोटे अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच उसी विभाग के बड़े अधिकारी से जब कराई जाती है तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि निष्पक्ष जांच होगी। तो ऐसी हालत में किसी निष्पक्ष व्यक्ति से, जो दूसरे विभाग का हो, उसके द्वारा जांच कराने की सरकार कृपा करेगी ऐसी आम शिकायतों पर ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, पुलिस के जितने कर्मचारी हैं, वे सब पक्षपातपूर्ण हैं, ऐसी बात सरकार नहीं मानती है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि शिकायतें निराधार पाई गईं और दूसरे में बताया गया कि सिपाहियों का तबादला कर दिया गया, तो क्या सिपाहियों को दोषी पाया गया या निर्दोष पाया गया, या भेदभाव किया गया ? इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि उन सिपाहियों का इस बींच में ट्रांसफर कर दिया गया है, मैंने यह नहीं कहा था कि दोषी पाये जाने के कारण ट्रांसफर कर दिया गया था।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि क्यों ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि इसी प्रश्न के अन्दर उनके ट्रांस्फर की बात कही गई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी, इस प्रकार के आदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देंगे पुलिस विभाग को कि कम से कम इस विधान सभा के सदस्य यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के संबंध में शिकायत करते हैं, तो जांच करते समय माननीय सदस्यों से कुछ पूछ लिया करें ? आम जनता की बात तो दूर है, यदि विधान सभा का सदस्य किसी व्यक्ति के संबंध में डेफिनिट शिकायत करता है, तो जांच-पड़ताल करते वक्त संबंधित अधिकारी को पूछ-ताछ माननीय सदस्य से करनी चाहिये। क्या इसकी व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि इनकी कोई जांच न की जाय। जो शिकायतें होती हैं और जो लोग संबंधित होते है, उनसे जांच करने की कोशिश की जाती हैं, मुझे यह सूचना नहीं है कि उनको इत्तिला दी गई है या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह ही था कि जब माननीय गिरजा प्रसाद जी को उसकी सूचना नहीं दी गई है, वह स्वयं जबकि यह कह रहे हैं, तो एस०पी० की रिपोर्ट को दूर रखिये, तो उनसे।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये आपके सवाल को मैं साफ किये देता हूं। माननीय सदस्य का यह कहना है कि यदि माननीय सदस्य की तरफ से कोई शिकायत आये तो उसमें माननीय सदस्यों से इस बारे में सलाह ले लें, उससे इन्क्वायरी में मदद रहेगी।

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। माननीय सदस्य जो शिकायत करते हैं, उनसे भी जानकारी जरूर करनी चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या माननीय पुलिस मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो पुलिस थानेदार या पुलिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की जाती है, उसकी जांच करने का जो तरीका आपने बना रखा है, वह बिलकुल गलत है ? यदि कोई माननीय सदस्य या जनता का आदमी आपसे शिकायत करता है तो उसी शिकायत को, उसी जिले में, उसी कप्तान के पास, भेज देते हैं और पुलिस कप्तान डी० आई० एस० पी० के पास भेज देते हैं और उनमें थानेदार में कोई विशेष फर्क नहीं होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं कि यदि कोई सदस्य या जनता आपके पास शिकायत करें, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ किसी उच्च अफसर द्वारा जांच कराने की नीति निर्धारित करेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, उसका कायदा यह है कि जिसकी शिकायत होती है, उसका जो इमीडियेट अफसर होता है, उसके द्वारा जांच कराई जाती है, वह जितनी बातें मानते हैं यह सरकार उनको नहीं मानती है।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा ही मौलिक प्रश्न है, यह जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है, इसका मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप विराजें।

[७ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सूचना विभाग में फिल्म एवं फोटो शाखा के कर्मचारी

*१--बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)--

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ फरवरी से २ फरवरी, १९६३ तक के लिये "मास कम्यूनीकेशन" की टीम की फोटो खिंचवाने के लिये किसी निजी व्यक्ति को सूचना विभाग द्वारा कार्य दिया गया ? यदि दिया गया, तो क्यों ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--

विभाग द्वारा मास कम्युनिकेशन की टीम को फोटो खिंचवाने के लिये किसी निजी व्यक्ति को कार्य नहीं दिया गया।

*२--बेगम किश्वर आरा--

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग के पास कितने व्यक्ति फिल्म फोटो तथा स्टिल फोटो के कार्य के लिये नियुक्त हैं ? यदि हैं, तो क्यों निजी व्यक्ति को यह कार्य दिया गया ?

श्री बनारसीदास--

सूची संलग्न है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९८ पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

यह जो फोटोग्राफी के लिये ठेका दे दिया गया, तो जब सूचना विभाग में यंत्र मौजूद हैं तो दूसरों को क्यों दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने उत्तर नहीं सुना। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया।

श्री मैनेजरसिंह--

मास कम्युनिकेशन टीम को जो ऐलबम समर्पित किया गया उसका कुल व्यय कितना हुआ ?

श्री बनारसीदास--

यह प्रश्न उठता नहीं है। किसी निजी व्यक्ति को कार्य नहीं दिया गया और जहां तक विभाग के फोटोग्राफर का सवाल है, वह तो हमारे यहां वेतन पाते हैं। इसलिये अलग से किसी व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया सदन में शान्ति रहे, कुछ सुनाई नहीं पड़ता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह सही है कि सूचना विभाग के पास कई लाख का सामान है, कैमरे हैं, इसके बावजूद सरकार ने प्राइवेट फर्म से फोटो खरीदे उस टीम के लिये, तो क्या ये अधिकारी और सामान बेकार है, उनसे क्यों नहीं काम कराया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि सब विभाग के अधिकारियों से कराया है, यह आप कहां से ले आये ?

बेगम किश्वर आरा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना विभाग में किसी नये आदमी की तकर्ररी की गयी थी और मास कम्युनिकेशन टीम को जो फोटोग्राफ का ऐलबम पेश किया गया उसकी क्या लागत आयी और क्या प्राइवेट फोटोग्राफर द्वारा फोटो खिचवाया गया ?

श्री बनारसीदास--

जहां तक सूचना विभाग का सवाल है, किसी बाहरी आदमी की नियुक्त नहीं की गयी। किसी दूसरे विभाग ने अगर फोटोग्राफर को बुलाया तो उसकी जानकारी नहीं है। केवल एक फोटोग्राफर ने इजाजत चाही थी कि वह भी फोर्ड फाउंडेशन स्कीम से संबंधित फोटो ले ले, तो यह इजाजत दे दी गयी। सूचना विभाग से कोई पैसा नहीं दिया गया और उसने जो फोटो खींचे होंगे वह किसने लिये, इसका हमको पता नहीं।

नागरिक सुरक्षा योजना

*३--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--

सिविल डिफेंस (जन-सुरक्षा) विभाग में सरकार के कितने कर्मचारी हैं ? उनमें से कितने री-इम्पलाय किये हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

सिविल डिफेंस (नागरिक सुरक्षा) विभाग में ३६८ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनमें से केवल ५ कर्मचारी री-इम्पलाय किये हुये हैं।

*४---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)---

इस विभाग ने किन-किन स्थानों पर क्या-क्या कार्य किये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रदेश के ३५ नगरों (Graded Towns) में, जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हैं, नागरिक सुरक्षा योजना लागू की गई है जिसके अनुसार सुरक्षा संबंधी विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में विशेषकर सीमांत जिलों में स्वस्थ नागरिकों को राइफल चलाने, प्राथमिक चिकित्सा, होम नर्सिंग, आग बुझाने, प्रांतीय रक्षा दल इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९९ पर)

इलाहाबाद में बिजली, कानपुर में मिल मालिकों पर बिजली कम्पनी का बकाया

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर में किन-किन हिस्सों में बिजली (मार्टिन कम्पनी) के पावर हाउस द्वारा दी जाती है और किन-किन हिस्सों में रिहन्द डैम की पावर द्वारा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मार्टिन कम्पनी, इलाहाबाद, को रिहन्द की बिजली थोक में दी जाती है जो उसे इलाहाबाद नगर के उपभोक्ताओं के बीच बांटती है। इलाहाबाद नगर के किसी भी हिस्से को अलग से रिहन्द की बिजली नहीं दी जाती।

*६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के बिजली पावर का कितना-कितना धन वहां के मिल मालिकों के ऊपर बाकी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

कानपुर के सूती तथा जूट मिलों द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६२ तक उपभोग की गई बिजली के बिलों में से १५ फरवरी, १९६३ तक मिलों पर बकाया धनराशि की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २०० पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

जो पावर मिर्जापुर से इलाहाबाद में आ रही है क्या वह छोटे-छोटे गांवों में छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये भी दी जायेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

बिजली हम बड़ी लाइन से ले रहे हैं, लेकिन हम यह इंतजाम कर रहे हैं कि सब-स्टेशन बनाकर बीच में भी बिजली दें और जहां छोटी छोटी लाइन लगाई जायेंगी, वहां जरूर बिजली दी जायगी।

*७---श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

[२१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

नोट---तारांकित प्रश्न ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कुरावली थाने के विरुद्ध जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा आलोचना

*८---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार का ध्यान जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी (श्री एन० सी० जैन) के उस फैसले की तरफ गया है जो कि मुकदमा नम्बर २४७ सन् १९६१ दफा ३३२/२२४/२२५ ताजीरात हिन्द, सरकार बनाम सोने लाल वगैरा, में २८/२९-१२-६१ को दिया गया है, जिसमें लिखा है कि गणेशचन्द्र, एम० एल० ए० (मैनपुरी) ने थाना कुरावली, जिला मैनपुरी, के पुलिस के खिलाफ विधान सभा में प्रश्न किये और इस नाराजगी के कारण इनके रिश्तेदारों (खानदानियों) का झूठा चालान उक्त पुलिस ने कर दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जी हां । संबंधित मुकदमें के फैसले में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का इस आशय का कथन है कि ऐसा संभव है कि पुलिस ने अभियुक्तों का चालान इस कारण नाराज होकर किया कि प्रश्नकर्त्ता महोदय ने विधान सभा में कुरावली पुलिस के विरुद्ध प्रश्न उठाये थे और अभियुक्त इनके रिश्तेदार हैं ।

*९---श्री गणेशचन्द्र काछी---

यदि हां, तो विधायकों के हक की रक्षा को ध्यान में रखते हुये पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इस विषय में जांच हो रही है । तत्पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी ।

सचिवालय के इण्टेलीजेन्स इन्स्पेक्टर

*१०---श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक साल से १२ इंटेलीजेंस के इंस्पेक्टर सचिवालय भवन, लखनऊ ने एक वर्ष में कितने कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें कीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह सूचना गोपनीय है और उसे बतलाना जनहित में उचित न होगा ।

*११-१२---श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

[१५ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ५५-५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१३---श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---

[२१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर में खाद का कारखाना

*१४---श्री उग्रसेन, श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में खाद के कारखाने का निर्माण कब से प्रारम्भ हो सकेगा ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

यह केंद्रीय सरकार की योजना है और उन्होंने प्रदेशीय सरकार को उसके निर्माण के आरम्भ होने की तिथि के संबंध में कोई सूचना अभी तक नहीं दी है । इतना अवश्य ज्ञात है कि भारत सरकार इस कारखाने को शीघ्र ही स्थापित करना चाहती है ।

*१५---श्री उग्रसेन, श्री गेंदासिंह तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इसके निर्माण-कार्य को प्रारम्भ करने में देर क्यों की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उल्लिखित कारखाने के निर्माण-कार्य में कोई देर नहीं की जा रही है वरन् इस फैक्ट्री के स्थापित होने के लिये प्रदेशीय सरकार ने लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत १,२०८ एकड़ भूमि अधि-ग्रहणार्थ विज्ञापित कर दी है और आशा की जाती है कि जैसे ही भूमि अधिगृहीत होकर भारत सरकार को दे दी जायगी, वह कारखाने का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देगी ।

प्रान्तीय रक्षा दल में असिस्टेंट कमांडेंट का पद

*१६---श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)---

क्या सरकार प्रांतीय रक्षादल में तुरन्त ही असिस्टेंट कमांडेंट का कोई नया पद करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

भारत सरकार से होम गार्डस योजना प्राप्त हो जाने के कारण प्रांतीय रक्षा दल को होम गार्ड्स में सम्मिलित करके इसके पुर्नसंगठन पर विचार किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रांतीय रक्षा दल में असिस्टेंट कमांडेंट के नये पद किये जाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

*१७---श्री शिवसम्पति शर्मा---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि असिस्टेंट कमांडेन्ट पद के लिये प्रान्तीय रक्षा दल विभाग के योग्य और सीनियर कर्मचारियों को इस पद पर लेने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

होम गार्ड्स योजना पर निर्णय होने के उपरान्त इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

*१८---श्री शिवसम्पति शर्मा---

क्या यह बात सही है कि विभाग के सीनियर कार्यकर्त्ता इस पद पर न आ सकें इसलिये डिपार्टमेंट ने ४५ साल उम्र की कैद इस पद के लिये रखी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं । ४५ वर्ष की आयु सीमा, लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर प्रान्तीय रक्षा दल सर्विसेज रूल्स, १९६० में रखी गई है ताकि उपयुक्त आयु वाले व्यक्ति दक्षता से अधिक जिम्मेदारी के कार्य को चला सकें ।

पुलिस विभाग के लिपिकों का वेतन

*१९---श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब वर्तमान राष्ट्रीय संकट के बावजूद, नवम्बर, १९६२ में लगभग ५०० सहायक पब्लिक प्रोसीक्यूटरों तथा १,००० पुलिस वायरलेस आपरेटरों का वेतन पुलिस कमीशन १९६० की सिफारिशों के आधार पर बढ़ा दिया है, तो केवल पुलिस विभाग के लिपिकों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जिसकी सिफारिश श्री के० के० दास कमीशन ने १९५७ में ही की थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

पुलिस आयोग १९६० ने पुलिस दल के कुछ वर्गों, जिसमें पुलिस विभाग का लिपिक वर्ग सम्मिलित नहीं है, के वेतन क्रमों में वृद्धि की सिफारिश की थी। तदनुसार १ जनवरी, १९६२ से कांस्टेबिलों, हेड कांस्टेबिलों और सब इंस्पेक्टरों के वेतन क्रम बढ़ा दिये गये और सहायक पब्लिक प्रासीक्यूटर, रेडियो आपरेटर्स तथा अन्य वर्गों के वेतन-क्रम भी उसी तिथि से बढ़ाये गये किन्तु इनके आदेश नवम्बर १९६२ में ही जारी किये जा सके । संकटकालीन स्थिति में पुलिस विभाग के लिपिकों के वेतन वृद्धि के प्रश्न पर विचार अन्य विभागों से सम्बद्ध होने के कारण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ।

*२०—श्री सहदेवसिंह—

क्या यह सच है कि जिला पुलिस के एकाउन्टेंट तथा लिपिक अब भी लगभग वही वेतन पाते हैं जो वे १९३० में पाते थे ? क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करके शीघ्र निर्णय करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१९३० में एकाउन्टेंट तथा लिपिक का कोई वेतन क्रम नहीं था। उस समय उनके निम्नलिखित ग्रेड थे:

एकाउन्टेंट	रु०	लिपिक	रु०
प्रथम श्रेणी	१२०	प्रथम श्रेणी	६५
द्वितीय श्रेणी	१००	द्वितीय श्रेणी	६०
तृतीय श्रेणी	८०	तृतीय श्रेणी	५०
		चतुर्थ श्रेणी	४०

१ अप्रैल, १९४७ से इनके वेतन-क्रम निम्नलिखित हैं—

एकाउन्टेंट रु० ८०–५–१००–६–१३० ।

लिपिक रु० ६०–३–९०–४–११० ।

संकटकालीन स्थिति के समाप्त होने पर ही इनके वेतन क्रमों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा ।

कार्बेट नेशनल पार्क फिल्म पर व्यय

*२१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़), श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती), श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर) तथा श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कार्बेट नाम की जंगली फिल्म के निर्माण में तथा उसकी प्रतियां एवं प्रदर्शन में कुल कितना रुपया खर्च हुआ, कुल कितने व्यक्तियों ने देखा, दिखाने पर कितना खर्च आया ?

श्री बनारसीदास—

सम्भवत: माननीय सदस्यों की मनशा "कार्बेट नेशनल पार्क" नामक फिल्म के बारे में पूछताछ करने की है क्योंकि "जिम कार्बेट" नामक कोई जंगली फिल्म सूचना विभाग ने नहीं बनाई। कार्बेट नेशनल पार्क नामक फिल्म के निर्माण पर ४७,९०० रु० खर्च हुआ। ७८ प्रतियों के बनाने में ३१,६०० रु० खर्च हुआ। फिल्म के प्रदर्शन पर कोई अलग से खर्चा नहीं होता। इस फिल्म की प्रतियां गांवों तथा शहरों में उसी प्रकार से दिखाई जाती हैं जैसे सूचना विभाग की अन्य फिल्में । चूंकि भारत सरकार ने इस फिल्म को ४६,००० रु० देकर क्रय कर लिया है, अत: सारे भारतवर्ष के सिनेमा घरों में भारत सरकार द्वारा इस फिल्म के प्रदर्शन हुए इससे भारत सरकार को कुछ आमदनी हुई होगी क्योंकि भारत सरकार द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन किए जाने के लिए दर निश्चित है। इस फिल्म को कितने व्यक्तियों ने देखा, इसका ब्योरा विभाग में उपलब्ध नहीं है लेकिन यह कहा जा सकता है कि करोड़ों की संख्या में लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा क्योंकि विभागीय चलचित्र यन्त्रों के अलावा सम्पूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक सिनेमा-घरों में इस चलचित्र के प्रदर्शन हुए ।

*२२—श्री नेकराम शर्मा, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' तथा श्री जय-गोपाल—

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिम कार्बेट नाम की जंगली फिल्म पहले १६ मिलीमीटर की साइज में शूटिंग की गई और फिर ३५ मिलीमीटर साइज में शूटिंग की गई और अन्त में १६ मिलीमीटर साइज को ब्लोअप करके ३५ मिलीमीटर साइज में बनाया गया ? क्या इसी प्रकार की विधि सभी फिल्मों के निर्माण में लायी जाती है या यह महिला अधिकारी फिल्म निर्देशक के अनुभव का परिचय देती है ? क्या यह सरकारी धन का अपव्यय नहीं है ?

श्री बनारसीदास—

कार्वेट नेशनल पार्क नामक फिल्म की शूटिंग ३५ मीलीमीटर ईस्टमैन कलर में की गई थी, १६ मीलीमीटर में नहीं। विभागीय जितनी फिल्में बनती हैं वे सब ३५ मीलीमीटर पर खीचीं जाती हैं और उसके बाद आवश्यकतानुसार उसकी प्रतियां १६ मीलीमीटर में बनायी जाती हैं। अतः किसी महिला अधिकारी के फिल्म निर्देशन की अनुभवहीनता का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही कोई सरकारी धन का अपव्यय हुआ क्योंकि फिल्म उसी प्रकार से बनी जैसे अन्य फिल्में बनती हैं। और इस फिल्म को तो भारत सरकार ने ४६,००० रु० देकर खरीद भी लिया। इस फिल्म के निर्माण से प्रादेशिक सरकार को लाभ ही हुआ, नुकसान नहीं।

*२३–२५—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[वापस ले लिये गये।]

कानपुर की सूती मिलों का उत्पादन

*२६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कोई कमेटी कानपुर सूती मिलों में उत्पादन कम हो रहा है इसके जांच हेतु गठित की है ? यदि हां, तो उस कमेटी के गठन का क्या आधार है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, ऐसी कोई कमेटी अभी नहीं बनाई गयी है।

*२७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कानपुर के ट्रेड यूनियनों की तरफ से मिल-मालिकान की इस नीति के विरोध में कोई आवेदन-पत्र सरकार के प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

मथुरा जिले में सुरक्षा कोष

*२८—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार तुरन्त मथुरा जिले में जांच करायेगी कि सुरक्षा कोष के लिये जो नागरिकों से धन व सोना लिया गया है उसको बहुतों को अभी तक रसीद नहीं दी गई है जिससे जनता में भारी रोष, भ्रम फैला हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिले में जांच कराये जाने से ज्ञात हुआ है कि सुरक्षा कोष के लिए नागरिकों द्वारा जो धन व सोना मिला है उसकी रसीद सभी दाताओं को दी जा चुकी है।

मंत्रियों के व्यय में मितव्ययिता

*२९—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मितव्ययिता से ३० प्रतिशत पेट्रोल की मंत्रियों द्वारा यात्रा में कटौती, पुलिस के दरोगा के स्तर के उनके शेडो हटाये जाने और टेलीफोन में कमी करने का कोई निश्चय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त निश्चय कब लिया गया और अब तक उपरोक्त कार्य सम्पन्न हुआ कि नहीं ? अगर नहीं हुआ, तो कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। उल्लिखित मदों में सरकार मितव्ययिता की दृष्टि से सदा से ही प्रयत्नशील है तथा १-१-१९६३ से मंत्रियों ने मोटरों पर स्थानीय यात्राओं के सिलसिले में पेट्रोल के खर्च में ३० प्रतिशत की स्वेच्छा से कटौती कर दी है। टेलीफोन के सज्जा, काल आदि में भी मितव्ययिता बरती जा रही है। मंत्रियों को सुरक्षा के निमित्त उनके शेडों के स्तर में मितव्ययिता की दृष्टि से कुछ व्यवस्था की गई है जिसे सार्वजनिक हित में बताना उचित न होगा।

मुरादाबाद में कत्ल

*३०—श्री हलीमुद्दीन, श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद), श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि कोई कत्ल की वारदात बस स्टेन्ड, मुरादाबाद, के करीब २९ जनवरी, १९६३ को हुई थी ? यदि हां, तो मुल्जिमान कौन है, क्या उनकी जमानत हो गई या अभी तक वे जेल में हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, बस स्टेंड मुरादाबाद के निकट दिनांक २९-१-६३ को एक कत्ल की घटना हुई। इस घटना में अर्जुन लाल व पृथ्वी नाथ कपूर नामक व्यक्ति अभियुक्त हैं। पृथ्वीनाथ की जमानत ए० डी० एम० (जुडीशियल) की कचहरी से हो गई है किन्तु अर्जुन लाल जेल में है।

रुद्रपुर थाने में कत्ल

*३१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर थाने के हल्के में लगातार १, २, ३ फरवरी को क्रम से मड़कड़ी, पड़ रही और मदनपुर में कत्ल हुये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-सा कदम सरकार ने उठा रखा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ग्राम मड़कड़ी और पड़रही में दिनांक १, २ तथा ३ फरवरी, १९६३ को किसी कतल की सूचना थाना रुद्रपुर पर प्राप्त नहीं हुई है और न इन दोनों गांवों में कोई कत्ल उक्त तरीखों पर हुआ। दिनांक २-३ फरवरी, १९६३ की रात्रि में मदनपुर, थाना रुद्रपुर में एक कत्ल हुआ है जिसमें भा० दं० वि० की धारा ४५७, ३०२ के अन्तर्गत मुकदमा कायम होकर जांच जारी है। सभी अभियुक्त फरार हैं। उनके विरुद्ध धारा ८७, ८८ जा० फौ० की कार्यवाही हो रही है।

*३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस थाने में १ अक्तूबर, १९६२ से आज तक कितने कत्ल हुये हैं तथा उनके सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अक्तूबर, १९६२ से २७-२-६३ तक थाना रुद्रपुर पर कतल की चार रिपोर्ट हुई हैं जिसमें प्रश्न ३१ में उल्लिखित मदनपुर में हुआ कत्ल भी सम्मिलित है। चारों मामलों में जांच जारी है।

आजमगढ़ के शिबली नेशनल कालेज में डकैती, गन्ना सप्लाई सोसाइटी, दलालघाट पर गारद की तैनाती

*३३—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद), श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री झारखंडेराय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, सन् १९६३ के द्वितीय सप्ताह में आजमगढ़ नगर की मुख्य शिक्षा संस्था शिवली नेशनल डिग्री कालेज में डकैती पड़ी है? यदि हां, तो पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक ९-२-६३ को शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़ के प्राक्टर द्वारा थाने पर इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व रात्रि को दो, ढाई बजे १०-१२ डकैत कालेज में बल्लम और करौली लेकर घुस आये और चपरासियों को रस्सियों से बांध कर चाभी लेकर प्रिंसिपल, प्राक्टर व हेड क्लर्क के आफिसों के ताले खोले और खजांची आफिस के दरवाजे का कुन्डा तोड़कर कमरों से सामान निकाल ले गये। सूचना के अनुसार कालेज से दो टाइपराइटर, दो घड़ियां, दो टेबुल फैन, दो पेट्रोमेक्स तथा कैश बक्स जिसमें १९३६ रु० १३ न० पै० नकद था, कुछ अन्य छोटे सामानों के साथ अपराधीगण उठा ले गये। अभियुक्तों को चौकीदारों ने पहचाना और वे घटनास्थल पर एक गमछा, एक करौली, एक फाउन्टेनपेन तथा एक रस्सी छोड़ गये। उपरोक्त सूचना के आधार पर धारा ३९५ भा० दं० वि० का मुकदमा अंकित किया गया और अभी इसकी जांच हो रही है।

*३४—श्री मेवालाल जायसवाल, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री झारखंडेराय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९६३ के द्वितीय सप्ताह में गन्ना विकास कार्यालय, आजमगढ़ को पुलिस दल ने घेर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार सदन की मेज पर पूरा विवरण रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक २-२-६३ को गन्ना विकास कार्यालय नहीं बल्कि जिला गन्ना सप्लाई सोसाइटी दलालघाट, आजमगढ़ के कार्यालय में आडिट के दौरान में आडिटर ने एस० डी० एम० को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उक्त सोसाइटी में गबन का शुबहा होने के कारण गारद तैनात किये जाने की प्रार्थना की गई थी। एस० डी० एम० के आदेशानुसार गारद तैनात की गई और कार्यालय मुहरबन्द कर दिया गया। ६-२-६३ को ताला खोला गया और कागजों की फेहरिस्त बना कर आडिट जारी हुआ। ११-२-६३ को गारद हटा दी गई।

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस ने कार्यालय को घेर रखा है।

रिटायरमेंट एज

*३५—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने वर्तमान जिलाधीश तथा अन्य गजटेड व नान-गजटेड अफसर ५५ साल होने के कारण १९६३ ई० में सेवा मुक्त किये जाने वाले हैं उनमें से कौन-कौन, कितने-कितने समय के लिये उक्त रिटायर होने की अवधि के पश्चात् भी अपने पदों पर पूर्ववत् रखे जाने (रिटेन्ड) वाले हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वर्तमान आदेशों के अनुसार २८ दिसम्बर, १९६२ से ३० मार्च, १९६३ तक ५५ वर्ष की आयु पर रिटायर होने वाले कर्मचारी ३१ मार्च, १९६३ तक पूर्ववत् काम करते रहेंगे यदि उनका सेवा रिकार्ड औसत से अच्छा होगा। बाद में रोकने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

*३६—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार की सरकारी नौकरों के रिटायर्ड होने की आयु सीमा को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू करने की बात सोच रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह प्रश्न विचाराधीन है ।

*३७-३८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

[२१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

मथुरा के दो अध्यापकों पर गलत नक्शा बनाने का अभियोग

*३९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि क्या मथुरा के पुलिस अधिकारियों ने के० आर० इंटर कालेज मथुरा के दो अध्यापकों को इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि एक नक्शे में भारत-वर्ष के कुछ हिस्सों को तिब्बत में दिखाया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। इस प्रकार की कोई गिरफ्तारियां नहीं हुईं । एक मुकदमा दर्ज अवश्य हुआ है ।

*४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि उपरोक्त गिरफ्तार अध्यापक जमानत पर छोड़े गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता ।

*४१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उपरोक्त नक्शे के छपने की खबर मथुरा पुलिस को किसके द्वारा मालूम हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस प्रकार की सूचना देना जनहित में उचित नहीं होगा ।

*४२—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

[हटा दिया गया ।]

*४३—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[२१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया ।]

*४४-४५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

[२१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में कत्ल व डकैतियां

*४६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कत्ल और डकैती की संख्या आनेवार १९६०-६१ और १९६१-६२ में क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २०१ पर)

*४७—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

[२१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया ।]

बांदा की अदालत में अशोभनीय घटना

*४८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा शहर में ए० डी० एम० जे० (ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) की कोर्ट से पी० पी० की श्री टंडन से ११ जनवरी, १९६३ को कोई झगड़ा हो गया था जिसकी जनता में काफी चर्चा तथा असन्तोष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

११-१-६३ को ए० डी० एम० (जे०), बांदा के कोर्ट में एक वाकया हो गया था जिसका मुकदमा पी० पी० श्री टंडन के खिलाफ चल रहा है। जनता को इस वाकये से असन्तोष होने की सूचना नहीं है।

*४९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अधिकारियों में अनुशासन कायम रहे तथा अदालतों की मान-मर्यादा को प्रतिष्ठा कायम रहे, उपरोक्त घटना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण व्यवस्था है। जहां तक इस वाकये का सम्बन्ध है, अदालती कार्यवाही की जा रही है।

समाचार समितियों को अनुदान

*५०—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कार्य करने वाली समाचार समितियों को वित्तीय वर्ष, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३ में कितना-कितना आर्थिक अनुदान दिया गया ?

श्री बनारसीदास—

समाचार समितियों को वित्तीय वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में दिये गये आर्थिक अनुदान (Grant-in-aid) का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २०२-२०३ पर।)

*५१—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सहायता देने का आधार क्या था ?

श्री बनारसीदास—

जिन उद्देश्यों के लिये शासन द्वारा अनुदान दिया गया, उनका उल्लेख भी संलग्न विवरण में कर दिया गया है। समाचार समितियों की उपयोगिता को दृष्टि में रख कर उन्हें अनदान दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २०२-२०३ पर।)

*५२-५३—श्री कल्पनार्थसिंह—

[५वें बुधवार के लिए प्रश्न १५४-१५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

जरवल चीनी मिल से बकाया की वसूली

*५४—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या गन्ना विकास मंत्री दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या १-३ में दिये गये उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने जरवल चीनी मिल, बहराइच के लिए कोई अधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो बकाया भुगतान में क्या प्रगति हुई है तथा चालू वर्ष के गन्ने के मूल्य के भुगतान की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

इस मिल ने अधिकृत नियंत्रक के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया था अतएव गन्ने के मूल्य व सेस, क्रय-कर की मद के अन्तर्गत बकाया रकम के भुगतान में अभी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान सीजन (३१-१-६३) का गन्ने के मूल्य का १७·३३ लाख रु० बकाया की वसूली के लिये मिल कर शुगर स्टाक रिकवरी सार्टीफिकेट पर अटैच (attach) कर लिया गया है।

आगामी विद्युत् योजनायें

*५५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि आगामी दो वर्षों के अन्दर प्रदेश के किन-किन स्थानों में बिजलीघर खुलेंगे और इनसे कितने कस्बों अथवा गांवों को बिजली उपलब्ध होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आगामी दो वर्षों में निम्नलिखित स्थानों पर बिजलीघर स्थापित किये जाने की योजना है :

१—चमोली,
२—उत्तरकाशी,
३—रुद्रप्रयाग,
४—चम्पावत।

उपर्युक्त जल विद्युत् योजनाओं से जिन कस्बों अथवा गांवों को बिजली उपलब्ध होगी उनके नाम नत्थी की गई सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २०४ पर)

*५६—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि टेहरी गढ़वाल में स्थित लस्नर नदी से बिजली उत्पादन की योजना भी सरकार के सम्मुख है ? यदि हां, तो उस पर कब काम शुरू होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, काम शुरू हो गया है।

*५७—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कभी सरकार के सामने पर्वतीय झरनों में छोटे-छोटे जेनरेटरों द्वारा बिजली पैदा करने का जापानी तरीका प्रस्तुत करने का सुझाव आया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

घाटमपुर के लिए बिजली की मांग

*५८—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) तथा श्री शिवनाथ सिंह—

क्या कानपुर जिला अन्तर्गत घाटमपुर करबे में सरकार बिजली की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच-पड़ताल के आदेश दे दिये गये हैं और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से सम्भव हुआ तो कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा।

*५९—श्री रामकिशोर वर्मा तथा श्री शिवनाथसिंह—

क्या मुख्य मंत्री ने घाटमपुर कस्बे का सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

*६०—श्री रामकिशोर वर्मा तथा श्री शिवनाथसिंह—

क्या मुख्य मन्त्री की जानकारी है कि औद्योगिक कस्बे घाटमपुर से क्रमशः पश्चिम और पूर्व १२ मील पर मूसानगर तथा जहानाबाद, को बिजली की सुविधा उपलब्ध है, फिर इस मध्य के महत्वपूर्ण स्थान में बिजली की सुविधा अब तक न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस नगर की जांच के पश्चात् उचित निर्णय लिया जायेगा।

*६१-६२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा), श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री बांकेलाल—

[२१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो

*६३—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है केन्द्रीय सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, ठगी, गबन आदि मामलों की जांच के लिये इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार की किसी ब्यूरो की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदेशीय मामलों की जांच के लिये कराने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विशेष इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के सम्बन्ध में कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायगा। सरकार ऐसे मामलों की रोकथाम एवं जांच की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और यथोचित कार्यवाही करेगी।

*६४—श्री बेदराम—

यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

पोलीटेक्निक स्कूल, लखनऊ में शुल्क

*६५—श्री शारदानन्द तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय पोलिटेकनिक, लखनऊ में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

*६६—श्री शारदानन्द तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सत्य है कि इस वर्ष अब सत्र के मध्य में उक्त विद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्रों से पूरे वर्ष का शुल्क लिया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

राजकीय गुड़िया, खिलौना प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज

*६७—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत चलने वाले राजकीय गुड़िया तथा खिलौना शिल्प तथा प्रशिक्षण केन्द्र डालीगंज, लखनऊ को सरकार इस मास के अन्त तक बन्द करने का विचार कर रही है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—

जी हां।

*६८—श्री जगन्नाथ राव—

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि—

(अ) बन्द करने का क्या कारणहै ?

(ब) वर्तमान सत्र में जिन अथवा प्रशिक्षार्थीनियों अथवा प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रारम्भ किया है उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है क्योंकि उ हें बीच सत्र में ही अलग होना पड़ेगा ?

श्री फूलसिंह—

(अ) सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय संकट के कारण इस योजना को बन्द कर दिया है।

(ब) दस प्रशिक्षार्थियों को १६-७-१९६२ से भरती किया गया था। इनका ट्रेनिंग का कोर्स कम कर दिया गया है तथा उनका ट्रेड टेस्ट होने जा रहा है ताकि उनको प्रशिक्षण काल का प्रमाण पत्र दिया जा सके।

*६९—७१—श्री रियासत हुसैन—

[२१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

दारुलशफा में सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्राफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मुख्य मन्त्री, दिनांक ७ फरवरी, १९६३ के प्रश्न संख्या १४ के संदर्भ में कृपया बतलायेंगे कि जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उत्तर में कहा गया है उस गिरफ्तारी में रोडवेज के ए० टी० आई० महाशय थे ? यदि हां, तो ए० टी० आई० महोदय उस कमरे में कब से रहते थे तथा उनके विरुद्ध सरकार ने कौन सी कार्यवाही की।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में विनोद कुमार तथा राजेन्द्र कुमार ए० टी० आई० भी थे। ये दोनों उस कमरे में स्थायी रूप से नहीं रहते थे। विनोद कुमार जो कमरे में रहने वाली विधायिका के पुत्र हैं, कभी-कभी आ कर ठहरते थे। दूसरे ए० टी० आई० भी शायद उनके साथ आकर ठहरे रहे हों।

इन दोनों असिस्टेंट ट्राफिक इंस्पेक्टरों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ७-ए सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्राफिक इन वीमेन एन्ड गर्ल्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया था किन्तु उसमें अपर्याप्त प्रमाण के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगानी पड़ी।

२-४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[५वें सोमवार के लिए प्रश्न ९-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इलाहाबाद में इण्टर स्टेट टूरनामेंट

५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद में १७ फरवरी, १९६३ से २० फरवरी, १९६३ तक (इंटर स्टेट एथेलेटिक) टूर्नामेंट होने जा रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। यह टूर्नामेन्ट हो चुका है।

६—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इंटर स्टेट ऐथेलेटिक टूर्नामेन्ट में प्रदेश में सरकार ने और महापालिका ने कितनी-कितनी सहायता टूर्नामेन्ट करने में दी ?

श्री हरगोविंदसिंह—

प्रदेश सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है। महापालिका द्वारा दी गई सहायता के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इंटर स्टेट टूर्नामेन्ट जो होने जा रहा है वह रजिस्टर्ड बाडी है या नहीं ?

श्री हरगोविंदसिंह—

आल इंडिया ओलम्पिक ऐसोसियेशन एक रजिस्टर्ड संस्था है और यह एथलेटिक टूर्नामेन्ट उसी से सम्बन्धित है।

मऊनाथभंजन में सूती मिल खोलने का लाइसेंस

८—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में मऊनाथ भंजन स्थान पर कोई सूती मिल के निर्माण के लिये किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां, स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर, को मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़, में एक सूती मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया था। परन्तु यह कम्पनी अब मऊनाथ भंजन में मिल स्थापित नहीं करना चाहती और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें इस मिल को नैनी, इलाहाबाद में स्थापित करने की स्वीकृति दे दी जाय। कम्पनी की यह प्रार्थना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

रेशम उद्योग

९—श्रीमतीविनय लक्ष्मी सुमन—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है ? कुल कितना उत्पादन होता है और इस पर खर्चा कितना होता है ?

श्री फूलसिंह—

रेशम उद्योग (Sericulture) राज्य के आठ जिलों में प्रचलित है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रों में इस उद्योग की उन्नति के लिये जलवायु एवं मिट्टी भी बहुत उपयुक्त है। १९६१-६२ में कोया (cocoon) का उत्पादन ३,७९० कि० ग्रा० हुआ जो कि योजना के आरम्भ होने के सभी वर्षों से ऊंचा था। पिछले वर्ष इस उद्योग के ऊपर ७,०६,६०४ रु० व्यय हुआ। रेशम वस्त्र उत्पादन (Silk weaving) का काम बनारस व आजमगढ़ जिले में होता है, इस काम पर करीब ३०,००० करघे चलते हैं और करीब ४ करोड़ रुपया का उत्पादन होता है जिसमें से लगभग ७५ लाख रुपया का माल विदेश भेजा जाता है।

१०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के किस-किस नगर में रेशम उद्योग केन्द्र हैं ?

श्री फूलसिंह—

प्रदेश में रेशम उद्योग केन्द्र (Ser'culture out-post) निम्नलिखित जिलों में हैं—

१—देहरादून, २—नैनीताल, ३—अल्मोड़ा ४—सहारनपुर, ५—इटावा, ६—गोरखपुर, ७—टेहरी-गढ़वाल, और ८—पौड़ी-गढ़वाल ।

११—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या उद्योग मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि प्रदेश के रेशम उद्योग में कितने लोगों को रोजी मिली है ?

श्री फूलसिंह—

इस उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगभग २,४०० व्यक्ति तथा परोक्ष रूप से लगभग ७०० अन्य व्यक्ति रोजी में लगे हैं। इसके अलावा रेशम वस्त्र उत्पादन में करीब ३०,००० व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है और परोक्ष रोजगार करीब १ लाख आदमियों को ।

अतरौलिया थानान्तर्गत साधू की हत्या

१२—श्री होरीलाल यादव, श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, सन् १९६२ के प्रथम सप्ताह में आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक साधू की हत्या करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने जांच कराने का आश्वासन सदन को दिया था ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा करायी गई और परिणाम क्या निकला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उक्त साधु की हत्या के सम्बन्ध में जांच कराने का आश्वासन दिया गया था। इस सम्बन्ध में एस० डी० एम० फूलपुर द्वारा जांच की जा चुकी है। दोषी पाये गये दोनों कांस्टेबिलों का चालान धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत किया गया।

उनके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस सम्बन्ध में आगे जांच कराना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता ।

इलाहाबाद में कारखाने

१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में कौन-कौन से कारखाने जो चालू हैं उनमें से कितने कारखाने बन्द हो गये ?

श्री हरगोविंदसिंह—

इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एन्ड रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत जो कारखाने इलाहाबाद में चालू हुये थे उनमें से कोई भी बन्द नहीं है। इसमें वे सब कारखाने आते हैं जिसमें विद्युत् शक्ति के साथ ५० मजदूर या विद्युत् शक्ति के बिना १०० मजदूर से अधिक काम करते हैं।

छोटे कारखानों के विषय में, जिसमें इससे कम तादाद में मजदूर काम करते हैं, सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में लघु उद्योगों के लिए ऋण

१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में आजमगढ़ जिले के किन-किन व्यक्तियों को किन किन लघु उद्योगों के चलाने हेतु कितने-कितने रुपये का ऋण और अनुदान प्रदान किये गये हैं ?

१५--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त प्रकार के ऋणों की वसूली हो रही है और क्या जिन कार्यों के लिये ऋण तथा अनुदान दिये गये हैं, वे कार्य चालू हैं ?

श्री फूलसिंह---

वांछित सूचना सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" तथा "ख" के रूप में रख दी गई है। ऋणों की साधारण वसूली हो रही है।

१६---श्री रामसुदर पांडेय---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ उद्योग कार्यालय में केन-क्रशर चलाने के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु किन-किन व्यक्तियों ने कितने-कितने रुपये के लिये वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में आवेदन-पत्र दिये और किनको कितने-कितने रुपये दिये गये ?

श्री फूलसिंह---

वांछित सूचना सदन की मेज पर परिशिष्ट "ग" के रूप में रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २०५ पर)

देवरिया जिले में चीनी मिल वाली सड़कें

१७---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया मिल जोन में रुद्रपुर-देवरिया सड़क से उसरा बाजार-नकटापार और अलगदपुर-बढ़या बुजुर्ग बांकी सड़क निर्माण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण सम्भव है ? यदि नहीं, तो इस जोन के सड़क फंड के रुपयों का क्या हो रहा है ? इन सड़कों की लम्बाई क्या होगी तथा यदि बनवायी जायं तो व्यय क्या पड़ेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

देवरिया मिल जोन में रुद्रपुर-देवरिया सड़क से उसरा बाजार, नकटापार और अलगदपुर टोला, बढ़या बुजुर्ग से बांकी तक सड़क बनवाने की कोई योजना अभी नहीं है। इस जोन के सड़क फंड के रुपयों से जमीन की अ य आवश्यक सड़कों और पुलियों का निर्माण हो रहा है। उक्त दो सड़कों की लम्बाई लगभग ४ मील होगी। चूंकि इन सड़कों का बनवाना स्वीकृत नहीं हुआ है अतः इनके बनवाने का तखमीना भी नहीं बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह बताना कठिन है कि इनके बनवाने पर क्या व्यय पड़ेगा।

१८---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया चीनी मिल जोन की देवरिया से पैकवली तक जाने वाले बैलगाड़ी सीमेंट पथ को पकड़ी बाजार तक बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण संभव है ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जी नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क का निर्माण गन्ना विकास विभाग की सड़कें बनाने की योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका क्योंकि इस बारे में कोई योजना सम्बन्धित गन्ना विकास समितियां गन्ना मिल ने नहीं भेजी।

नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़कों या नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिए क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृति की शर्तों को नियत करने के सम्बन्ध में नियमावली†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति की संख्या ५२-ए ३३-६-आर-६२, दिनांक २० फरवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित नियंत्रित ग्राम्य

---

†छापी नहीं गई।

क्षेत्र में सड़कों या नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृति की शर्तों को नियत करने के सम्बन्ध में नियमावली को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९५८ में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९५८ में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३४४५—टी ३०-बी—९७—पी—६२, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं :—

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ११ फरवरी, १९६३, की बैठक में पारित किया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १३ फरवरी, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ फरवरी, १९६३ को प्राप्त हो गई है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं—

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर विधान सभा ने अपनी दिनांक १३ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक १५ फरवरी, १९६३ को बिना किसी संशोधन के पारित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ फरवरी, ९६३ को प्राप्त हो गई और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित घोषणा करता हूं—

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ८ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था

---

*छापे नहीं गये।

[सचिव, विधान सभा]

तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक १३ फरवरी, १९६३ को बिना किसी संशोधन के पारित हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ फरवरी, १९६३ को प्राप्त हो गई है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा--

मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित घोषणा करता हूं:--

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३ पर जो उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १६ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से दिनांक १९ फरवरी, १९६३ को बिना किसी सिफारिश के वापस प्राप्त हो गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ फरवरी, १९६३ को प्राप्त हो गई है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

आश्वासन समिति का सोलहवां प्रतिवेदन†

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति का १६ वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत प्रतिवेदन में सन् १९५९ के उन १२९ आश्वासनों के सम्बन्ध में स्थिति बतलाई गयी है जो समिति के षष्ठ तथा सप्तम प्रतिवेदनों को सदन में प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे। विचार करने के पश्चात् समिति ने ११२ आश्वासनों को पूर्ण मान लिया है अथवा उनके सम्बन्ध में संबंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को संतोषजनक माना है। अवशिष्ट १७ आश्वासन अभी अपूर्ण हैं। दुख का विषय है कि तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी इनकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति को यह आभास हुआ कि जो आश्वासन पूर्ण हो गये हैं, उनकी पूर्ति की दिशा में भी समिति द्वारा निर्धारित समय का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि जिन आश्वासनों की पूर्ति समिति द्वारा निर्धारित समय में हो सकती थी, उनकी पूर्ति भी नहीं की गयी। यह भी देखने में आया कि आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में समिति को सूचना भेजने में अत्यधिक तथा अनावश्यक बिलम्ब किया गया है जैसे परिवहन विभाग से सम्बन्धित आश्वासन संख्या २८८ की पूर्ति १९६१ में आवश्यक आदेश जारी करके कर दी गई थी परन्तु समिति को इसकी सूचना १४ जनवरी, १९६३ को दी गयी। समिति यह समझने में असमर्थ है कि वह क्या कारण थे, जिनके फलस्वरूप समिति को समय पर सूचना नहीं दी गयी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिवेदन अभी छपा नहीं है। एक दो दिन में छपने प्रेस भेज दिया जायगा। जब यह छप जायगा तब सदस्यों में वितरित कर दिया जायगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह नहीं कह सकता कि यह प्रतिवेदन माननीय सदन के सदस्यों को कब तक मिल सकेगा। इसी समिति का १२ वां प्रतिवेदन ८-१-१९६२ को छपने के लिये प्रेस भेजा गया था, परन्तु प्रेस का सहयोग प्राप्त न होने के कारण उसकी पांडुलिपि ३ मार्च, १९६२ को सदन में प्रस्तुत की गयी थी। उक्त प्रतिवेदन ३१ अगस्त, १९६२ को अर्थात् लगभग ८ माह के बाद छप कर प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार समिति के १४ वां तथा १५ वां प्रतिवेदन सदन में १० दिसम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु लगभग ३ मास व्यतीत

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने पर भी अभी तक नहीं छप सके हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा सूचना मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कोई ऐसी व्यवस्था प्रेस में कर दें जिससे सदन की समितियों के प्रतिवेदन १५–२० दिन में छप जाया करें ।

अन्त में समिति सरकार के विभिन्न विभागों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है जिन्होंने आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में समय समय पर सूचना देकर समिति को अपना सहयोग प्रदान किया। इस प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं इस समिति सें सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

इस प्रतिवेदन में आपने देखा कि कई बार उन्होंने असहायता प्रदर्शित की है कि सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह कार्यवाही करेंगे कि विभाग उचित समय में उत्तर दे और समय के अन्दर रिपोर्ट छपे। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

मुझे दुख है कि इस दिशा में उतनी तेजी से काम नहीं हो पाया जैसा कि माननीय श्रीपाल सिंह जी ने सदन के सामने अपनी बातें रखी हैं। यह जमाना जरा एक ऐसा था जिसमें बजट इत्यादि भी तैयार होना था और इसमें उन लोगों को काम करना पड़ा जो कि प्रतिवेदन इत्यादि को छापते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस दिशा में उन अधिकारियों का ध्यान खींचूंगा और उनसे कहूंगा कि जो चीज माननीय श्रीपालसिंह जी चाहते हैं और जिस तेजी से चाहते हैं, वह करें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय के सदन में किये गये कार्यों के विरुद्ध जिला सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकाशित परचे के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास कई सूचनायें विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की आई हैं। उनमें ३,४ में तो एक ही विषय है। माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी का एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। वह यह है कि दिनांक ५ मार्च को एक पर्चा बांटा गया था। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और मैं इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज रहा हूं। इसमें लिखा है :—

"विधान सभा तथा उसकी समिति और सदस्यों के विशेषाधिकार वे ही हैं जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के अथवा उसकी समिति और सदस्यों के हैं। सदन के नियमों की अवहेलना उसके विशेषाधिकार की अवहेलना है" ।

"कल दिनांक ५ मार्च को करीब साढ़े बारह बजे दिन को एक परचा जो श्री श्यामनारायण सिंह, सदस्य, जिला सोशलिस्ट पार्टी, श्री केशवसिंह, संयुक्त मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, तथा श्री हुबलाल दुबे, भूतपूर्व मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर, के नाम का छपा हुआ हजारों की संख्या में विधान सभा के बाहर तथा अन्दर, जो रास्ता लाबी को जाता है, के सामने गेट पर खड़ा होकर बांटा गया। इस परचे की एक प्रतिलिपि नत्थी है। इस प्रतिलिपि में मेरे विधान सभा में कार्य करने, विधान सभा के अधिकारियों से मिल कर प्रश्न कर्ताओं में अपना नाम लिखाने तथा ७ फरवरी के नत्थी 'ख' के प्रश्न २६ से २८ की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विधान सभा में पूरक प्रश्न न कर भाग गया, क्योंकि मैं सम्बन्धित अधिकारियों तथा दूकानदार से सौदा पटा लेता हूं और जब प्रश्न आता है तो गायब हो जाता हूं।

[श्री उपाध्यक्ष]

जबकि वास्तविकता यह है कि सदन में हमेशा प्रश्नों के घंटों में मौजूद रहता हूं तथा उस दिन भी मौजूद रहकर पूरक प्रश्न कारतूस की चोरी के सम्बन्ध में किये हैं। गोरखपुर में कारतूस की चोरी के सम्बन्ध में माननीय गृह उप मंत्री, श्री नवलकिशोर जी से बातें कर उस सम्बन्ध में जांच करने के लिये उन्हें मजबूर किया जिसकी उच्चाधिकारी द्वारा जांच भी हो रही है जिसकी सूचना सदन में माननीय गृह उप मंत्री ने स्वयं मेरे पूरक प्रश्न के उत्तर में दिया है। इस प्रकार के भ्रमात्मक परचों को बांट कर प्रदेश की जनता तथा विधायकों के अन्दर मेरे सदन में किये गये कार्यों के प्रति भ्रम फैलाया गया है तथा वास्तविकता से दूर रखने की चेष्टा की गयी है। इस प्रकार से उपरोक्त व्यक्तियों ने मुझे जनता की निगाह में गिराने हेतु षड़यन्त्र किये, मेरे सदन का कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने में बाधा पहुंचायी तथा मुझे जनता तथा प्रदेश के विधायकों के अन्दर अपमानित कर मुझे आगे कार्य सदन में करने हेतु धमकाया। इतना ही नहीं, परचे में प्रेस का नाम न देकर प्रेस ऐक्ट की भी अवहेलना की।

इस प्रकार से माननीय सदन व सदस्यों के विशेषाधिकार पर हमला किया तथा सदन की प्रोसीडिंग्स को गलत ढंग से जनता के समक्ष रखा।"

यह माननीय नरसिंहनारायण जी का नोटिस है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

आपने कहा कि अन्य सदस्यों ने भी दिया है। हम लोग जानना चाहते हैं कि अन्य कौन-कौन महानुभाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बतलाऊंगा। पहले इसे पढ़ दूं। पहले परचा पढ़ दूं। वह इस प्रकार है—

"गोरखपुर जिले से विनायकपुर क्षेत्र के विधायक, श्री नरसिंह नारायण पांडेय के काले कारनामों का भन्डाफोड़

भाइयों,

श्री नरसिंह नारायण पांडेय जबसे विधायक चुने गये तब से इनका धंधा जोरों से शुरू हो गया है कि जिले के अधिकारियों और पैसे वालों के भ्रष्टाचार, रिश्वत आदि की शिकायत जब इनके पास पहुंचती है तो जिस अधिकारी के प्रति शिकायत रहती है उस अधिकारी से इनकी दोस्ती हो जाती है। क्यों? यह इसलिये कि इनकी जेब गरम हो जाती है। कैसे? विधान सभा में सवाल भेज देते हैं और जब संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जाता है तब अधिकारी इनको बुलाते हैं और इनका सौदा जब पट जाता, तब प्रश्नोत्तर के समय विधान सभा से एम० एल० ए० गायब हो जाते हैं जिसके कारण श्री नरसिंह नारायण जी द्वारा पूछा गया प्रश्न विधान सभा में आता ही नहीं।

हाल में ही गोरखपुर जिले में कारतूसों की चोरबाजारी का मामला इन्हें विधान सभा में प्रश्न उठाने के लिये दिया गया। प्रश्न जब विधान सभा में आने वाला था, उसी समय चोरबाजारी में शामिल गोरखपुर के भ्रष्ट अधिकारियों एवं दूकानदारों से इनका सौदा पट गया, जिसके कारण जिस दिन प्रश्न विधान सभा में आने वाला था उस दिन ये विधान सभा से भाग गये। इतना ही नहीं, तत्सम्बन्धी फाइल जो एम० एल० ए० साहब को पूरक प्रश्नों के लिये दिया गया था, उसे भी अधिकारियों को सिर्फ इसलिये दिखा दिया कि वे अपना कुकृत्य छिपा सकें।

जब इन्होंने देखा कि यह प्रश्न विधान सभा में दूसरे सदस्य ने रख दिया तो प्रश्न आने के एक दिन पहले ये चुपके से जाकर प्रश्नकर्ताओं में अपना नाम लिखा लिये।

इस प्रकार के अनेकों उदाहरण इनके भ्रष्ट आचरण क विरूद्ध हैं। यदि इनके विधान सभा और अधिकारियों से सौदा पटाने का लेखा-जोखा लिया जाय तो विधान सभा की कार्यवाही से यह स्पष्ट हो जायगा कि इन्होंने विधान सभा में सबसे अधिक प्रश्न उठाया है और प्रश्नोत्तर के समय विधान सभा से अनुपस्थित रहे हैं।

कारतूस के चोरबाजारी के विषय में बाद में विस्तृत विवरण प्रकाशित किया जायगा।"

इसमें ३ हैं--श्याम नारायणसिंह, केशव सिंह और हुबलाल दुब। ये वहां के सोशलिस्ट पार्टी के अधिकारी हैं।

श्री कमलासिंह ने भी इसी आशय का एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया है। उसमें एक नाम.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

"मैं" की जगह "हम" कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

उसमें भी यही बात है। सिर्फ एक नाम और जोड़ दिया गया है, जिसने परचा बांटा है, मेवालाल।

माननीय दुर्योधन प्रसाद और मैनेजर सिंह जी के भी इस विषय के विशेषाधिकार के प्रश्न हैं।

मैं यह सभी कमेटी में भेज रहा हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मैं इसपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आज यह सदन में पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस प्रकार से पढ़ा गया है। ऐसी एक किताब ४२ पेज की माननीय चन्द्रभानु गुप्त की कुनबापरस्ती, भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ माननीय मिश्र ने छपवाई थी और वह हजारों नहीं, लाखों की संख्या में बंटी थी। उस किताब को पढ़ने के लिये सदन में बार-ब र कहा गया, लेकिन उसको चेयर से नहीं पढ़ा गया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन-सी आपत्तिजनक बात थी, जब ऐसे परचे रोज बंटते रहते हैं और माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध था वह नहीं पढ़ा गया था, तब यह पर्चा आपने किस नियम के अनुसार पढ़कर सुनाया ? इसपर आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

सुनिये। इसमें एक खास बात है, वह मैं बता देता हूं उसके बाद इस पर विवाद बन्द हो जायगा। इसमें माननीय नरसिंह नारायण पांडेय, इस आदरणीय सदन के सदस्य के बारे में लिखा हुआ है और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनसे इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना होती है और इसलिये मैंने इसे स्वीकार करके विशेषाधिकार समिति को भेजने का आदेश दिया है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, आपका निर्णय तो शिरोधार्य है लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था। माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ एक ४२ पेज की किताब बंटी थी, जिसमें चन्द्रभानु गुप्त जी जब से सार्व. जनिक जीवन में आये हैं तब से उनके काले कारनामे, बेईमानियों भ्रष्टाचारों और चोरबाजारी तथा उनकी अवांछित कार्यवाहियों के खिलाफ था लेकिन वह पर्चा यहां नहीं पढ़ा गया था। तो क्या वजह है कि इसको पढ़ा गया है ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह मंजूर नहीं हुआ था और यह मंजूर हुआ है इसलिये इसको पढ़कर सुनाना आवश्यक था।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो पढ़ा है, मैं जरा बातें कर रहा था और मैं नहीं जान पाया कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक जीवन की हमारी कुछ परम्परायें हैं और उन परम्पराओं को हमें कायम रखना चाहिये। आज सार्वजनिक जीवन की परम्परायों को बिगाड़ने वाले बाहर ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो कि हमेशा उस मान-मर्यादाओं को बिगाड़ने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। यह मेरा विचार है, निजी विचार है, कोई मुख्य मंत्री के नाते नहीं बल्कि इस सदन के सदस्य के नाते भी नहीं, मेरे निजी विचार हैं जिन्हें मैं व्यक्त कर रहा हूं कि जो लोग इस प्रकार परम्पराओं को बिगाड़ना चाहते हैं और प्रतिनिधिओं और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने वालों के विषय में इस प्रकार की बातें करते हैं तो यह सदन या इसकी कोई कमेटी इस कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले कि वह तमाम उन बातों के अन्दर जाय। यदि किसी सदन के सदस्य के बारे में यह राय हो कि अमुक व्यक्ति ठीक से काम नहीं करता है या गलत काम करता है तो अदालतें खुली हुई हैं न कि यह सदन या सदन की कोई कमेटी। ऐसा मेरा निजी विचार है। आपने निर्णय ले लिया है, आपका निर्णय शिरोधार्य है परन्तु यह सुझाव मैं सदन के सदस्य के नाते सदन के सम्मुख रखता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

व्यवस्था का सवाल है। विशेषाधिकार का सवाल, जो कल आपके यहां पेश किया गया था, उसको बहुत पढ़ लिख कर और समझने के बाद आपने एक फैसला दे दिया और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी किस नियम के अनुसार उसका खंडन कर रहे हैं यह आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं एक बात कहता हूं उससे इसका ज्यादा संबंध नहीं है। यह निर्णय मैंने इसलिये लिया है कि सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य काम करते हैं, वे अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें। इसलिये काफी अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह विशेषाधिकार में आता है। इसीलिये मैंने इसको स्वीकार किया है और विशेषाधिकार समिति के सामने भेजा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और वह इसलिये कि वे राजनीतिक बंदूक चलाने के आदी रहे, मैं इसका कायल हूं। मैं सिर्फ इतना माननीय मुख्य मंत्री जी को क्लेरिफिकेशन दे दूं कि राजनीति में इस तरह से बंदूक चलाया जाना एक बेहतर विचारधारा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह उपयुक्त नहीं है। आप इसको वापस लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं इसको वापस लेता हूं। मुझे इस संबंध में यह कहना है कि मैंने इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को हाउस के सामने क्यों रखा। पूरे पर्चे को पढ़ने के बाद श्रीमन्, आप दो नतीजों पर पहुंचे होंगे। मैं इसके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसके ऊपर विचार करें। मैंने जो सुझाव माननीय अध्यक्ष के सामने रखे हैं, उनमें यह कहा गया है....

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस समय मेरिट्स पर न जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं नियम भी बतलाऊंगा। विधान सभा में मेरा जो कार्य करने का तरीका है उसके ऊपर लांछन लगाया गया है कि मैं विधान सभा सचिवालय से मिल कर अपना नाम बढ़ावा देता हूं। इसलिये यह मेरा ही नहीं पूरी विधान सभा में जो माननीय सदस्य हैं, उनकी मान-मर्यादा का प्रश्न है, आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं उसकी मान-मर्यादा का प्रश्न है।

दूसरा सवाल यह है कि मैंने विधान सभा के अन्दर ७ फरवरी को गोरखपुर के कारतूसों की बाबत सवाल किया। मैंने और माननीय कल्पनाथसिंह जी ने उस प्रश्न को किया और मैंने ही केवल पूरक प्रश्न भी किये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब तो वह सवाल ले लिया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

आप मुझे ५ मिनट दे दीजिये। मैं उसको इसलिये और महत्व देता हूं कि हमने उसके बारे में पूरक प्रश्न किये। उसके विरुद्ध लिखकर हाउस की प्रोसीडिंग्स को मिसलीड किया गया है और विधायकों के बीच में कहा गया कि मैंने भ्रष्टाचारी अधिकारियों से मिलकर काम किया है। मैं इसके संबंध में आपका ध्यान मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस.....

श्री उपाध्यक्ष---

जब मैंने उसको ऐडमिट कर लिया तो फिर इसकी क्या जरूरत है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मेरा प्रोपोजीशन यह है कि यह कन्टेम्पट आफ दि हाउस तथा ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है। उसके लिये मेरे पास रूलिंग है। मैं इतना माननीय मुख्य मंत्री जी तथा उधर के बैठने वालों से जरूर कहूंगा कि जब सिकंदर ने पोरस को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाय तो उसने कहा था कि "जो राजा के साथ राजा करता है।" तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के इस सजेशन से मेरी नैतिकता पर आघात पहुंचता है और इससे साफ पता चलता है कि कौन क्या है और कौन क्या है।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, यह आक्षेप है, इसे आप वापस लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देता हूं और कहता हूं कि जिस समय सिकन्दर के सामने पोरस लाया गया तो सिकन्दर ने यह कहा था कि "तुम्हारे साथ कैसे सलूक किया जाय ?" इस पर पोरस ने कहा कि "एक राजा के साथ एक राजा जो सलूक करता है।" तो मैं भी इस विधान सभा में कहता हूं कि मैं विरोधी दल का सदस्य हूं और उधर के बैठने वालों से मैं उसी तरह की अपेक्षा करता हूं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये इसके ऊपर अब कोई बहस नहीं हो सकती।

(श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर)

देखिये दीपनारायणसिंह जी, आप बैठ जाइये, मैंने माननीय मुख्य मंत्री को बोलने के लिये बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

जब आपने एक विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय ले लिया और उसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया तो फिर उसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री या माननीय नरसिंह नारायण पांडेय या माननीय राधेश्याम शर्मा को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है। वह इश्यू बन कर हाउस के सामने आयेगा, यह किसी के सेंटिमेंट का सवाल नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी बर्बाद कर रहे हैं और इधर से भी समय बर्बाद किया जा रहा है। जब आपने इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया तो उसके बाद इस पर सारी बातचीत समाप्त की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐडमिट करने के लिये कम्प्लेनेंट के सुनने की बात थी, अब मैं मुख्य मंत्री को पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये बुला रहा हूं।

श्री दीपनारायणसिंह---

इस पर कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी की बात को सुनकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ क्योंकि मुझे तो इस बात की कोई जानकारी भी नहीं थी कि कम्पलेनेंट माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी हैं या और कौन है। मैं तो श्री हरगोविन्दसिंह से कुछ बातें कर रहा था, लेकिन आपकी बात सुन कर मेरा ध्यान उधर गया कि यह क्या हो रहा है और बीच में मैंने आपको टोका नहीं क्योंकि मैं हमेशा इस विचार का हूं इस सदन के सदस्य के नाते कि इस सदन को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाय...

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

सुन तो लीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जिससे बाहर कुछ लोगों में एक दूसरे के प्रति रंजिश हो और एक दूसरे के प्रति विभिन्न प्रकार के आरोप लगावें। तो मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों पर यह सदन नोटिस न ले और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं बावजूद इसके कि आपने अपनी रूलिंग दे दी है, मैं इस सदन के एक सदस्य के नाते सुझाव के रूप में आपके सामने रखता हूं कि जिस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि क्या कम्प्लेंट है और कौन कम्पलेन करने वाला है, माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी द्वारा उसके लिये इस तरह की बात कहना उनके लिये भी शोभा नहीं देता और किसी व्यक्ति के लिये भी शोभा नहीं देता और न वह मेरे साथ ही न्याय करता है।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह---

आपकी व्यवस्था के बाद श्रीमन्, ये सारी बातें प्रोसीडिंग्स से हटा देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से एक दूसरे पर लांछन लगाना ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

यह सोशलिस्ट पार्टी का मामला है, सोशलिस्ट पार्टी को आप मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्री झारखंडे राय जी ने दिया है। उस पर मैं कल विचार करूंगा। उसको मैंने अभी देखा नहीं है।

श्री रामायणराय---

मेरा एक निवेदन तो आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री रामायणराय---

अगर मेरी प्रार्थना को आप सुनेंगे तो उससे काम करने में हम लोगों को सहूलियत होगी। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि मान्यवर किसी प्रश्न के ऊपर निर्णय दें और उस प्रश्न के ऊपर पुनः कैसे विचार किया जाय इसके लिये विशेष नियम

निर्धारित किया जा चुका है । इसमें किसी की नीयत का प्रश्न नहीं है बल्कि मर्यादा का प्रश्न है, सदन की मर्यादा की स्थापना का प्रश्न है । मैं आप से आग्रह करूंगा कि आये दिन आप को परेशानी होती है, उसका मुख्य कारण यह है कि हम नियमों के बाहर जाकर काम करते हैं । जिस समय आप ने इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने का आदेश दे दिया सदन में उस के बाद चाहे मुख्य मंत्री जी की नियत कुछ भी रही हो लेकिन नियम ६७ के मुताबिक आपकी रूलिंग के पहले ही श्री नरसिंहनारायण पांडेय या माननीय मुख्य मंत्री को कुछ कहने का अधिकार हो सकता था लेकिन मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द हो जाने के बाद जो कार्यवाही यहां हुई है वह अव्यवस्थित है । अतः मैं आग्रह करूंगा कि सदन की मर्यादा की रक्षा के लिये जिसके लिये कि आप तत्पर हैं, आप पहला काम यह करें कि आप की व्यवस्था के बाद नियम विरुद्ध जितने भी वक्तव्य यहां हुये हैं उन्हें सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश दें, तभी यहां की व्यवस्था ठीक से चल सकती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान....

श्री उपाध्यक्ष---

किसी चीज की जरूरत नहीं है । (व्यवधान) मैं कोई परिवर्तन व्यवस्था में नहीं कर रहा हूं, आप विराज जायं ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो सदन की मर्यादा को देखते हुये केवल दुख प्रकट किया है लेकिन माननीय नरसिंह पांडेय जी....

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप विराजिये ।

(व्यवधान)

श्री एस० जी० दत्त---

इस तरह से हम नहीं बरदाश्त करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर आक्षेप किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठ जायं, अब कोई मौका नहीं है । (व्यवधान)

श्री एस० जी० दत्त---

वह मसला गया हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं ।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के खुल जाने (आउट हो जाने) के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास २ कार्यस्थगन प्रस्ताव आये हैं और २ नियम ५२ की सूचनायें आई हैं । एक तो हाई स्कूल की परीक्षा के संबंध में है कि कुछ पेपर्स आउट हो गये हैं, उनको मैंने नियम ५२ में स्वीकार किया है और उस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी बता दें कि कब वक्तव्य देंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--
जो मंजूर किया गया है, उसको पढ़ दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--
सब के पढ़ने में समय लगेगा, वह मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--
यह परम्परा पढ़ने की पड़ चुकी है....

श्री उपाध्यक्ष--
यह रक्षपालसिंह जी का, राजेन्द्र सिंह जी का था और कार्य-स्थगन प्रस्ताव में दिया था, लेकिन उन्होंने ५२ के लिये कहा था और चन्द्रबलीसिंह जी का था, शिवनाथ सिंह जी का था और श्री काशीनाथ मिश्र जी का है ? इन सब को मैं मंत्री जी के पास भेज दे रहा हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--
मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण नियम ५२ का था, पहले भी वह आ चुका है। यह दारुलशफा से आने का मार्ग ठीक नहीं है और इसके विषय में सदस्यों को (व्यवधान) उस पर स्पष्टीकरण ही दिलवा दिया जाय । इतने दिन हो चुके कुछ नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--
अब आप बैठ जायं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--
श्रीमन्, बरेली से २ लाख की चीनी की चोरी हुई है, इस संबंध में भी वक्तव्य दिलवा दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष--
आप विराजिये ।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--
उपाध्यक्ष महोदय, होली के अवकाश के बाद किसी तारीख को १४ या १५ को मैं वक्तव्य दे दूंगा । (व्यवधान)

मैं कह रहा था होली के अवकाश के बाद, यदि आज्ञा होगी, तो एक वक्तव्य सदन के सामने रख दूंगा । इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो कुछ कार्यवाही इस समय सरकार कर रही है उसके संबंध में पूरा ब्यौरा १४ या १५ को रख दूंगा और इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अभी सरकार ने जो कुछ कार्यवाही की है, जो आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये और जो शीघ्र होनी चाहिये, वह कर रही है ।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--
अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे ।

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री अजीज इमाम)---
उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें वर्तमान बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडिएट एजूकेशन के सदस्य सर्वश्री जगदीश शरण अग्रवाल एवं दीपनारायणमणि त्रिपाठी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण दिनांक १३ सितम्बर, १९६३ को होने वाले रिक्त स्थान पर पुनर्संगठित किये जाने वाले उक्त बोर्ड में कार्य करने के लिये, इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ४ के साथ पठित धारा ३ की उपधारा (१) के मद (एम) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, वर्तमान बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन के सदस्य सर्वश्री जगदीश शरण अग्रवाल एवं दीपनारायणमणि त्रिपाठी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण दिनांक १३ सितम्बर, १९६३ को होने वाले रिक्त स्थान पर पुनस्संघटित किये जाने वाले उक्त बोर्ड में कार्य करने के लिये इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ४ के साथ पठित धारा ३ की उपधारा (१) के मद (एम) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९६३-६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २३--सहकारिता

*सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या २३--सहकारिता के अन्तर्गत ३,१२,५४,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यह मांग जो रखी है इसका ब्रेक अप इस तरह से है : क्रेडिट स्कीम में ९७.४०४, कोआपरेटिव फार्मिंग में ६.१५२, कोआपरेटिव मार्केटिंग स्कीम पर १.६५८, ट्रेनिंग और एजूकेशन और नान-आफिशियल्स ट्रेनिंग पर १९.९३९, लेबर स्कीम पर .७६८, पब्लिसिटी और प्रोपेगेन्डा पर .६, एडीशनल स्टाफ पर ४.५००, स्पेशल स्कीम और कन्ज्यूमर्स स्टोर्स १५.९१८, डेरिंग स्कीम १९.२४९ योग १७३.१८८ लाख टोटल नान-प्लान्ड का है १०७.१४४ लाख इस तरह से कुल टोटल हुआ २८०.३३२ लाख। इसके अलावा आडिट आर्गेनाइजेशन में ३२.२१२ लाख है। तो इस तरह से पूरा ३१२.५४४ लाख यह ब्रेकअप है उस प्रान्ट का जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह सहकारिता का माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमने भारतवर्ष में सोशलिस्ट कामनवेल्थ का अपना एक आदर्श माना है। उस आदर्श को पूरा करने के लिये मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सदस्य भी इस बात जो मानेंगे कि सहकारिता ही एक ऐसा जरिया है, जिसके द्वारा जो हमारा लक्ष्य है सोशलिस्ट कामनवेल्थ का उसको हम पूरा कर सकें। इसके लिये सहकारिता एक खास माध्यम बन जाता है उपज बढ़ाने के लिये। हमारा देश गरीब है और बिना उपज बढ़ाये देश की हालत सुधर नहीं सकती और उपज बढ़ाने में तभी कामयाबी मिल सकती है कि जिनके पास साधन नहीं है वे सहकारी ढंग को अपनायें। मुझे ऐसा विश्वास है कि हमने सहकारिता का जो ढंग अपनाया है उसमें पूंजीवादी तरीके में जो शोषण होता है, कम्पेटीशन होता है वह नहीं हो सकता और दूसरे तानाशाही तरीके में जो दबाव व जोर जबरदस्ती होती है उसमें कोई गुंजायश नहीं रहती। यह कोआपरेशन का आन्दोलन है। अगर सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी के लक्ष्य को पूरा करना है तो हम को इस निगाह से इसे देखना पड़ेगा कि कितना महत्वपूर्ण कार्य यह है।

हमारे उत्तर प्रदेश में जहां तक देहाती रकबे का ताल्लुक है एक करोड़ के करीब कुटुम्ब हैं। जो किसानों के परिवार हैं उनमें करीब-करीब आधे परिवारों को कोआपरेटिव आन्दोलन में शामिल कर लिया है। जहां तक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज का ताल्लुक है ४३ फीसदी परिवार इन सोसाइटीज में शामिल हो गये हैं हमारा लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

अन्त तक ७५ फीसदी परिवारों को शामिल करने का है। आपको यह जानकार खुशी होगी कि आल इंडिया एवरेज २४ फीसदी है जबकि हमारे प्रदेश का ४३ फीसदी है। हमारे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन काफी प्रगति कर रहा है। इसका एक्सटेंशन काफी हुआ है। हमें इसे कंसालिडेट करना है। एक्सटेंशन जो हुआ है उसमें काफी काम हुआ है। रूरल एग्रिकल्चरल प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज सन् ४७ में १३,०३९ थीं और उनकी मेम्बरशिप ३ लाख ३२ हजार थी। सन् ५०-५१ में जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तब हमारी सोसायटियों की संख्या २६,३९६ थी और उनकी मेम्बरशिप ८ लाख ५१ हजार थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद अब इस समय हमारी हालत यह है कि ५२ हजार से ऊपर तो हमारी प्राइमरी सोसायटीज हैं और मेम्बरशिप ४३ लाख से ऊपर पहुंच गयी है। सब तरह की सोसायटीज को अगर लिया जाय, मार्केटिंग सोसायटीज, कोआपरेटिव फार्मिंग सोसायटीज वगैरह को, तो इनकी तादाद १ लाख ६५ हजार होती है और मेम्बरशिप करीब ५१ लाख के है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारा काम कितना बढ़ गया है। इनमें वर्किंग कैपिटल अगर देखें तो १३९ करोड़ रुपया हो गया है और शेयर कैपिटल और डिपाजिट्स दोनों मिला कर प्राइमरी ऐग्रीकल्चर सोसायटीज में १४.५५ करोड़ रुपये है और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स में शेयर कैपिटल और डिपाजिट्स १६.४३ करोड़ रुपये है और यू० पी० बैंक में १५.९८ करोड़ है। तो जहां तक कैपिटल का ताल्लुक है, जिसमें सरकार का हिस्सा शामिल नहीं है जो केवल मेम्बरों ने अपना डिपाजिट किया है वह इतना हो गया है। हमारे यहां ७२,३९० गांव सभायें हैं और इन सब में हमारा कोआपरेटिव का काम फैला हुआ है। जो सोसायटीज हमारे यहां कर्जा देती हैं, उनकी तादाद ७३० लार्ज साइज सोसायटीज की है और २२ हजार के करीब मल्टी परपज सोसायटीज हैं और २२ हजार से ऊपर सर्विस कोआपरेटिव्ज हैं। लेकिन हमने एक बात यह की है कि अब यह नम्बर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिये कि एक तो हम करीब-करीब ज्यादातर गांवों को कवर कर चुके हैं और दूसरे तजुरबे ने हमें यह बतलाया कि तरह तरह की सोसायटीज बनाने के बजाय हम केवल ऐसी सर्विस कोआपरेटिव सोसायटीज बनायें जो अपना खर्चा स्वयं निकाल सकें। अभी हमने जो स्कीम बनायी थी वह लार्ज स्केल सोसायटी की थी। तो हम एक पैटर्न कर रहे हैं कि चाहे दो गांव सभाओं को मिला कर हो, चाहे एक गांव सभा में हो जिसकी कम से कम तीन हजार की आबादी हो और उसके ५-६ सौ के करीब सदस्य हों। ऐसी सोसायटी अपने पैरों पर खड़ी रह सकेगी। इस साल हमारा टारगेट ४ हजार सर्विस कोआपरेटिव बनाने का था। वह हमने करीब-करीब पूरा कर लिया। आयन्दा हमने केवल २ हजार का टारगेट इसलिये रखा है कि अब हम इसी पैटर्न पर सोसायटी कायम करेंगे। फिर भी २ हजार बढ़ जायेगी लेकिन इस तरह से सब एक पैटर्न की बन जायंगी। इस तरह से हमारा क्रेडिट का काम हो रहा है। एक बात मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि कोआपरेटिव का काम ज्यादातर गांवों में खेतिहर लोगों की मदद करने के लिये है और इसके लिये किसानों को साधन मुहैया करना है। अभी तक किसानों को कर्जा देने का ही काम होता रहा है, लेकिन अब हमने सर्विस कोआपरेटिव्ज के जरिये यह तय किया है कि कुछ रुपया कैश में और कुछ रुपया सामान की शक्ल में जैसे फर्टिलाइजर्स, हल, बीज वगैरा की शक्ल में किसानों को दें जिससे उनकी पैदावार में बढ़ोत्तरी हो। इस तरह से जो रुपया कैश में लेते थे, उसका अपव्यय होता था। अब पूरा का पूरा खेतों में सामान की शकल में पहुंचेगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा। सहकारिता का असली मकसद लोगों को मदद देना, साधन देना है और जो यह रुपया रखा गया है यह एक काफी अच्छी रकम है। इस साल का टारगेट ४२ करोड़ रुपये देने का था उसमें से ४० करोड़ रुपया दिया जा चुका है। अगले साल सन् ६३-६४ में ४८ करोड़ रुपया देना है, जो सर्विस कोआपरेटिव्ज के जरिये दिया जायगा। इसमें नई पालिसी बना रहे हैं कि नकद रुपये के साथ-साथ कुछ परसेंटेज सामान की शकल में दिया जाय। इसके लिये यह किया है कि जो बढ़ती हुई क्रेडिट है। जैसे ४० करोड़

का हमारा टारगेट था अब वह ४८ करोड़ का हो गया है तो ८ करोड़ रुपये का हम सामान की शक्ल में किसानों को देंगे। इससे पूरा का पूरा रुपया खेतों में लगेगा। इस तरह से हम हर साल बढ़ाते जायंगे और जो अन्तर होता जायगा उसको सामान की शक्ल में देने की कोशिश करेंगे ताकि सारा रुपया खेतों में जाय और पैदावार बढ़े। दूसरी चीज यह कि हम इस क्रेडिट को मैटीरियल से लिंक करना चाहते हैं।

दूसरी चीज यह है कि यह जो रुपया जायगा, इसके लिये हम चाहते हैं कि मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये उसकी वसूली हो। इससे दो लाभ होंगे। यह सोसाइटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इससे किसानों को ज्यादा पैसा मिल सकेगा और वसूली में आसानी होगी। अब मैं यह अर्ज करूं कि सहकारिता में ज्यादातर लोग मध्यम श्रेणी के आये हैं। नीचे क्लास के लोग, जो समाज का वीकर क्लास कहलाता है, उसने कम फायदा उठाया है। इसी वजह से देहात का जिनको तजुर्बा होगा वे जानते होंगे कि बड़े लोगों को दो रुपये प्रति सैकड़ा सूद पर रुपया मिलता है तो बेचारे उन गरीबों को जिनकी साख नहीं है, उनको कम से कम एक आना रुपया माहवार उनको देना पड़ता है। तो वीकर सेक्शन आफ दि सोसायटी हमारी इस पालिसी के अनुसार फायदा नहीं उठा पाता था। अब हमने थर्ड फाइव इयर प्लान में यह रखा है कि अब हमारा कर्जा देने का मापदंड यह नहीं होगा कि हैसियत के हिसाब से कितना रुपया दिया जा सकता है। एक तो यह होगा कि उसकी जरूरत कितनी है। हम पैदावार का गोशवारा बनायेंगे और उसके अनुसार जो कर्ज की जरूरत होगी, उसको देंगे। दूसरे यह होगा कि वीकर सेक्शन को रुपया मिले। जिनके पास साख नहीं है उनको सोसाइटियां रुपया देने में हिचकेंगी कि उनका रुपया मारा जा सकता है। उसके लिए थर्ड फाइव इयर प्लान में १५० लाख रुपया रखा गया है और इसलिए रखा गया है कि जो कमजोर इंसान है---उनको हमने ३ १/८ एकड़ या ३ १ ८ से कम माना है। ऐसे किसानों को हम कमजोर किसानों में मानेंगे। बुन्देलखंड में सवा छः एकड़ और पहाड़ में ५ एकड़। इस तरह से डिवीजन किया गया है ऐग्रीकल्चर सोसाइटी का। अब उनको कर्जा देने के लिए थर्ड फाइव इयर प्लान में १५० लाख रुपया रखा गया है, प्राइमरी सोसाइटीज जो कर्जा देगी। अगर कर्जा मारा जाय तो जो बढ़ा हुआ कर्जा होता है, मान लीजिये एक हजार रुपया कर्जा इस साल मिला है, दूसरे साल अगर ज्यादा कर्जा चाहते हैं, तो जो तीन फीसदी बढ़ा हुआ रुपया उनको मिलेगा उसकी तीन फीसदी हम ग्रांट देंगे इस लिए कि वीकर सोसायटीज को रुपया दें और उनका रिस्क कवर हो सके। इसी तरह से जिलों को बैंकों को एक फीसदी हमारी तरफ से ग्रांट दी जायगी वह रुपया इन काश्तकारों के लिए जायगा जो वीकर सोसाइटी के लोग हैं। इस स्कीम से जो सहकारिता का मकसद है वह पूरा होगा और समाज का नीचे का तबका इससे मुस्तफीद होगा।

अब मैं अर्ज कर दूं। उत्तर प्रदेश में जो हमारे मेम्बर्स रुपया लेते हैं उसका एवरेज १७५ रुपया का जाता है। उसकी वसूली भी करीब-करीब हो जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो ओवरड्यूज रह जाते हैं वह १२.३ है जबकि बहुतों का ऐवरेज २० का है। इस प्लान पीरियड में और ज्यादा हम काश्तकारों की मदद कर सकें इसलिए विचार किया गया है---यह तो अब तक मैंने प्राइमरी सोसाइटीज का जिक्र किया और इसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट बैंक्स हैं। यह करीब-करीब सभी जिलों में हैं, चन्द जिलों को छोड़ कर इसकी ब्रांचेज तहसील हेडक्वार्टर्स में हो जायं इसलिए ५४ ब्रांचेज खोलने का विचार है। इस तरह से ८० लाख रुपया जिलों में शेयर कैपिटल हो जायगा, ९० लाख रुपया डिपाजिट बढ़ जायगा ताकि हमारा काम और ब्रांचेज में चले। जो और ब्रांचेज खोलेंगे तो रुपये की जरूरत होगी। कुछ रुपया यहीं से हो जायगा। कुछ रुपया रिजर्व फंड से मिलता है। तीन तरह का आर्गेनाइजेशन है---पहले विलेज लेविल पर प्राइमरी सोसाइटी है, जिला लेविल पर डिस्ट्रिक्ट बैंक्स या सेंट्रल

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

बैंक्स हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारा यू० पी० कोआपरेटिव बैंक है। सारा दारो-मदार क्रेडिट का उत्तर प्रदेश की कोआपरेटिव बैंक पर है। जैसी साख यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की होगी उसी तरह से नीचे का काम चलेगा और यह खुशी की बात मैं अर्ज करूं कि और चाहे जो बातें हों, लेकिन आपका यू० पी० कोआपरेटिव बैंक एक बड़ा साउंड बैंक माना जाता है रिजर्व बैंक आफ इंडिया में। उसका सबूत यह है कि और स्टेट्स में जो स्टेट बैंक्स हैं उनको क्रेडिट जब रिजर्व बैंक देता है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी गारन्टी करनी पड़ती है। हमारे उत्तर प्रदेश के कोआपरेटिव बैंक को बिना स्टेट गवर्नमेंट के गारन्टी किये उसी की अपनी साख पर, अपने डिपाजिट्स के रुपये पर और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पर उसको रिजर्व बैंक आफ इंडिया से क्रेडिट मिलता है। इस तरह से हमारी साख बड़ी अच्छी है और हमारे कोआपरेटिव बैंक को कर्जा अपने आप मिलता है। केवल अलीगढ़ का जो प्रोग्राम चला जिसमें इन्टेन्सिव तरीके से कर्जा दिया जा रहा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ गारन्टी दी है। जो हमारे टार्गेट्स थे शेयर कैपिटल के, मेम्बर्स के द्वारा वह करीब ढाई करोड़ रुपये के थे और डिपाजिट्स का टार्गेट १० करोड़ ८० लाख था, ये दोनों अचीव हो गए हैं। इस तरह से हमें उम्मीद है कि चूंकि हमारे बैंक की साख अच्छी है इसलिए जहां तक क्रेडिट का काम है वह हमारे प्रदेश में अच्छा चलेगा।

तीन तरह के लोन्स हम देते हैं, शार्ट टर्म लोन, जिसकी वसूली एक साल के अन्दर हो जाती है, मीडियम टर्म लोन जिसकी वसूली दो तीन साल के अन्दर होती है और लांग टर्म लोन तो वह सोसायटीज देती हैं और मीडियम टर्म लोन जो सेंट्रल बैंक्स हैं या प्राइमरी सोसाइटीज हैं वह देती हैं। लांग टर्म लोन को डेवलप करने की बड़ी मांग थी क्योंकि कुछ कर्जे ऐसे थे कि जिनकी वसूली हर साल नहीं हो पाती थी, जैसे जो जमीन के इम्प्रूवमेंट के लिए कर्जा लिया जाय या कोई और बड़ा काम करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह के लिए कर्जा लिया जाय तो उसको वह जल्दी अदा नहीं कर सकते। उसके लिए लांग टर्म लोन देने की जरूरत थी, तो एक लैंड मार्गेज बैंक की स्थापना इस काम के लिए अपने प्रदेश में हुई है। इस साल इस बैंक का अच्छा काम हुआ है। साढ़े ७५ लाख के करीब कर्जे उनके सैंक्शन हो गये हैं और ४५ लाख कर्जा लांग टर्म का भी दे दिया गया है।

(इस समय १२ बजकर ३६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

इस लैंड मार्गेज बैंक की भी हमारी साख अच्छी है। पिछले दिनों हमने कुछ डिबेंचर्स फ्लोट किये थे तो दो घंटे के अन्दर वह ओवर सबस्क्राइब्ड हो गये थे और ३८ लाख के करीब डिबेंचर्स इस समय में हो गए थे। तो इस तरह से लांग टर्म लोन के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस साल का हमारा जो टार्गेट है वह ५ करोड़ रुपये का है लांग टर्म में रुपये देने का और मीडियम टर्म का ४ करोड़ है। हम लोग कोशिश यह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसके द्वारा भी सेवा कर सकें। एक बात और अर्ज कर दूं। उसके ऊपर कुछ ऐक्शन हुआ है। आल इंडिया पटेल कमेटी मुकर्रर हुई थी और उस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि सारे कर्जे सिर्फ सहकारिता के जरिये से दिये जायं। उस पर विचार हो रहा है। उस पर जब काम होगा तो यह सारा काम और ज्यादा अच्छी तरह से होने लगेगा ऐसी हमको आशा है।

यह कर्जे के बारे में बतलाया जो खेती की उन्नति के लिये और किसानों की मदद के लिये सर्विस कोआपरेटिव और दूसरी कोआपरेटिव प्राइमरी के जरिये से किया जा रहा है। एक दूसरा काम किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिये जो किया जा रहा है वह कोआपरेटिव फार्मिंग का है। वह भी बहुत ही आवश्यक है। यह हो सकता है कि कहीं-कहीं काम सही न हो लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यह काम सही तरीके पर चल पड़ा है और हमको उम्मीद है कि इसमें काफी सफलता मिलेगी। हमारे यहां अभी तक ६५० कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियां संगठित हुई हैं और १३,५०० उसके मेम्बर हैं। १ लाख एकड़ जमीन पर हमारी कोआपरेटिव फार्मिंग

का काम हो रहा है। जब इस मद पर बहस की जाय तो एक बात नजर में रखा जाय कि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये जो हमको जमीन मिलती है और हमारे मेम्बरों को जमीन मिलती है वह चन्द जगहों को छोड़कर सभी जमीन ऊसर, बंजर और परती मिलती है। इसलिये उसमें पैदावार करने में कुछ समय लगता है कि पैदावार को एवरेज तक ले जायं। इन ६५० सोसाइटियों में १०० कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो एवरेज से ऊपर गेहूं और चावल की पैदावार कर रही हैं और इनकी कोआपरेटिव फार्मिंग हमारे यहां अच्छी चल रही है। इसको हम अकेले ही नहीं कहते हैं इसको दिल्ली से पार्लियामेंट के कुछ सदस्य देखने के लिये आये थे। वे और जगह भी गये थे लेकिन हमारे यहां भी आये थे। जब हमारे यहां उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमारी कोआपरेटिव फार्मिंग को देखा तो उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि ये बहुत सन्तोषजनक हैं और कई सोसाइटीज के लिये उन्होंने कहा कि ये बहुत आइडियल है और उनमें अच्छा काम हो रहा है। इसलिये पैदावार के काम से जो यह कोआपरेटिव फार्मिंग का काम सम्बन्ध रखता है इसमें भी हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाये। इसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। अपनी मर्जी से जो लोग इसमें शामिल होना चाहें वे शामिल होते हैं। लेकिन यह खुशी की बात है कि लोगों का ध्यान इस तरफ हो रहा है और काफी लोग इसमें आ रहे हैं। हमको उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा काम इसमें दिखा सकेंगे। इसलिये मैंने यह बतलाया कि किसानों की पैदावार बढ़ाने में और उनकी मदद करने में कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी कायम करना हम चाहते हैं जिससे पैदावार ज्यादा हो। एक चीज और बतलाऊं कि जो कोआपरेटिव फार्मिंग हैं या कोई सोसाइटी है उसमें मेन आइडिया यह होता है कि उसके कार्यकर्त्ता कैसे हैं। एक दफा मैं रूस का हाल पढ़ रहा था तो उसमें एक आबजर्वर जो इंगलैंड का था उसने बतलाया था कि जैसा उसका प्रेसीडेंट है उसी तरह की वह सोसाइटी होगी। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि किसी भी कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का या किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी का काम वैसा ही होगा जैसा उसका सरपंच होगा और जैसे उसके सदस्य होंगे। असल में यह मेम्बरों के ऊपर डिपेन्ड करता है कि वे किस तरह से मिल जुलकर काम करते हैं। काम करने का ढंग और आदमी अच्छे होंगे तो फायदा और अधिक सामने आयेगा।

जो किसान पैदा करने वाला है, उसका गल्ला दूसरे स्थानों पर भेजने की जरूरत होती है कि वह किस तरह से वहां जाकर बेंचे। जब वह शहर में जाकर बेचता है तो बाजार में तरह-तरह की छीनाझपटी होती है और तरह-तरह से उसको धोखा दिया जाता है। उसके लिये हमने मार्केटिंग सोसाइटी को आर्गनाइज किया है। इस बात की सब को खुशी होनी चाहिये कि हमारी मारकेटिंग सोसाइटी का काम हिन्दुस्तान भर में सब से अच्छा माना जाता है या १, २ स्टेट ऐसी होंगी जो हमारे बराबर इस काम में हो। अभी हम २०० मंडियों में मारकेटिंग सोसाइटी का काम कर रहे हैं। उन मारकेटिंग सोसाइटीज में जो हमारे पास ६१-६२ के फिगर हैं उनके अनुसार उन मंडियों में लगभग २३.९२ लाख क्विंटल माल आया। जहां जहां हमारी मारकेटिंग सोसाइटी हैं उनमें जितना अराइवल हैं, उसमें हमारी मारकेटिंग सोसाइटियां, कमजोर सोसाइटी और अच्छी सोसाइटी को लेकर भी, १२ प्रतिशत माल को डील करती है। मिर्जापुर जिले की एक मंडी अहरौरा है वहां पर हमारी मारकेटिंग सोसाइटी सारे माल की आमद का ६२ फीसदी डील करती हैं। कासगंज में ४५ फीसदी है, मैनपुरी में ४६ फीसदी है, और जसवन्तनगर इटावा में ४५ फीसदी है। आप इस तरह से देखें कि हमारी मारकेटिंग सोसाइटीज बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। उन सोसाइटीज के अलावा हमने प्रोसेसिंग यूनिट्स भी कायम किये हैं। जैसे कच्चे माल को उदाहरण के तौर पर धान को चावल बना देना, चने को दाल बना देना या गन्ने की शकर या गुड़ बना देना। इस तरह के ५३ यूनिट्स प्रोसेसिंग के कायम किये गए हैं। उनसे किसानों को खासा अच्छा लाभ हो रहा है। मारकेटिंग सोसाइटियों से किसानों को बहुत लाभ होता है। इसी तरह से हम आगे भी यूनिट्स कायम करने जा रहे हैं।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

दूसरी चीज यह है कि किसानों को अपनी मारकेटिंग सोसाइटियों में गल्ला जमा करने में फायदा होता है । पहले उनको रुपया दे दिया जाता है । मान लीजिये उनका गल्ला जमा कर लिया गया और उनको एडवान्स में रुपया दे दिया गया । जब भाव अच्छे हो गए तो उनके गल्ले को बेच दिया गया । तो इससे उन किसानों को बहुत लाभ होता है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

यह किस इन्टरेस्ट रेट पर दिया जाता है, इसकी क्या दर है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वह तो ज्यादा नहीं है । जो भी सोसाइटीज फिक्स करती हैं, वही लिया जाता है । एक और काम है, स्टोरेज का । वेयर हाउसिंग का काम कुछ हमारे कारपोरेशन के जरिये से हो रहा है । उसमें भी काम काफी अच्छा हुआ है । काफी मंडियों में स्टोरेज किया गया है । एक बात कहूंगा कि जो गल्ला आता है, वह स्टोरेज में हमें मिल सकता है । परन्तु फिर भी जल्दी से इस काम को इसलिये नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें यह दिक्कत है कि हमको बिल्डिंस नहीं मिलती ह और जल्दी से वह बन भी नहीं सकती हैं । आप देखें कि मैटीरियल्स की और जमीन की तमाम दिक्कतें पड़ती ह । वैसे भी स्टोरेज का काम हमारे प्रदेश में और प्रदेशों के मुकाबले में बुरा नहीं है । बल्कि अच्छा ही है । इस संबंध में यह खुशी की बात है कि हम जो किसानों का गल्ला जमा करते हैं १०-१२ फीसदी वेयर हाउसिंग स्टोरेज में, वह किसी और स्टेट में इतना किसानों का गल्ला नहीं जमा होता है । एक मैंने उदाहरण की बात बताई और दूसरी मारकेटिंग की बताई और प्रोसेसिंग की बताई । अब एक बात मैं और बता देना चाहता हूं जिससे कि वह सबका ताल्लुक है और जिस काम को हम सब को मिल कर बनाना है, मेरा तात्पर्य कन्जूमर्स सोसाइटीज से है । लेकिन इसको लेने के पहले एक जिक्र कर दूं कि अब एक सेक्शन रह जाता है, जिसकी तरफ अभी तक हमारा कोई ध्यान नहीं गया है । वह मजदूरों की लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने का कार्य है । इनको बनाना हम उतना ही जरूरी समझते हैं, जितना कि किसानों की । लेकिन आप देखें कि उसमें बड़ी दिक्कत पड़ रही है और तमाम ड्राबैक्स तथा हर्डिल्स हमारे सामने हैं । उनको हमको धीरे-धीरे दूर करना है । अभी तक हमने १२५ लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज संगठित कर ली हैं और कुछ काम भी करने लगी हैं । कुछ को काम भी मिला है । हमें उम्मीद है कि पी० डब्ल्यू० डी० और फारेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग उनको मिलेगा । उसके अलावा हम अपनी तादाद बढ़ा सकेंगे । इस तरह से आप देखें कि लेबर कोआपरेटिव्ज की शुरूआत हुई है और अच्छी हुई है तथा उम्मीद यह है कि यह काम भी अच्छा चलेगा ।

एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कोआपरेटिव के संबंध में जो कि कहा जाता है और वह कार्य कन्जम्पशन का है, कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स सोसाइटीज का है । हर आदमी कन्जम्पशन करता है, वह चाहे बड़ा हो और चाहे वह गरीब आदमी हो । गरीबों के लिये तो उसकी और भी ज्यादा जरूरत है कि उनको सही कीमत पर और अच्छा माल मिल सके साथ ही साथ वह शुद्ध भी हो । शुद्ध मिले यह जरूरत रह जाती है । खास तौर से इस इमर्जेंसी के मौके पर । आज नहीं है तो जरूरत पड़ सकती है । इसलिए एक सेंटर से एक स्कीम चली है कि कंज्यूमर्स सोसाइटीज खोली जायं और सेंटर से उसमें मदद मिल रही है । पहले ५ कवाल टाउन्स में और मेरठ गोरखपुर और बरेली--इस तरह से ११ चल रही हैं । कंज्यूमर्स सोसाइटी और उसके साथ-साथ २०-२० प्राइमरी सोसाइटीज आर्गेनाइज करेंगे । हमारे चालू वर्ष में १६० प्रायमरी सोसाइटीज और ८ होल-सेल कंज्यूमर्स आर्गेनाइज होंगी और आने वाले वर्ष में १९ होल-सेल और ३८० प्रायमरी कंज्यूमर्स सोसाइटीज होंगी और ५०,००० आबादी का जो कस्बा होगा उसमें कंज्यूमर सोसाइटी अवश्य होगी, ऐसा प्रयत्न रहेगा । जो जिले के हेडक्वार्टर हैं वहां ५० हजार से कम भी हो तो वहां भी खोली जायंगी । हमने एडीशनल रजिस्ट्रार, यंग आफिसर आई० ए०

एस० को रख लिया है और स्टाफ भी रहेगा। लखनऊ और कानपुर में शुरुआत हो गयी है, और जगह भी काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि काम अच्छा चलेगा। मेम्बर लखनऊ में ८३५ बन गये और ८,३४५ रुपया शेयर मनी आया है। टोटल मेम्बर्स हैं ६,३०५ और ६२,६८१ रुपया २५ नये पैसे शेयर मनी इकट्ठा हुआ है। २ महीने से शुरुआत हुई है और आशा है यह काम अच्छा चलेगा।

जहां तक सामान का प्रश्न है उसमें गल्ला, साबुन, तेल जो नेसेसिटीज की चीजें हैं और जिस चीज की उस लोकेलिटी में जरूरत होगी उसको कंज्यूमर्स सोसाइटी के जरिये से पूरा करने का विचार है और लोगों को अच्छा माल मिले, हम प्राइस लाइन होल्ड किये रहें यह भी काम होगा। दूसरे यह कि जहां जहां कंज्यूमर्स सोसाइटीज होंगी वहां प्राइवेट डीलर्स को मौका नहीं होगा कि वह दाम बढ़ा दें। देवरिया में और देवरिया जिले भर में कंज्यूमर सोसाइटी ने इतना अच्छा काम किया है और प्राइवेट ट्रेडर्स का मुकाबला किया है और उन्होंने कीमत नहीं बढ़ने दी है। असल मकसद यह है कि कीमतें न बढ़ने पायें और लोगों की सेवा हो सके। गांवों में भी हम साढ़े सात सौ यूनिट खोलेंगे, ऐसी स्कीम है। पिछली हमारी कंज्यूमर्स सोसाइटीज ने अच्छा काम किया था, उसमें से एक यहां की लाल बाग की है और एक देवरिया की है, और भी हैं और वह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो सोसाइटियां आज काम कर रही हैं उनका १०८ के करीब नम्बर है। पहले ४८० थीं। कुछ डिफंट हो गयी हैं। (हंसी) यह हंसने की बात नहीं। वह अंग्रेजों के जमाने में कायम हुई थीं, वार टाइम में एक खास मकसद को लेकर कायम की गयीं, उन्होंने वह काम पूरा किया, उसके बाद खत्म हो गयीं। तो मैं कोई उसकी वकालत नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि जो भी काम अच्छा है, उसे हमें करना चाहिये, भले ही शुरू में हम उसमें फेल हों। जब अच्छा काम होगा, अच्छे आदमी आयेंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)––

क्या गरीब और मजदूर इस स्कीम से लाभ उठा सकते हैं? उनको तो इसका इल्म ही नहीं हो पाता।

श्री चतुर्भुज शर्मा––

इसके लिये हमारी पूरी-पूरी कोशिश है और हमने इसके लिये इंसट्रक्शन भी दे रखे हैं कि कंज्यूमर्स सोसाइटी गरीबों के इलाके में खोली जायं और वहां लोगों को उसकी इत्तिला की जाय। हमने वहां उसका चन्दा भी कर दिया है ताकि हर आदमी उसका मेम्बर बन जाय। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी यह पूरी कोशिश रहेगी कि गरीब इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पायें।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि शहरों में दूध की ज्यादा जरूरत होती है। उसके लिये हम अलग से एक योजना बना रहे हैं। कानपुर में भी यूनिसेफ की मदद से हमने ७८ लाख की एक योजना बनाई है और भी हमारी योजनायें हैं। इसके अलावा बरेली और देहरादून में भी हमारी एक योजना चल रही है और उसके लिये हम जमीन वगैरह एक्वायर कर रहे हैं। मथुरा गोरखपुर आदि में भी कुछ योजना है। मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशहर आदि के लिये हमारी एक दूसरी योजना है। वहां पर अभी करीब १५० मन के करीब दूध इकट्ठा होता है सोसाइटियों द्वारा, हमारी योजना है कि वह ४ हजार मन तक हो जाय।

श्री मुमताज मुहम्मद खां––

इस तरह से सारा दूध शहरों में आ जावेगा, देहात वालों को कैसे मिलेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

मैं अर्ज करूं कि अगर मान लीजिये यह योजना देहात में चलाई जाय और शहरों में नहीं, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि फिर और प्राइवेट कांट्रैक्टर्स उस दूध को वहां से लायेंगे। प्राइवेट कम्पनीज उसको वहां से मंगा लेंगी और वह लोग १०–१५ रुपये मन

[श्री चतुर्भुज शर्मा]
पर लायेंगे और ज्यादा भाव पर यहां बेचेंगी। वे ज्यादा मुनाफा कमायेंगे और किसानों को नुकसान होगा। हमारी इस योजना से डबल फायदा होता है। एक तो कन्ज्यूमर्स को फायदा होता है दूसरे किसानों को अच्छा पैसा भी मिल जाता है।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी जो योजना बुलन्दशहर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के लिये है, उसमें जो स्किम्ड मिल्क की प्राइस मिलती है ६ परसेंट सेचुरेटेड स्किम्ड मिल्क की वह बहुत कम है उससे जो प्राइवेट कम्पनियों, जैसे ग्लैक्सो वगैरह से, तो क्या आप कोई कोआपरेटिव कलेक्शन सेंटर बनावेंगे जिससे स्किम्ड मिल्क वाले बाध्य हो सकें और करेक्ट प्राइस किसानों को दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वैसे आज जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर मैं देने के लिये तैयार हूं लेकिन अभी मुझे अपनी बात कह लेने दें। आपने जो पूछा है तो उसके लिये मैंने कहा कि हमारी स्कीम ४ हजार मन दूध प्रतिदिन कलेक्ट करने की है। जब कोई योजना होती है तभी हम कहते है कि इस्टैब्लिशमेंट करेंगे और खर्चा करेंगे। इसीलिये मैं कहता हूं कि मेरठ वगैरह में जो भी काम चल रहा है, उसमें हमारी स्कीम ४ हजार मन प्रतिदिन दूध कलेक्ट करने, बेंचने और किसानों को फायदा पहुंचाने की है। (व्यवधान) आप सुन लें। फिर आपको पूरा मौका मिलेगा। जितना भी डिस्कशन करना चाहें उसके लिये मैं तैयार हूं। तो जो आज पोजीशन है वह यह है कि हम प्रतिमन अपनी क्षमता को बढ़ावें। हमारी जो डेयरीज काम कर रही हैं उनके जरिये हम ७६० मन प्रतिदिन ७ शहरों में देते हैं। हमारा मतलब यह है कि यह जो हमारी क्षमता सेकन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्त तक थी वह २३४० मन प्रतिदिन की हो जाय तो मैंने जैसा आपसे बताया था कि जो यह मेरठ वगैरह की स्कीम है, उसमें हम १,५०० मन प्रतिदिन दूध अब इकट्ठा करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, क्या अभी आप और बोलेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, ५ मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

अगर २,१ मिनट में आप खत्म कर सकें तो करें, नहीं तो २ बजे के बाद बोलियेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ठीक है, तो २ बजे के बाद ही बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दुग्ध सहकारी समितियों के बारे में जो हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जिक्र कर रहा था। मैं बतला रहा था कि अभी हम यूनियन्स के द्वारा कितना दूध सप्लाई कर रहे हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य क्या है। उसके लिये जहां-जहां योजनायें चल रही हैं उनका भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया। इसमें सबसे मुख्य योजना कानपुर की है। वह ७८ लाख रुपये की योजना है। यूनिसेफ ने हमें ३२ लाख रुपये की मदद की है और यह उन्होंने मशीनरी के रूप में दिया है, इसको हमें लौटाना भी न पड़ेगा बल्कि उनकी शर्त यह है कि १६ लाख उसमें और मिलाकर ४८ लाख रुपये का दूध

नीचे के लोगों को, मजदूर वगैरह को, जिनकी मार्जिनल इनकम से भी कम इनकम है, उनको मुफ्त दूध पहुंचाये। उस योजना के अन्तर्गत कानपुर में गरीबों को और खाकसर स्कूल जाने वाले बच्चों का काफी लाभ होगा।

जैसा कि मैंने बताया दूध सप्लाई करने का काम सहकारिता के आधार पर चल रहा है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज को हमने बाई प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिये भी इजाजत दे दी है। ऐसी एक कम्पनी इटावा में है और एक अलीगढ़ में है ग्लेक्सो। जैसा कि मैंने बताया मिल्क यूनियन्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है जिनकी मिल्क की सप्लाई में पूरी-पूरी मोनोपली है। ग्लैक्सो कंपनी को यह यूनियन दाम के बारे में टर्म्स डिक्टेट करता है और जो दाम किसानों के दृष्टिकोण से सही पड़ता है वह लिया जाता है। लेकिन दिल्ली मिल्क फैक्ट्री एक ऐसी फैक्ट्री है जो प्राइवेटली भी दूध कलेक्ट करती है और कोआपरेटिव से भी लेती है। अभी हम उनको थोड़ा दूध दे रहे हैं लेकिन हमारी स्कीम है कि हम उनको ४ हजार मन दूध दें हालांकि उनकी डिमांड तो ६ हजार मन की है। जब हम उनको इतना दूध दे पायेंगे तो उसे भी दाम डिक्टेट कर सकेंगे। इसी प्रकार से इटावा और मुजफ्फरनगर में कोआपरेटिव्स बना कर हर फैक्ट्रीज के मुनाफे को कर्ब करना हम चाहते हैं और मिल्क कलेक्टिंग सेंटर्स बना कर कोआपरेटिव्स के जरिये से किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार से कोआपरेटिव्स के द्वारा काफी मात्रा में दूध सप्लाई किये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और तो मैं बाद में जवाब में कहूंगा लेकिन एक प्वाइंट मैं अभी अर्ज कर दूं, इस स्कीम से हमारा उद्देश्य यह है कि इस प्रदेश में किसानों के द्वारा दूध की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़े क्योंकि तभी किसान के बच्चे भी दूध खा सकेंगे। जिस तरह से किसान का सरप्लस गल्ला बाजारों में आता है उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे यहां के किसानों के पास इतना दूध सरप्लस होने लगे कि अपने खाने के बाद वह अपने दूध को शहरों में जाकर बेंचे। इसी उद्देश्य से हम किसानों को अच्छे नस्ल की गाय, भैंस व दूसरे जानवरों के लिये कर्जा व तरह-तरह की सहायता देते हैं, जिससे घी-दूध की प्रोड्यूस बढ़ जाय। सहकारिता के द्वारा हम चाहते हैं कि इस दूध के काम में भी किसानों को फायदा हो। जो गांवों में रहते हैं, आप हम सब जानते हैं किसानों के लिये जो दूसरी सबसिडियरी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें पशुपालन का ही एक ऐसा धंधा है जो उसकी खेती की पैदावार में ऐड करता है। जैसे जानवरों से खाद मिलती है, गायों से बछड़े मिलते हैं और इसके साथ ही इस काम में किसानों को और ज्यादा फायदा होने लगे, यही हमारी इस स्कीम की मंशा है। सहकारिता की मंशा यही है कि दूध की पैदावार बढ़े और उससे किसानों को ज्यादा पैसा मिले।

जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि सहकारिता के काम के लिये एजूकेशन ट्रेनिंग और पब्लिसिटी का भी प्रबन्ध किया गया है, क्योंकि लोगों को किस तरह से हिसाब-किताब रखना चाहिये, इसके लिये शिक्षा की जरूरत पड़ती है। इसके लिये एक खास ट्रेनिंग चाहे आफिसर्स हों या नान-आफीसर्स हो, उनको देनी पड़ती है और इस तरह की ट्रेनिंग के लिये व शिक्षा के लिये भी हमने इस बजट में रुपया रखा है। इसके हमारे ८-९ सेंटर्स हैं जहां कि हमारे आफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं। उनमें काफी मात्रा में हमारे सुपरवाइजर्स, इन्सपेक्टर्स वगैरह हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन नान-आफिसर्स के लिये हमने सचल शिक्षा टीम की एक योजना बनायी है और इस समय हमारी १०४ टीमें काम कर रही हैं जो लोगों को जाकर, जो गांवों में आफिस बियरर्स हैं, कोआपरेटर्स हैं और जो गांवों में सहकारिता का काम करते हैं, उन सब को शिक्षा देती है। उनका नम्बर अब हम दुगुना यानी २०८ कर रहे हैं और इस साल करीब १ लाख ९३ हजार नान-आफिशियल्स को ट्रेनिंग देने का हमारा प्रोग्राम है और हर साल हम दो लाख या उससे भी ज्यादा आदमी ट्रेंड करने की आशा करते हैं जो लोगों को जाकर तैयार करेंगे।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं और वह यह कि हमारा सहकारिता आन्दोलन सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक यह जनता का आन्दोलन न हो जाय और वह स्वयं अपने हाथ में इसको ले। सोसाइटी जनता बनाती है और हमारी मंशा है कि जो इसमें आफिशियल्डम है वह खत्म हो। आफिशियल्स का कम से कम इंटरफीयरेंस रहे,

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

केवल सलाह दे सकें। हम इस पर जोर दे रहे हैं कि अफसरों का काम इस आन्दोलन में कम से कम हो और इसके लिये हम एक बिल ला रहे हैं, उसमें सारी तरमीमात जो कुछ आजकल के लिये जरूरी हैं वह करेंगे और मुझे उम्मीद है जब आपके सामने बिल आयेगा तो आप उसे पास करेंगे। तो इसमें असली चीज यह है कि जनता किस तरह से अपने इस आन्दोलन को चलाये। जैसा मैंने कहा था यह आन्दोलन करीब-करीब हर परिवार से ताल्लुक रखेगा। हमारा जैसा समाज होगा, जिस तरह के आदमी उसमें काम करेंगे वैसा ही नतीजा निकलेगा। इसलिये जरूरी है कि अच्छी तरह का नेतृत्व आये, ईमानदार लोग आयें और इसके लिये हम ट्रेनिंग वगैरह की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि इसमें जो सज्जन अच्छे आदमी हैं वह आयेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि कोआपरेटिव के काम में सब लोग दिलचस्पी लें ताकि अच्छे आदमी हमको मिलें और उनके सुपुर्द यह काम कर दिया जाय क्योंकि इसमें रुपये पैसे का मामला रहता है। अगर आदमी अच्छे नहीं होंगे तो जनता रुपया नहीं देगी क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिये इस आन्दोलन की सफलता इस पर है कि अच्छे आदमी आयें ताकि जनता की आमदनी, उसका जीवन स्तर बढ़े, खेती की पैदावार बढ़े और लोगों का शोषण न हो। अच्छे आदमी बनाना ही इस आन्दोलन का मकसद है। ज्यों ज्यों सोसाइटीज अच्छी होती जायंगी यह काम भी उतना ही अच्छा होता जायगा। मैंने सदन का काफी समय लिया, इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से माफी चाहता हूं और इन शब्दों के साथ विश्वास करता हूं कि सदन इस अनुदान को पास करेगा।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३--सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-- विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मैं इस बात को मानता हूं कि विरोधी पक्ष में बैठने के कारण हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम बेकार की आलोचना करें या आलोचना करने के लिये आलोचना करें। मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि सहकारिता बड़ी महत्वपूर्ण चीज है मगर वास्तव में सहकारिता तभी अच्छी चीज हो सकती है जब वालेंटेरिली इसको लोग चलायें। मैं स्वतंत्र पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं और मैं दावा करता हूं कि अगर वास्तव में सहकारिता को कोई सफल बनाना चाहता है तो यह स्वतंत्र पार्टी है। अगर आप आज्ञा दें तो १,२ शब्द पढ़ देना चाहता हूं जो हमारे उद्देश्य और लक्ष्य में है "The Swatantra Party believes in consumer co-operative societies, co-operative banks, industrial-Co-operatives and multipurpose co-operatives for the agriculturists. The party believes that the co-operative movement can only serve its objective to the extent that it remains a voluntary and non-official one. सहकारिता आन्दोलन, मूवमेंट है क्या ? सहकारिता के माने यह नहीं हैं कि १० आदमी बैठकर दुकान खोल लें। सहकारिता के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ साइन्टिफिक रिसर्चेज उसकी हो चुकी है और जिन सिद्धांतों का पालन करना उसकी सफलता के लिये आवश्यक है। मैं २--४ शब्द इस रिपोर्ट से पढ़ना चाहता हूं, यह है "दि प्रिंसिपल्स आफ कोआपरेशन" इसमें लिखा है कि "Open membership, democratic control (one-man-one vote), distribution of the surplus to the members in proportion to their transactions, limited interest on capital, political and religious neutrality." यह खास चीजें इसकी हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक संतुलित और विशद वर्णन किया है और मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री जी एक ऊंचे दरजे के आजादी के सेनानी रह चुके हैं और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये बड़ा काम किया है। मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

देश की उन्नति नहीं चाहते लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो सरकार की नीति है, जिसके कि वह भी पुरजे हैं वह दूसरी ओर ही जा रही है। वह इस सहकारिता आन्दोलन की वास्तविक नीति पर न चलकर किसी दूसरे काम के लिये, कोई दूसरी व्यवस्था बनाने के लिये कुछ साधन उसको बना रहे है। खुद ही मंत्री जी ने बहुत सी बातें कही हैं और माननीय सदस्यों ने अभी सुना होगा कि मंत्री जी ने अधिकतर कहा है कि हम ऐसा करेंगे, यह करने जा रहे हैं। इसके माने हैं कि यह आन्दोलन स्वेच्छा से नहीं चलेगा, इसके माने हैं कि इस आन्दोलन को सरकार की इच्छा पर चलना है, जिस तरह से सरकार चाहेगी उसको चलायेगी और जैसी रूपरेखा उसकी वह चाहेगी बनायेगी। यह हमारा विरोध है और ऐसे सहकारिता आन्दोलन का हमें विरोध करना ही चाहिये।

जहां तक डेमोक्रेटिक सिद्धांतों का संबंध है हमारा मूवमेंट सहकारिता का पूर्णरूप से डेमोक्रेटिक होना चाहिये, मेम्बर यह समझें कि हमारी राय का कुछ मतलब है। आज सारा सदन जानता है कि आज का सहकारिता आन्दोलन कहां तक जनता तक पहुंचा है। आज साधारण किसान नहीं जानता कि यह आन्दोलन हमारा है या सरकार का है, वह नहीं समझता कि यह काम जो हम कर रहे हैं इसके मालिक हम हैं या सब-रजिस्ट्रार साहब हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण इस सरकार की नीति है। कोआपरेटिव ऐक्ट की दफा ११(अ) आप देखें तो उसमें डायरेक्टर महोदय को इन समितियों का सेमी-गार्ड बना दिया गया है। उसमें यह अधिकार है कि रजिस्ट्रार अपनी इच्छा से डायरेक्टरों की इच्छा के विरुद्ध जो संशोधन नियमावली में चाहें कर सकता है और यह समझा जायगा कि बोर्ड के डायरेक्टर्स ने ऐसा ही पास किया है। इस तरह से कहां से स्वेच्छा का या डेमोक्रेटिक नीति का प्रतिपालन हो सकता है और कैसे इसको जनता अपना आन्दोलन समझ सकती है ?

होता क्या है ? मैं बहुत विस्तार में न जाकर केवल २–४ बातें ही आप की खिदमत में रखना चाहता हूं कि किस तरह से आदमी समझे कि यह सहकारिता का आन्दोलन हमारा है। आज जितने बोर्ड हैं या समितियां हैं उन में कितना हमारा या जनता का कंट्रोल है इसको हम और आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। एक पैनल दे दिया जाता है और इतना लिमिटेड नम्बर होता है कि आप उसके बाहर नहीं जा सकते। बोर्ड के डायरेक्टर जो चाहें वह करते हैं। हर चीज प्रेस्टिज इशू बन जाती है। इन चीजों से जाहिर होता है कि कहां तक हम अपनी नीति को डेमोक्रैटिक बनाये हुये हैं, वह सरकार की अपनी नीति हो जाती है। जो आर्बिट्रेशन बनाया गया है उसके मुख्य सिद्धांत होते हैं। मैं अधिकतर अपनी बात सैद्धांतिक रूप से ही कहूंगा क्योंकि और बहुत सी बातें तो हमारे दूसरे साथी भी कहेंगे। आर्बिट्रेशन बोर्ड कैसा होता है ? दो पार्टियां होती हैं जिनके मुताल्लिक कोई झगड़ा होता है। दोनों की सलाह से आर्बिट्रेशन बन जाता है, लेकिन यहां रजिस्ट्रार महोदय अपने मन से आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देते हैं और उस आर्बिट्रेटर की अपील भी उन्हीं के पास जानी है। जो आर्बिट्रेटर होगा वह जब विभागीय है और एक आदमी के मातहत ही उसकी नियुक्ति की गयी है और उसी के पास अपील जानी है तो कहां तक वह मुंसिफाना इंसाफ कर सकता है यह अन्दाज लगाया जा सकता है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सोसाइटियों की बहुत कुछ रूपरेखा बदलनी है। कुछ लार्ज स्केल सोसाइटीज बन रही हैं। रोज सुनते हैं कि छोटी-छोटी सोसाइटीज हैं, १०–२० मिला दी गयी हैं। सदस्य जानते ही हैं क्या मतलब हुआ। मालूम हुआ कि १० आदमियों की सोसाइटी थी, अब लार्ज स्केल सोसाइटी हो गयी। सरकार की इच्छा है कि लार्ज स्केल सोसाइटीज बनें इसलिये इतनी सोसाइटीज अमलगमेट कर दीं। बहुत सी सोसाइटीज जो फायदे पर चल रही थीं लेकिन १० निकम्मी सोसाइटीज मिला दी गयीं इससे वह भी डूब गयी और उनका उत्साह डूब गया। कुछ अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं तो काम में सुधार होता है। लेकिन अब उनका भी सुधार खत्म हो गया। तो यह सिस्टम जो है काम करने का सोसाइटीज का यह बिलकुल भिन्न है और माननीय मंत्री

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

जी जो लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं वह इस सिस्टम से पूरा नहीं हो सकता। आज नहीं, सालों से सुनता आता हूं, बड़े जोरों से डंका पीटा गया और राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि कोआपरेटिव ऐक्ट उनकी सरकार बदलने जा रही है। इन्तजार किया हम लोगों ने। खबर हुई कि बिल बन रहा है। सदन में पेश होने की बात हुई लेकिन आज तक नौबत नहीं आई क्योंकि सरकार की नीयत दूसरी है।

जैसा मंत्री जी ने कहा अगर इसे कोआपरेटिव न कह कर स्टेट ट्रेडिंग कहा जाय तो मुनासिब होगा। वह चाहते हैं कि मेम्बर बना कर पहले जाल में फंसा लो और फिर स्टेट कंट्रोल के अन्दर उसे रखें और अपनी सारी स्कीमें, सारी पार्टी की नीति को उसके द्वारा संचालित किया जाय। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि पार्टी का इंटरफियरेंस इसके अन्दर नहीं होना चाहिये और न धर्म का इंटरफियरेंस होना चाहिये। हमारा दुर्भाग्य है कि छोटी चीजों पर हम बहुत जल्दी चले जाते हैं। वे चीजें तो दूर हो जायंगी लेकिन सरकार इसे अपनी राजनीति का खिलौना बना कर चलाना चाहती है जिसमें हमको बड़ी आपत्ति है।

इतने बोर्ड्स है, इतने डी०सी० डी० एफ० हैं। आप देखें कि उनमें एक दल विशेष के लोग रखे जाते हैं। जो सरकारी दल के लोग हैं वही उसके सेक्रेटरी, डायरेक्टर नामिनेट किये जाते हैं। कोई भी संस्था गैर-सरकारी संस्था के नाम से बनाई जाय लेकिन वह राजनीतिक परवरिशखाता बन जाती है। जो बड़ा नेता हार जाय तो कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। उसके नीचे का नेता हार गया तो डी०सी०डी० एफ० का डायरेक्टर या नामिनी मेम्बर हो गया। डायरेक्टर वगैरह के लिये भी नियम है कि एक आदमी दो, तीन दफा नहीं हो सकता लेकिन उसके लिये भी नियम है कि रजिस्ट्रार यदि चाहें तो उसे मुक्ति दे सकते हैं। नियम है तो सबके लिये होना चाहिये। रजिस्ट्रार साहब क्या चाहेंगे यह तो अन्दाजा लगाया ही जा सकता है। जो सरकार चाहती है वही वह चाहेंगे। इस परवरिशखाते का उदाहरण मैं अपने जिले का देना चाहता हूं। गोंडा जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन है वहां जो हालत है उसे मंत्री जी जानते हैं। महज परवरिशखाता होने से ५० हजार रुपया फूंक दिया गया। एक विधायक जो उस दल में बैठने वाले हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, वह जब मेम्बर नहीं चुने गये तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का सेक्रेटरी बना दिया और उन्होंने मनमाना काम किया, चूंकि छूट थी, सरकार के नुमायन्दे थे। मौजूदा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने १७ हजार रुपये का गबन उनके जिम्मे निकाला है। हाय तोबा मची। उसके प्रेसीडेन्ट हैं डिप्टी कमिश्नर। लोगों ने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि यह बड़ों की बात है, बड़ों से जाकर कहो, हमारी हिम्मत नहीं है। मौजूदा सेक्रेटरी से कहा गया। सेक्रेटरी चूंकि पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टीमैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। ३१ जनवरी को कुछ मेम्बरों ने दफा ४०९ में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस ने आज तक जांच नहीं की क्योंकि सरकारी दल के थे। सब-इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं है कि उस मामले की जांच करे। और वह कागज मंत्री जी, रजिस्ट्रार साहब, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी कोआपरेटिव, डी०डी० आर० सब के पास भेजा गया। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? इन चीजों को कहने का मतलब यह है कि अगर आप सहकारिता का आन्दोलन चलाना चाहते हैं तो जो उसके सिद्धांत बनाये गये हैं उन पर अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो जनता समझेगी कि यह हमारी चीज है और वह उसमें दिलचस्पी लेगी और अगर आप इस उद्देश्य से चलाना चाहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग और स्टेटिज्म कायम करें और उस नक्शे पर जायं जो हमारे पड़ोसी चीन वगैरह का है तो उसके लिये और दूसरी बहुत सी चीजें हैं, कोआपरेटिव का नाम लेकर आप इसे ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते।

सन् १९५७ में सर माल्कम डार्लिंग को प्लानिंग कमीशन ने सलाह लेने के लिये बुलाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मैं नाम नहीं लूंगा उस सूबे का, उन्होंने नाम लिया है,

उन्होंने लिखा है कि मुझे अफसोस है कि यहां के कोआपरेटिव मूवमेन्ट को आफिशल इंटरफियरेन्स व्हाइट ऐंट की तरह खाता चला जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्री जो, जिन्होंने देश में बड़े-बड़े काम किये हैं, बड़े-बड़े त्याग किये हैं और हर ओहदे पर रह चुके हैं, कम से कम इसको राजनीतिक और दलबन्दी से अलग रखेंगे। वे तो उस दल से संबंधित हैं जिसके हाथ में राज सत्ता है। पार्टी को कायम रखने के बहुत से और तरीके हैं, इसके जो उद्देश्य हैं उसी के लिये छोड़ा जाय। सहकारिता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आदमी में स्वाभिमान आये, अपने पैरों पर खड़े होना सीखे, अपनी माली हालत को बढ़ाये, मिलजुल कर काम करना सीखे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको एक्सप्लायट करके ट्रट्टी की ओट में शिकार खेलें तो वह सहकारिता नहीं है। मंत्री जी ने जो बयान किया वह जरूर अच्छी चीजें हैं लेकिन वह बनायी किस उद्देश्य से जा रही हैं? समाजवादी सरकार बनाने के लिये, और वह राजवादी सरकार बनाने का जो असली उद्देश्य है उस उद्देश्य से चलायी जा रही हैं।

कोआपरेटिव फार्मिंग का हमारे मंत्री जी ने जिक्र किया और उसकी प्रशंसा भी की। प्रशंसा करने वाली चीज है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ फायदा भी होता जा रहा है। मगर कोआपरेटिव फार्मिंग कोई नयी चीज नहीं है। उसका अन्तिम लक्ष्य जो स्टेट फार्मिंग का है वह रूस, चीन आदि सभी देशों में अपनाया गया है। पहले इसका नाम कोआपरेटिव फार्मिंग हुआ। यह सारे देशों में सफल हुआ है। हमारा देश किसी दूसरे भूतल पर नहीं बना हुआ है। वही नतीजा होने वाला है। बाद में जब किसानों से खेती का वास्ता छूट जायगा और किसान कुछ नहीं कर सकेंगे तो स्टेट कंट्रोल की चीज बनने की नौबत आजायगी। यदि इसी चीज पर पहुंचना है तो ईमानदारी से कहना चाहिये। लेकिन हमारे मंत्री जी कहते हैं कि सहकारिता खेती में व्यक्तिगत आदमी का स्वामित्व रहता है, बिलकुल गलत है। मौजूदा ऐक्ट खुद कहता है कि एक मर्तबा सहकारिता खेती में शामिल हो जाइये तो अपनी इच्छा से ३–४ वर्ष तक नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ भी सकते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको वही जमीन मिले जो पहले आपके पास थी। जो जमीन किनारे की होगी वह आपको मिलेगी। इसके अलावा जो जमीन की तरक्की पर खर्चा हुआ है उसका हिस्सा भी आपको देना होगा। सहकारिता खेती की जो किताब पेश की गई है, उससे मालूम होता है कि जमीन में १०० रुपये प्रति एकड़ की पूंजी लग जाती है। मैं पूरा ब्योरा देना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय बहुत लग जायगा। अगर लाल बत्ती हो जायगी तो मैं कुछ कह भी नहीं सकूंगा। अब बताइये किसकी हिम्मत है जो अपनी जमीन छुड़ाये। यह सारी चीजे इसमें हैं। मंत्री जी खुद कहते हैं कि ४२ प्रतिशत सोसायटी ऐसी हो गई हैं जिनकी अनाज की पैदावार १० मन प्रति एकड़ और गन्ने की ३०० मन प्रति एकड़ हो गई है। अगर यही आपका लक्ष्य है तो जरूर तारीफ करें और यह भी तो देखिये कि किस खर्चे के ऊपर यह पैदावार हो गई है, इसका अन्दाजा लगाइये। इस पर भी संतोष करें तो भगवान ही मालिक है इस देश की पैदावार का।

श्रीमन्, सहकारिता खेती जो आजकल चल रही है, उसके सम्बन्ध में एक सरकारी रिपोर्ट है। इसका नाम है "रिपोर्ट आफ दि वर्किंग ग्रुप आन कोआपरेटिव फार्मिंग" यह निजलंगप्पा साहब की लिखी हुई है। इस कमेटी ने ४८ कोआपरेटिव फार्म्स को जाकर स्टडी किया है। यह किस लिये बने हैं और इनका क्या मतलब है? इसके पृष्ठ २६ पर ब्योरा दिया हुआ है। बहुत से लोगों ने तो किसानों को बेदखल करने के लिये बनाये हैं, बहुतों ने कर्जा लेने के लिये बनाये हैं, बहुतों ने अपनी निकम्मी जायदाद को स्टेट के हाथ बेचने के लिये बनाये हैं। आज जाहिर है कि महज सीलिंग से बचने के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं। आपको कोआपरेटिव सोसाइटीज बननी चाहिये, चाहे देश में कल्याण हो या विनाश हो, इससे आपका वास्ता नहीं है।

हमारे मंत्री जी ने इस बात की भी तारीफ की है कि किसान स्वावलम्बी होता जा रहा है। सीड स्टोर, और खाद वगैरह के लिये कंज्यूमर्स सोसाइटीज बन रही हैं। आज से १५ वर्ष पहले

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

सीड स्टोर्स ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के हाथ में थे और इतनी आमदनी हो जाती थी कि पूरे बजट का खर्चा इनकी बदौलत मिल जाता था। आज मौजूदा कोआपरेटिव सीड स्टोर द्वारा सवाया सूद लिया जाता है, लेकिन उनमें ५३ प्रतिशत ऐसे हैं जो लास पर चलते जा रहे हैं। इस साल के ऐग्रीकल्चर के बजट में २० लाख रुपया उनको सब्सिडी देने के लिये रखा गया है ताकि वह सीड स्टोर अपने पैरों पर खड़े हो जायं। जो १५ वर्ष से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके, करोड़ों रुपये का गल्ला ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का इन सीड स्टोर्स को ट्रांसफर किया गया इस अन्डरस्टैंडिंग पर कि कम से कम पूंजी और मामूली सूद वापस कर देंगे। पूंजी तो अलग रखिये, सूद तक वापस नहीं कर सके। आज यह नौबत है कि २० लाख रुपया उल्टा सालाना सब्सिडी दी जा रही है ताकि वह चल सकें। ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता।

लोनिंग के लिये बहुत जिक्र माननीय मंत्री ने किया। लोन कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर हम कर्जदार हो जायं तो कोई लायक नहीं कहेगा, नालायक कहेगा। माननीय मंत्री ने खुद कहा कि १७५ रुपया औसत कर्जा प्रति किसान पर है जबकि १९५०–५१ में १३२ रुपया था। उससे पौने नौ परसेंट सूद लिया जाता है। अगर इंडस्ट्रियल लोन लीजिये, मकान बनाने के लिये कर्जा लीजिये, कारोबार के लिये कर्जा लीजिये तो तीन या पांच परसेंट पर मिलेगा, लेकिन अगर किसान को बीज और बैलों के लिये कर्जा लेना है तो पौने नौ परसेंट सूद लिया जाता है। यही नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का तकावी का लोन कुछ कम सूद पर था, तो कोआपरेटिव वालों ने कहा कि जब आप ५,६ परसेंट पर देंगे तो हम से कौन लोन लेगा? तो अब तकावी का सूद दुगुना जा रहा है ताकि लोग कोआपरेटिव से लोन लेने लगें। यह कोआपरेटिव की तरक्की हो रही है। यह सहकारिता नहीं है "सरकारिता" है। स्टेट ट्रेडिंग के जरिये स्टेटिज्म कायम हो गयी है। चीन के संकट का हम सबने मिल का सामना कर लिया। मगर जो घरेलू संकट पैदा किया जा रहा है वह कोआपरेटिव मूवमेंट के जरिये यहां संकट होगा। चीन में जिस तरह से दो दो रोटी के लिये तरस रहे हैं, वही नक्शा यहां पर भी कायम करने जा रहे हैं। दिन पर दिन पैदावार घटती जा रही है। बाहर से गल्ला आता चला जा रहा है। १५ हजार करोड़ रुपये का गल्ला आ चुका है। अगर कोआपरेटिव की नीति नहीं बदलेंगे तो भविष्य हमारा अंधकारमय है।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे राजा साहब ने सहकारिता के विरुद्ध बहुत कुछ बातें कहीं। चूंकि जिक्र आ ही चुका है इसलिये उसके सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। वैसे तो सहकारिता विभाग इसलिये कायम किया गया है और इसलिये जरूरी भी है। निर्बलों के लिये एक प्रकार से संबल है और सहकारिता के आधार पर ही हम उनको ऊपर उठा सकते हैं, और उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं और आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन देखा जाय आज सहकारिता विभाग में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसमें कुछ बड़े आदमियों का ही हाथ होता है, चाहे वह प्राइमरी कमेटीज हों चाहे जिला स्तर की कमेटी हो। हर जगह यही लोग उसमें डाइरेक्टर के रूप में और संचालक बोर्ड के रूप में घुसे रहते हैं और वहां पर हर तरीके से मनमानी होती है। हमारे गोंडा जिले के डी०सी०डी०एफ० की बात है, वहां पर जो संचालक बोर्ड है उसमें हमारे राजा साहब की तरह के ही लोग हैं और उस बोर्ड की हालत यह हो गई है कि रोजाना वहां पर कोई न कोई सब-कमेटी बनायी जाती है जिसमें आम तौर से दो मेम्बर संचालक बोर्ड के और एक सेक्रेटरी को होना चाहिये, लेकिन पांच, सात, आठ मेम्बरों की कमेटी बनायी जाती है और वह महीनों मीटिंग करते हैं, हजारों रुपया टी०ए०डी०ए० आदि का चार्ज करते हैं उसके बाद में जो फैसले देते हैं वह भी एक अजीब तरह का फैसला होता है। कहा जाता है कि वहां के संचालक बोर्ड के डाइरेक्टर ने १३–१४ हजार रुपये में एक मकान खरीदा था जिसकी ईंटें उन्होंने सब बेंच ली हैं। वह इंटे विकास विभाग के जोइस वक्त निर्माण के कार्य हो रहे हैं

उनमें बेच दी गई हैं क्योंकि वह महाशय उस ब्लाक के प्रमुख भी हैं। अब उस जमीन को डी०सी० डी०एफ० खरीद रही है और उस जमीन के मूल्य का अंदाजा जो लगाया गया है वह ३० हजार रुपया लगाया गया है। जब सेक्रेटरी ने उस पर एतराज किया कि एक्सपर्ट की राय ली जानी चाहिये तो फिलहाल तो बोर्ड रुका हुआ है लेकिन उसके लिये भी कहा गया कि एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट दे दी जाय और सम्भवतः वह ३० हजार रुपया देने के लिये स्वीकार कर लेंगे, ऐसी सम्भावना है।

ऐसी ही एक कमेटी और बनाई गई। एक गोमती नामक क्लर्क है जिसके ऊपर एक भूत-पूर्व सेक्रेटरी साहब ने कुछ चार्ज लगाये गबन के और और तरीके के। जब उसका मामला संचालक बोर्ड के सामने आया तो कहा यह जाता है कि लगातार २३ दिन तक मीटिंग होती रही कि इसके ऊपर चार्ज लगाया जाय या न लगाया जाय। आखिरकार वह आदमी भी भाग खड़ा हुआ है और कई हजार रुपये का उसमें गड़बड़ घोटाला है। यह हमारे डी०सी०डी०एफ० गोंडा के संचालक बोर्ड का हाल चाल है। वहां ऐसे क्लर्क्स हैं कि जो संचालक बोर्ड से मिल कर ऐसे कार्य करते हैं कि रात में शकर रखी गई और सुबह दस बोरे कम निकली। रिपोर्ट यह हुई कि चींटे खा गये। ऐसे-ऐसे का बिल उस संचालक बोर्ड में हैं। ऐसे ही टाटा की सरिया वहां पर आयी वह दो चार दिन में बदलकर कानपुर की मामूली किस्म की सरिया दिखाई गई। जब हल्ला हुआ तो किसी का पता ही नहीं चला। इसी तरीके से इस संस्था द्वारा वहां पर एक कपड़े की दूकान चलायी जा रही थी। वह बहुत दिन तक चली, उसके बाद में उसका भी दिवाला हो गया। जांच हुई १३ हजार रुपये का कपड़े वहां पर दिखाया गया कि बाकी बचा है। हमारे संचालक बोर्ड के डाइरेक्टरों ने उन कपड़ों को नीलाम किया और उसमें ऐसा कुछ गड़बड़ किया कि आज तक बात पकड़ में नहीं आती है। शायद कुल ३ हजार रुपये के कपड़े की बिक्री आती है। इस तरह से गोंडा डी०सी०डी०ए० में अब रुपया नाममात्र को भी नहीं बचा है। केवल जो पूंजी निकल नहीं सकती, वही भर रह गई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गोंडा जिले में अब भी बड़े-बड़े काश्तकार हैं फार्म वाले और वह सहकारी खेती के नाम पर भी सरकार से अनुदान लेते हैं। अगर वास्तव में देखा जाय तो यह सब सहकारी समितियां फर्जी हैं और अपने हरवाहे चरवाहे को उसमें भर्ती करके वह सरकार से अनुदान लेते हैं और उलटे सरकार को कोसते भी हैं कि सहकारिता विभाग में यह गड़बड़ी है और वह गड़बड़ी है। इस तरीके की बातों के लिये अगर कोई उपाय आप सोचें कि यह जो बड़े लोगों से दिक्कतें पैदा होती हैं वह बन्द हो जायं तो सहकारिता विभाग गरीबों की मदद करने में वास्तव में कामयाब हो सकता है।

श्रीमन्, मैं कुछ बातें और निवेदन करना चाहता हूं। अभी डी०सी०डी०एफ० को कुछ रुपये की गड़बड़ी की बात कही गई। यह तरीका बड़ा गलत है कि इस तरह से हो। मंत्री जी को इसके लिये सोचना चाहिये कि एक सेक्रेटरी, जो आप अपनी तरफ से नामजद करते हैं जब वह सेक्रेटरी हटता है और दूसरा सेक्रेटरी आता है तो वह उस पुराने की बुराई सोचने लगता है। लिहाजा हिसाब के जो काग़ज पत्र होते हैं वह उनको गायब कर देता है और उस सेक्रेटरी पर चार्ज लगाता है। यही झगड़ा गोंडा डी०सी०डी०एफ० में भी आज चल रहा है। पहले सेक्रेटरी के जमाने के जो काग़ज और वाउचर थे वह आज सब गायब हैं। पता नहीं चलता है कि कैसे किया जाय। संचालक बोर्ड के लोग अपना भत्ता बना रहे हैं। वह दिवाला खसका रहे हैं। उस संस्था की सेवा के लिये और जनता के हित के लिये कोई ध्यान नहीं है। सारा ध्यान पैसा इकट्ठा करने की तरफ दिया जा रहा है। मैं इस संस्था के सुधार के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो तकावी के कर्जे की वसूली के लिये अमीन रखे जाते हैं वह.....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं और राजा साहब की बातों का समर्थन कर रहे हैं या विरोध में ?

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप जारी रखें ।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल--

श्रीमन्, यह जो अमीन लोग होते हैं यह कमीशन पर रखे जाते हैं । जब वह गांवों में वसूल करने के लिये जाते हैं तो उनको उसके लिये कमीशन मिलता है । जब वह सरकारी पैसा वसूल करते हैं तो उनको कमीशन उस पर मिलता है लेकिन वह काश्तकारों से भी गलत-सलत पैसा लेते हैं । उनको कमीशन की जरूरत होती है तो काश्तकारों से भी वह पैसा ले लिया करते हैं यह तरीका बन्द किया जाय तो बड़ी अच्छी बात होगी ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सीलिंग जोत पर निर्धारित की गई है वह भी कुछ कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है । जो लोग ज्यादा जमीन जोतने वाले थे उनसे आज वहां पर सरकारी अफसरों की वैधानिक कुछ कमजोरी के कारण जमीन निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है । अगर वह जमीन निकल आये तो सहकारिता के आधार पर उनको जमीन मिल जाय, जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं और उनको अपनी तरक्की करने का काफी अवसर मिल जाय लेकिन आज सारे हमारे जिले में बड़े-बड़े काश्तकार हैं, उनके पास ट्रैक्टर हैं और बड़ी खेती होती है तो पता नहीं है कि आपकी सीलिंग कहां तक कामयाब हो रही है । इस बुराई को आप दूर करने की कृपा करें । इसीलिये आज बड़े लोगों की शिकायत है और इसीलिये आज सहकारिता का विरोध किया जा रहा है ताकि पूंजीवाद पनप सके और समाजवादी समाज की व्यवस्था कायम करने के लिये सरकार जो प्रयत्न कर रही है उसमें रुकावट पैदा की जाय । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने थोड़े से कार्यकाल में सहकारिता विभाग में काफी तरक्की की है । आज गांव में हर प्रकार के खेती के वैज्ञानिक औजार, खाद और बीज मिलने लगा है और अन्न की पैदावार में काफी मदद मिल रही है । मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राजा साहब के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी तक तो केवल राजा साहब और हमारे एक मित्र कांग्रेस की ओर से अभी बोले हैं और इन दोनों के मत के अनुसार यह सहकारिता विभाग की जितनी वर्किंग है, उसमें कुल गड़बड़ घोटाला ही पता चलता है । फिर कोई सज्जन उसकी तारीफ में बोलेंगे, तो अन्य लोग भी उसका उत्तर देंगे । यह एक ऐसा विभाग है, जिसके बारे में तो हृदय पर पत्थर रखकर ही कोई इसकी तारीफ करेगा, अन्यथा जो तनिक भी इसकी वर्किंग से परिचित है, वह बहुत दूर तक नहीं जायेगा । मेरी यदि आप सारी बातें सुनें तो आपको पता लग जायेगा कि मेरे कथन में कितनी सत्यता है, पर तु यदि मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत समय लग जायेगा । राजा साहब ने दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाया है कि यह सहकारिता विभाग क्या है । यह तो केवल सरकारी करण है और मेरा तो ऐसा विचार है कि यह कांग्रेसीकरण ही है । इसी प्रकार से यह विभाग चल रहा है । मैं एक ऐसे जिले से आता हूं, प्रतापगढ़ से, जहां से कि यहां पर पहले कांग्रेस के ही लोग चुनकर आये थे और दूसरे किसी दल के लोग नहीं आये थे । कांग्रेस का ही पूरा बोलबाला था । जो पहले सज्जन थे, उनके हाथ में कोआपरेटिव विभाग का काफी काम था । वह संचालक के रूप में काम करते थे । मैं आपके द्वारा यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उन्हीं की गड़बड़ियों के ही कारण वहां से, प्रतापगढ़ से, कांग्रेस का एकदम वस्ता गोल हो गया । यह उनकी धांधलियों के ही कारण हुआ । मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में जानकारी इस बार इलेक्शन के मौके पर हुई । आप देखें कि प्रायः सभी नेतागण हार गये । उसमें आपकी पार्लियामेंट की भी सीटें थीं । वह सब जनसंघ को मिल गई । एक दिन वहां पर डी०सी०डी० एफ० की मीटिंग डि टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई, उसमें नये एम०एल० ए० होने के नाते हम लोग भी बुलाये गये । मुझे उससे पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी कि क्या गड़बड़ियां हैं । तो वहां पर वह बेचारा जो डिप्टी रजिस्ट्रार था, वह बड़ी दबी जबान में बोला कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डी०सी०डी०एफ० में टेलीफोन काट दिया जाय, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को उत्सुकता हुई। सोचा गया कि क्या कारण है। मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा इलेक्शन जो लड़ा गया उसमें टेलीफोन का कुछ भी पैसा उसका खर्च नहीं हुआ। वहां पर डी०सी०डी०एफ० का दफ्तर और कांग्रेस का दफ्तर दोनों आमने सामने हैं और बहुत पुराने सज्जन कांग्रेसी उसके मालिक हैं। उस सारे इलेक्शन में, आप आश्चर्य करेंगे कि डोरी बांध कर काम चलाया गया और टेलीफोन का एक्सटेंशन ले लिया गया और सारा पैसा बचा लिया गया। जितनी ट्रंककाल्स थीं वह सब होती रहीं और उसका एक भी अधेला नहीं दिया गया। मैं फिर अपनी बात पर आता हूं कि हम लोगों ने कहा कि टेलीफोन काटने का क्या कारण हैं। तो यह पता चला कि टेलीफोन जो कि कांग्रेस आफिस में है, उसी से सारे इलेक्शन भर काम चला और उसका एक भी पैसा नहीं दिया गया है। वह सारा डी०सी०डी०एफ०के हिसाब में गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कांग्रेसीकरण नहीं तो और क्या है? मैं कहता हूं कि यह कैसे चलेगा, और किसके बूते पर चलेगा? फिर आगे पता चला कि वहां पर एक कांग्रेसी हैं जो कि ३६ मील पर रहते हैं कुन्डा में, और वह बिलकुल कभी-कभी ही आ जाया करते हैं, केवल नाम के लिये और कभी-कभी कांग्रेस के दफ्तर में ठहर जाते हैं इसीलिये एक्सटेंशन है।

दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर रिपोर्ट आई कि डी०सी०डी० एफ० में कोयले के लिये, उसके स्टोरेज के लिये कोई स्थान नहीं है और वह ढूंढा जाय।

(लाल बत्ती होने पर) यह तो बड़ी गड़बड़ हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता---

अभी आपका समय २ मिनट बाकी है।

श्री बाबूलाल---

अब मैं जल्दी कहूंगा। रिपोर्ट आती है कि कोयले के लिये उचित जमीन ढूंढी जाय और दूसरे कांग्रेसी सज्जन एम०एल०ए० को रिपोर्ट मिलती है कि अमुक सिनेमा के सामने बड़ी सुन्दर जमीन परती पड़ी हुई है, डी०सी० डी० एफ० के लिये ले ली जाय। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि क्या राय है? मैंने कहा कि वह जमीन जो वहां के मेम्बर पार्लियामेंट हैं उनके मकान के सामने है। उन्होंने उसमें एक कमरा खड़ा कर दिया, किसी कम्पनी की एजेंसी पा गये हैं। तो मालिक जमीन ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन तामील नहीं होता, मुकदमा चल रहा है। मालिक बम्बई में है, वह चाहता है कि उस जमीन पर अपना रोजगार चलाये। तब उन्होंने कहा कि मैं इसको फौरन रिजेक्ट करता हूं। तो इस तरह से कोयले के लिये जमीन ली जाती है।

भट्ठे चलाये गये। १०-१०, २०-२० लाख में ५०-५० लाख में कोठी खड़ी की गयी, जब घोटाला पड़ा तो मालूम हुआ कि सेकिंड क्लास में फर्स्ट क्लास ईटा उनको गिराया जा रहा है और जिन गरीबों ने फर्स्ट क्लास खरीदा उनको डी०सी०डी०एफ० की कृपा से सेकिंड और थर्ड क्लास भी न मिला। तो प्रतापगढ़ में डी०सी०डी०एफ० के नाम पर ऐसा रोजगार चल रहा है, सारा काम उनके हाथ में है। मेरा निश्चित मत है कि न तो सहकारी खेती सुचारु रूप से चल रही है---घर के भाई, नौकर, चाकर सब मिलकर सीलिंग से बचने के लिये, जहां उनका परिचय है वहां से रुपया ले रहे हैं और आपके यहां सरकारी खेती बढ़ रही है।

अभी राजा साहब ने कहा कि १७५ रु० पर काश्तकार लोन दिया जा रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आती। भारतवर्ष में वैसे ही कर्जे से लोग दबे हैं और हमारी सरकार को इसमें बड़ी खुशी है कि हमने इतनी कर्जा लेने की क्षमता बढ़ा दी कि १७५ रु० फी किसान लोन मिल रहा है, लेकिन उसमें कितने परसेंट इधर-उधर खर्च होता है?

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि जो एम्बैजिलमेंट होते हैं, उसका कारण यह है कि हमारे यहां एक सुपरवाइजर ३०-३० ३५-३५ सोसाइटीज का निरीक्षण करता है, वह बैठ नहीं पाता है, इसलिये इतनी सोसायटीज का न कराकर उनके जिम्मे १०-१० रख दें तो ठीक तरह से कर सकेगा, वरना यही हालत रहेगी।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले १०-१२ वर्षों में प्रदेशीय सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, जिसका वर्णन मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत करते समय बड़े विस्तार के साथ किया। मैंने अभी कटमोशन मूव करने वाले तथा एक अन्य सज्जन का भाषण सुना, उनको वास्तव में गलतफहमी है। उसमें खराबी हो सकती है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता एक अर्थ व्यवस्था है जिसका जन्म पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था और साम्राज्यवादी अर्थ व्यवस्था के विफल होने पर हुआ है। मान्यवर, पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में शोषण का स्थान होता है। वहां एक व्यक्ति पूंजी लगाता है और उत्पादन का जो लाभ होता है उसका अधिकांश भाग अपने पास रख लेता है और श्रम तथा अन्य उत्पादन के साधनों को बहुत कम मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि हड़तालें आदि होने लगती हैं। उससे क्षोभ और असंतोष का वातावरण पैदा होता है। इसके बाद साम्यवादी अर्थ व्यवस्था आयी और उसने यह प्रयत्न किया किया कि एक व्यक्ति पूंजी लगाकर सर्वाधिक भाग को स्वयं न ले ले। उसका कई देशों में अच्छा प्रसार है। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि साम्यवादी अर्थ व्यवस्था अपने लक्ष्य को पूरा करती है या कर पायेगी। अतः इन दोनों अर्थ व्यवस्थाओं के बीच में अब एक सहकारी अर्थ व्यवस्था को जन्म दिया गया है। इसका प्रयोग अब किया जा रहा है। इसकी सफलता के लिये हमारी सरकार अग्रसर है और उसको सफल बनाने के लिये प्रयत्नशील है।

मान्यवर, इस अर्थ व्यवस्था में उत्पादन के पांचों साधनों--पूंजी, श्रम, भूमि, व्यवस्था तथा साहस--को मिला कर कार्य किया जाता है। इसमें शोषण का कोई स्थान नहीं होता। जो हमारे यहां खराबियां देखी जाती हैं, वह केवल इस कारण हैं कि लोग इसकी मूल भावना को अच्छी तरह समझ नहीं पाते और इस कारण उसको करने के लिये तैयार नहीं होते। यहां पर आप जानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था काफी दिनों तक प्रचलित रही है, इस कारण लोग उसी मनोवृत्ति के हो गये हैं। मैं यह कहता हूं कि आज हमें इस आन्दोलन को सफल करना है और उसकी सफलता के लिये सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी मूल भावना का प्रचार करें।

इसका दूसरा कारण असफलता का मैं यह समझता हूं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं। उनके कारण कहीं-कहीं असफलता देखने को मिली है। जो लोग पहले काम करते आये हैं, कमाई का ज्यादा भाग लेते रहे हैं, वे जब इस काम को करने लग जाते हैं तो वे अपनी उसी मनोवृत्ति से काम करके इसको विफल बनाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने में आये हैं।

एक तीसरा कारण विफलता का और भी है। अभी तक सहकारिता कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसलिये जल्दी से जल्दी इसमें संशोधन होना चाहिये।

एक चौथा कारण और है। वह है विभागीय ढिलाई। यह ढिलाई ऊपर से नीचे तक है। एक छोटी सी मिसाल से माननीय सदस्य अवगत हो जायेंगे। मिसाल के लिये हम कोई नोट या शिकायत माननीय मंत्री जी को देते हैं। वह नोट ज्यों का त्यों, दो शब्द उस पर लिख कर, विभाग को चला जाता है। यह नहीं होता कि उसका ब्रीफ बनाकर उचित कार्यवाही के लिये आगे भेजा जाय, बल्कि वह नोट ही हर जगह घूमता रहता है और वह जिस व्यक्ति की शिकायत होती है उसी के पास पहुंच जाता हैं। और इससे कभी-कभी बड़े भयानक परिणाम उसके हो जाते हैं जो घातक सिद्ध होते हैं।

ग्राम सेवक को लें। उसके साथ "सेवक" शब्द लगा है, लेकिन वह भी अफसर बन जाता है। हैरत होती है अफसरी मनोवृति देख कर। वह भी चारपाई पर बैठ कर तक़रीर करता है, ऐसा नहीं है कि वह कुछ गांव वालों की सेवा कर सके। कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स और इंसपेक्टर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। एक खास किस्म की वर्दी पहने हुए पहुंच जाते हैं जिससे गांव वाले यही समझते हैं बेचारे कि ये भी कोई अफसर ही हैं। तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना

चाहिये जिसमें सहकारिता के महत्व को लोग समझ सकें। प्रचार की बहुत कमी है। लखनऊ में पिछली बार एक बड़ा प्रचार कार्य किया गया, दरवाजे बनाये गये और काफ़ी लोग जमा हुए। मैं तो मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे कार्य हर जिले में करावें। जहां मेले और नुमायशें लगती हैं वहां जाकर विभाग के लोग सहकारिता के बारे में जनता को बतलावें ताकि वे सहकारिता की ओर आवें और आकर्षित होवें।

विभाग वाले लोगों को मदद नहीं दे पाते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आये जिन्होंने कहा कि हम सहकारी समिति बनाना चाहते हैं परन्तु उसके रजिस्टर होने में दिक्कत हो रही है। कार्यालय से उन्हें फ़ार्म भी नहीं दिये जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस बात को देखें कि विभाग वालों को आदेश दिये जावें कि वे जनता को सहूलियत दें और ज्यादा से ज्यादा मदद करके सहकारिता बढ़ावें ताकि हमारी अर्थ-व्यवस्था सफल हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आप को भी पुनः धन्यवाद देता हूं।

*श्री मुमताज मुहम्मद ख़ां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, राजा साहब ने जो कटौती सहकारिता के अनुदान में पेश की है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सहकारिता की जड़ें हमारे देश और प्रदेश में बहुत दूर तक फैली हुई हैं और सदियों से फैली हुई हैं। आज जब कि ग़रीबी और भुखमरी को दूर करना है, आज जब कि हम करोड़ों ग्रामीण जनता का जीवन-स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, आज जब कि सवाल है कृषि उत्पादन बढ़ाने का। आज जब कि सवाल है ऐसे साधन पैदा करने का कि हमारे किसान और मजदूर सुख और चैन की सांस ले सकें, आज जब कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने नयी उलझनें पैदा कर दी हैं और नयी गुत्थियां पैदा कर दी हैं तो सिर्फ़ एक सहकारिता ही उम्मीद नजर आती है और हमारी उम्मीदें इससे और बाबस्ता हो जाती हैं। आज सहकारिता तीन व्यक्तियों के बीच में है। एक तो वे पुजारी सहकारिता के जो इसकी थ्यौरीज़ की सुन्दरता को देखकर इसकी पूजा कर रहे हैं बगैर इस बात को समझे हुए कि कैसे इसकी परवरिश करें, कैसे इस पर चलें। दूसरा वह रिएक्शनरी है जो यह समझता है कि सहकारिता से उसके मफ़ाद को धक्का पहुंचेगा और तीसरा वह तमाशाई है जो हक्का-बक्का देख रहा है कि सहकारिता है क्या। आज जब हम सहकारिता विभाग के कार्यों को देखते हैं और उनके बारे में सोचते हैं तो हमें यह नजर आता है कि उसके कार्य सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, कोई न कोई खोट उसके अन्दर जरूर है। मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री जी जरूर इस बात के इच्छुक हैं कि सहकारिता हमारे प्रदेश में फले-फूले। उन्होंने बहुत सी योजनाओं का जिक्र किया। उनको बहुत खूबी से बयान किया और काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला। लेकिन मैं यह समझता हूं कि वह उन्हीं पुजारी की तरह से हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि वह इसके फलने-फूलने को सही तरीके से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने गौर किया कि क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कोताहियां हैं जो सहकारिता में पैदा हो गई हैं और उन्हें दूर करने का उन्होंने क्या यत्न किया? मिसाल के तौर पर, कोआपरेटिव फ़ार्मिंग को लीजिये। मैं यक़ीन रखता हूं कि कृषि उत्पादन सहकारिता की मदद से बहुत बढ़ सकता है। आज किसान को रुपये और साधनों की जरूरत है। हमारे किसानों की ज्यादातर छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं और वे उन पर सही तरीके से खेती नहीं कर सकते और सही पैदावार हासिल नहीं कर सकते। यह गलत है कि कोआपरेटिव फ़ार्मिंग में परर्सनल इनीशियेटिव ख़त्म हो जायगा। हमारे गांव वाले सहकारिता को किसी न किसी रूप में, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, हमशा से अपनाते रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कोल्हू को ले लीजिये। हम कोल्हू चलाते हैं १०-५ आदमी मिल कर। वे बारी-बारी से गन्ना काट कर लगाते हैं, बारी-बारी से उसे ढोते हैं और पेरते हैं। यह भी सहकारिता का एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

रूप है। हमारे रस्मोरिवाज में, ब्याह-शादी में न्यौता की रकम एक क्रूड फार्म में सहकारिता ही तो है। इसी तरह से फ़सल काटने के लिये हम मिलजुल कर जाते हैं। हम मज़दूर नहीं लगाते हैं। लेकिन सहकारिता के नये लेबिल को हम नहीं पहचानते हैं। चूंकि हम अनपढ़ हैं, बिछड़े हुए हैं, हर नयी चीज से कतराते हैं जो कि हमारे सामने पेश की जाती है। इसे चाहे पिछड़ापन कहिये या बैकवर्डनेस कहिये, जो भी कहिये, इस तरह की बात है। सहकारिता से खेती का उत्पादन बढ़ सकता है। लेकिन मंत्री जी ने बताया कि शायद ६५० सहकारी फ़ार्म खोले गये जिनमें से सिर्फ़ १०० में ऐवरेज से ऊपर पैदावार हुई। क्यों? आपने खराब जमीनों पर उन्हें चलाया जहां पैदावार कम होती है। कहां हैं वे आप के विकास के ठेकेदार, बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० ८७५ ब्लाक्स के? उन्होंने क्यों नहीं लोगों में सहकारिता की भावना पैदा की?

मेरा ख़याल है कि सर्विस कोआपरेटिव्ज में लोग केवल क़र्ज़ लेने के लिये मेम्बर बनते हैं। वह सहकारिता की स्प्रिट को समझ कर नहीं बने हैं। सहकारिता खेती या सहकारी खेती को क़ायम रखने के लिये सब से बेहतर यह है कि आदर्श, उम्दा और नायाब किस्म के फ़ार्म्स बनाये जावें और बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० आप के उन्हें इन्तहाई दर्जे के कामयाब बनाने की कोशिश करें और लोगों को समझावें। जब कोआपरेटिव फार्मिंग का नमूना जनता के सामने होगा तो वह उसे अपनावेगी। बहुत कम लोग हैं जो उन्हें देख कर अपनी खेती को सहकारी खेती की शकल में न तब्दील कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक बात यह भी है कि आपने जो सर्विस कोआपरेटिव्ज खुलवाई हैं, बहुत अच्छा हुआ। उनसे कहा जाता है कि खाद मिलती है सब चीजें लेकिन उनके जरिये जो शार्ट टर्म लोन्स दिये जाते हैं मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। शार्ट टर्म लोन्स से खातिर ख्वाह फायदा नहीं हो सकता। मैं आप से यह जरूर गुजारिश करूंगा कि शार्ट टर्म लोन्स को आप खत्म करें। आज किसान अगर फरवरी में कर्ज लेता है तो अप्रैल के अन्दर डिमान्ड आ जाती है और जब वह नहीं दे पाता है तो डिफाल्टर की लिस्ट में आ जाता है। आप मीडियम टर्म लोन्स को अपनावें जिससे कि किसान के ऊपर कोई भार न पड़े और उस की अदायगी उससे ३ साल के अन्दर छोटे-छोटे किस्तों के अन्दर हो जिससे वह आसानी से अपने कर्ज को अदा कर दें। वरना सूद किसान पर पड़ता है। उसने कर्ज लिया, दो किस्तों में अदा करना है फिर वह कर्जा ले कर देता है और आप को इल्म है और आप ने फरमाया भी था कि ५० फीसदी से लेकर २४ फीसदी तक सूद की दर है। कितना जुल्म है किसान के साथ। आप की सर्विस कोआपरेटिव्ज भी जो सूद पौने ९ फीसदी लेती है वह भी ज्यादा है। उसे भी घटाने की जरूरत है।

फिर इसके बाद में आप की तवज्जह मार्केटिंग सोसाइटीज की तरफ दिलाना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि थोड़ा सा समय और चाहिये वैसे मार्केटिंग सोसाइटीज अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन गालिबन यह इत्तिला आप की कागजी है जो विभाग के लोग दे दिया करते हैं। मैं आपको खुद आंखों देखा हाल बतलाता हूं। चूंकि मैं भी किसान हूं और मैं इस चीज को समझता हूं क्योंकि थोड़ी बहुत लोगों की सेवा भी करता हूं। मैं कहता हूं कि आप की मार्केटिंग सोसाइटीज फेल हो चुकी हैं। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और वह यह है कि जिन मंडियों के अन्दर आप की मार्केटिंग सोसाइटीज हैं जो आढ़ती वहां होते हैं वह उसको फेल करना चाहते हैं इस डर से कि कहीं ये सोसाइटीज तरक्की न पा जायं और किसान की तवज्जह दूसरी तरफ चली जाय इसलिये वे इसको हर तरह से गिराने की कोशिश करते हैं। अब तक वह कच्चा आढ़ती का, कमीशन एजेंट का काम करता रहा है और पक्के आढ़ती जो प्राइवेट लोग होते हैं वह मार्केटिंग सोसाइटीज जो खरीदती हैं उस को गिरा कर खरीदती हैं। इसका नतीजा यह है कि किसान की जो सही कीमत उसके उत्पादन की है उस को नहीं मिलती है। आप उसके उत्पादन की सही कीमत नहीं दिला सकते तो आप उसकी हकतलफी करते हैं। जब तक उस को उसके उत्पादन की सही कीमत

नहीं मिलती तब तक आप की मार्केटिंग सोसाइटीज बेकार हैं और फेल हैं। इसलिये जो मंडियों में आढ़तिये बैठे हुये हैं पहले उनको खत्म कर दीजिये। वह बीच में आकर कितना बड़ा फायदा कमाते हैं और नुकसान किसान का करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

*श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता के अन्तर्गत जो अनुदान पेश हुआ है। मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय नेता स्वतंत्र दल का भाषण मैंने बहुत गौर से सुना। अपने भाषण के पूर्वार्द्ध में उन्होंने कुछ सवाल उठाये। उन्होंने एक बात कही और मुझे ताज्जुब हुआ कि लार्ज साइज सोसाइटीज बनाने की बात क्या है। मैं उनका ध्यान नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के प्रस्ताव की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। इसकी प्रारम्भिक रूपरेखा में यह नीति साफ़ बताई गई है कि ग्राम की इकाई पर गांव में ही जहां तक सम्भव है समिति बनाई जाय। यह बात दूसरी है कि किसी गांव की आबादी १ हजार से कम हो। तो उसमें भले ही ऐसा हो लेकिन लार्ज स्केल सोसाइटीज को सरकार ने एक दृष्टि से बन्द ही कर दिया है।

दूसरी बात मालकम डार्लिंग की बाबत कही गयी। जहां तक यू०पी० का संबंध है उन्होंने उसकी तारीफ़ ही की है और जहां पर कोई बुराई की भी है तो वह एक जनरल वे में ही की है। हां, बंगाल और बिहार के बारे में अवश्य उन्होंने लिखा है। अब जहां तक स्वतंत्र पार्टी के मैनीफेस्टो का मामला है वह एक प्रकार से एकेडेमिक ही होता जा रहा है। इस विषय में अखबारों में जो बातें निकलती हैं उनसे मालूम होता है कि वे सहकारिता के सिद्धान्त को तो मानते हैं लेकिन सहकारी खेती को नहीं मानते। इसको लाजिक में फैलेसी आफ वैक्यूलम कहते हैं। जब सहकारिता उद्योगों में लागू हो सकती है तो फिर खेती के सिलसिले में क्यों लागू नहीं हो सकती। इसलिये उनका यह आर्ग्यूमेंट एक फैलेसी ही है।

सूद के बारे में भी कहा गया कि वह ज्यादा है, उसको कम किया जाना चाहिये। हमारा उद्देश्य ६ प्रतिशत रेट आफ इन्टरेस्ट को करना है। अब भी वह ९ प्रतिशत से कम है। मालकम डार्लिग की बात जो कही गयी, उसके बाद तो बहुत सा पानी बह चुका है। उसके पश्चात् श्री एम० आर० भिड़े की अध्यक्षता में एक समिति आयी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कोआपरेटिव मूवमेंट को देखा और अपनी राय दी है कि वह मूवमेंट साउन्ड ग्राउन्ड्स पर है। जब पहले पंडित नेहरू बिचपुरी आये थे तो उनके मन में कुछ संदेह था लेकिन जब दोबारा वह मार्च, १९६१ में आये तो उन्होंने यह राय दी थी कि उत्तर प्रदेश ने अगर किसी तरफ मार्क्ड तरक्की की है तो वह सहकारिता ही है। पंडित जवाहरलाल एक ऐसे शख्स हैं, जिनके सामने सारे भारत का नक्शा रहता है।

मुझे इस बात की खुशी है कि जनता और उसके प्रतिनिधि, जो यहां बैठे हुए हैं, उनकी इस विषय में बहुत दिलचस्पी है। सहकारिता अनुदान एक छोटा सा अनुदान है, केवल करीब ३ करोड़ का है लेकिन उसके ऊपर सामान्य बजट के समय और आज भी काफ़ी दिलचस्पी दिखायी जा रही है। यह बड़े गौरव की बात है कि हम किसी जन आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं। इफ कोआपरेशन फेल्स एवरीथिंग फेल्स। यानी सारी ग्रामीण व्यवस्था का खतम हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो हम को यह बात बहुत हल्के तरीके से नहीं कह देना चाहिये कि हमारे इस आन्दोलन में सब खराबी ही खराबी है। माननीय सदस्यों को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि हमारी समितियां आजकल करीब करीब १०० करोड़ रुपये की वर्किंग कैपिटल से कम कर रही हैं। इतने बड़े कैपिटल से जब एक व्यापक पैमाने पर काम कर रही हैं तो इ[illegible]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महेशसिंह]

थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। यह केवल हिन्दुस्तान और यू० पी० की ही बात नहीं है बल्कि इटली की बुवर्स ऐंड ग्रेप बुवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था तो उससे मालूम हुआ कि वहां भी सन् १९५९ में दो-तीन परसेंट से अधिक की गड़बड़ी हुई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बाहर भी ऐसी गड़बड़ी होती है। ब्रिटेन के लंकेट फाउंडेशन की रिपोर्ट पढ़ने से मालूम हुआ कि ब्रिटेन जैसा मुल्क जहां प्रजातंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, वहां भी गड़बड़ी होती है। तो छोटी-छोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ा कर कह देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। विशेषकर जो हमारे समाजवादी दोस्त हैं और जिनका दावा भारत वर्ष के अन्दर समाजवाद को लाने का है, उनको जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिये। जन आन्दोलन भी नहीं अच्छा और सरकार कोई काम करती है वह भी नहीं अच्छा, तो क्या अच्छा है, आखिर आप चाहते क्या हैं? एक तरफ़ तो कहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग ख़राब है और दूसरी तरफ़ चाहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग भी नहीं होनी चाहिये, तो आखिर वे क्या चाहते हैं? उनके पास कौन ऐसा रचनात्मक सुझाव है जिससे किसानों की ग़रीबी दूर हो सके और सहकारी समितियों की तरक्की हो सके? किस तरह से उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, यह एक बड़ा ही व्यापक मसला है।

अभी जो हिसाब लगाया गया है, उससे मालूम हुआ है कि रूरल क्रेडिट के लिये करीब १०० करोड़ रुपये हमें और चाहिये। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया, ३६ करोड़ रुपया तो ग्रामीण ऋण के रूप में देते हैं और निकट भविष्य में ४८ करोड़ रुपये का इन्तजाम करेंगे लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गैप रह जायगा। तो इतना रुपया लेने के लिये हमें कोई कोशिश करनी पड़ेगी। मैं अपने सामने बैठने वाले माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूं जो कि समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वे देखें कि कहां से रुपया आवे या किस स्थान पर बचत हो जिससे कि अपने यहां के किसानों को रुपया मिल सके और यहां भी लंकेट फाउंडेशन जैसे कैपिटल फार्मेशन की नौबत आ सके।

इसके अलावा मैं एक सुझाव और आप की सेवा में देना चाहता हूं कि जब से पी० सी० एफ० और डी० सी० एफ० ने अपना काम शुरू किया है तब से शुरू से ही बहुत बड़े-बड़े कामों को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। पी० सी० एफ० की नियमावली में लिखा हुआ है कि एग्रीकचरल प्रोड्यूस की सारी चीजों की बिकवाली का काम उनके जरिये होगा। मैं समझता हूं कि इतने बड़े काम करने की बात नियमावली में लिखा होना ठीक नहीं है। फर्टिलाइजर का भी बहुत बड़ा काम है। फर्टिलाइजर के सिलसिले में मेरा सुझाव है कि अलग से एक एजेंसी बना दी जाय और उसमें ऐसे लोग रहें जो बिकवाली का काम करते हैं। उससे ज्यादा फायदा हो सकता है बनिस्बत इसके कि डी० सी० एफ० सारे काम को करे और आगे उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी पड़ जाय। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि अक्सर यह हो जाता है कि जिला बैंकों से ऋण लेने में भी किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। वहां आडिटर व सुपरवाइजर का ठीक इन्तजाम नहीं है। सरकार को चाहिये कि इसके लिये वहां अपना आदमी रखे और उस का खर्चा स्वयं वहन करे। मद्रास में १० समितियों के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है और उसका सारा भार सरकार वहन करती है। और हमारे यहां ३०–४० समितियों पर एक सुपरवाइजर रहता है, इस तरह से उसका बहुत भारी काम हो जाता है और वह पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता। .... (समय समाप्त)

*श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जो कटौती का प्रस्ताव आया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कुछ आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। कुछ बुनियादी सवाल ऐसे हैं कि जिन के ऊपर भारत में ही नहीं वरन् सारे संसार में कोआपरेटिव मूवमेंट स्थित है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो देश इंडस्ट्रीयली और सोशली बड़े एडवान्स्ड हैं उनमें भी आज वह उसूल बरते जाते हैं और बरते जायंगे। एक संस्था है कि जिसको इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव एलायेंस कहते हैं, उसके भी कुछ बुनियादी उसूल हैं और वह वक्तन-फवक्तन उन देशों में अपने बुलेटिन्स के द्वारा कोआपरेटिव मूवमेंट को आगाह करते रहते हैं और उनके संचालन और सहूलियत की चीजों पर अपनी राय सलाह देते रहते हैं। जो कोआपरेटिव के ४ बुनियादी सिद्धान्त हैं उनमें से पहला है इंडिपेंडेंट एन्ड वालंटरी आर्गनाइजेशन। जहां तक इस पहले ही सिद्धान्त का सम्बन्ध है वह जहां तक हमारे सूबे के कोआपरेटिव मूवमेंट का ताल्लुक है उसमें हम बुरी तरह से लेक करते हैं जब कि यहां पर उस की बड़ी आवश्यकता है। इस का ज्वलंत उदाहरण यह है कि जितने भी यहां पर कोआपरेटिव बैंक, सोसाइटीज़ या फेडरेशन हैं उन में जरा-सा भी कैपिटल या मेटीरियल लैंडिंग होता है तो आमतौर पर उसमें गवर्नमेंट का भारी हस्तक्षेप है और सरकार ही उस की हर तरह से मालिक है। इसलिये इन्टरनेशनल एलायेंस का जो उसूल है "इंडिपेंडेंट एन्ड वालंटरी आर्गेनाइजेशन" वाला वह इस प्रदेश में तो कम से कम लागू नहीं है चाहे देश भर में यह हालत हो या न हो। दूसरा सिद्धान्त है कि "ओपिन मेम्बरशिप" होना चाहिये। उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह यहां है। मेम्बर बनाने का सरकार उद्योग करती है क्योंकि हमारे यहां यह एक सरकारी संस्था हो गई है। तीसरे चीज है "डेमोक्रेटिक कंट्रोल" और वन मेम्बर वन वोट का सिद्धान्त। यह भी यहां पर नहीं है। उसका कारण यह है कि आप का जिला कोआपरेटिव बैंक है या डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन है। उन के अन्दर सरकार कुछ व्यक्ति ऐसे नामिनेट करती है जिन को कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता या वह इंडिपेंडेंट वोटिंग कर सकते हैं। मसलन आप के जिलाधीश या डिप्टी कमिश्नर भी एक्स-आफिशियो मेम्बर होते हैं, प्रेसीडेंट होते हैं। क्या वह जो सरकार के नौकर हैं उनमें कभी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह सरकार के रहते अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय दे सकें? वे वही राय देते हैं कि जो सरकार देने के लिये उन्हें वाध्य करती है। तो यह वह उसूल है कि जिन पर चलने के लिये इन्टरनेशनल एलायेंस, मूवमेंट को डायरेक्ट करता है कि इन को फालो किया जाय। यह कहना भी अनुचित न होगा कि भारत में कुछ ऐसी संस्थायें हैं कि जो अभी फार्मल फोरम का प्राविजिनल रिकग्निशन ही पाये हैं, वह स्थायी नहीं है और न उसके अभी मेम्बर हो सकते हैं, उसका कारण यह है कि अभी हमारे यहां यह एक गवर्नमेन्ट स्पान्सर्ड संस्था है, वह कोआपरेटिव नहीं है। यहां तक कि इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायेंस ने गवर्नमेन्ट को भी लिखा है और भारत सरकार ने सूबे की सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया होगा कि यह जो सरकारी इंटरफ़ीयरेंस है इसको कम किया जाय। और जैसा राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि सर मैलकम जो भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां आये थे उन्होंने सरकार की निगाह में यह चीज़ लायी और सलाह दी कि सरकार अपना हस्तक्षेप कम से कम करे ताकि इस आन्दोलन को सही रूप में कोआपरेटिव की शकल अख्तियार करने में मदद करे। एक पैम्फ़लेट है "कोआपरेटिव प्रैक्टिस" इंटरनेशनल लेबर आफ़िस से निकली हुई है जो उसके एक उद्धरण को पढ़ना चाहता हूं। इसमें समस्त संसार को ऐडवाइस किया है––

"The help of government has to be given in an extremly skilful manner, without ever losing sight of the fact that the object is not to perform work for the members of a co-operative society but to teach them to do it for themselves." यह ऐडवाइस हमारे प्रदेश में कम से कम मानी नहीं जा रही है और न अमल किया जा रहा है। इसके अलावा एक और उद्धरण पढ़ना चाहता हूं:––

"On the other hand, too much supervision and interference will devitalise the co-operative and lead the members to believe that the government is to run it for them, instead of their doing this themselves. Such an attitute is the very antithesis of co-operation."

यह दो एक्सट्रेक्ट्स इंटरनशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के मैंने पढ़े। इनसे स्पष्ट होता है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य महसूस करते होंगे कि जहां तक देहात का ताल्लुक है,

[श्री चैतन्यराजसिंह]

गरीब किसान और मजदूर का ताल्लुक है, वह महसूस करता है कि सरकारी बीज गोदाम है, सरकार फ़र्टीलाइज़र दे रही है, सरकार हमारी बढ़ोत्तरी करना चाहती है, जब कि वास्तव में उसकी बढ़ोत्तरी हुई नहीं। यह बुनियादी प्रश्न है। आप से फर्टीलाइज़र लेने के लिये किसान को खुद आना चाहिये। अभी मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने पालिसी बना ली है कि कुछ रुपया क़र्ज़ के रूप में देंगे और कुछ फ़र्टीलाइज़र के रूप में देंगे। तो जब वालंटरी आर्गेनाइज़ेशन है सरकार क्यों कहती है कि यह देंगे और यह नहीं देंगे या अमुक प्रकार से देंगे? इससे तो यह सरकारी आर्गेनाइज़ेशन हो जाता है सहकारी की जगह। एक बुनियादी उसूल है for the members of the members and by the members:— यह उसूल कोआपरेटिव के अन्दर नहीं आया है यह देख कर बड़ा दुख होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी आइन्दा ऐसी कोई योजना बनायेंगे जिससे यह पूरी तरह से आ सके। जो आज सहकारिता का ढांचा है यह ऐक्सपेरीमेंटल ग्राउन्ड पर है। इसको बदलना है। सहकारिता वह चीज है जो आत्मा से निकले और आत्मा में जाय। ऊपर के किसी नेता ने कह दिया या वर्किंग कमेटी ने लिखा और सरकार ने उस को कार्यान्वित कर दिया कि यहां पर सहकारी फ़ार्म होंगे। सहकारी फ़ार्म बनाने की विचित्र योजनायें और तरीके हैं और विचित्र रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। एक लैंड मार्गेज बैंक है। जब लैंड मार्गेज बैंक में कोई कर्ज लेने जाता है तो पूरी जमीन सरकार के नाम जब लिख देता है तब रुपया मिलता है। वह काश्तकार इस स्थिति में नहीं होता कि उस कर्जे को वह पूरी तरह से अदा कर सके और वह जमीन धीरे धीरे सरकार के हाथ में आ जायगी और सरकारी फार्म उस पर खुल जायगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जमीन सरकार के नाम क्यों लिखी जाती है, सोसाइटी के नाम लिवाई जाय। कोआपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिये तो बहुत से तरीके हैं। अमेरिका के अन्दर यह तरीका है कि जो व्यक्ति कोआपरेटिव बैंक से तीन साल मुतवातिर रुपया लेता है तो बैंक यह समझ लेता है कि उसने पूरा फायदा नहीं उठाया, इसलिये उसे अब रुपया नहीं दिया जायगा। तो जिसने सन् ४७ में कोआपरेटिव सोसाइटी से रुपया लिया था वह आज भी मकरूज है तो फिर कोआपरेटिव पालिसी सक्सेसफुल नहीं हुई। एक काश्तकार कर्ज लेता है और साल दो साल के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाय तब तो सरकार ने सहकारी महकमा खोल कर किसान की वास्तविक मदद की लेकिन वास्तव में ऐसा प्रतीत नहीं होता।

इसके अलावा आप देख लें कि १,६०० सीड स्टोर हैं। ५३ प्रतिशत लास में हैं। तो इसी से सरकार की नीति का ज्वलंत उदाहरण मिलता है कि कितना गुड बिजनेस यह है। अगर यह बिजनेस आगे वाइंड अप ही करना है तो बेहतर है कि आज ही उसे वाइंड अप कर दिया जाय, जैसे कि अंग्रेजों ने वर्ल्ड वार टू में कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज खोलीं। वे लास में रन करीं तो उनको ४६–४७ में बन्द कर दिया गया। अगर इसी तरह से कोआपरेटिव सीड स्टोर घाटे में चलते रहे तो कोआपरेटिव का नाम इस देश व प्रदेश से मिट जायगा। बेहतर होगा कि करेक्ट फूटिंग पर उनको हम लाने की कोशिश करें। एक चीज यह भी जानना चाहूंगा कि जब केसेज पकड़े जाते हैं तो मुकदमे क्यों नहीं चलाये जाते, भले ही कोई भी फंसा हो जबकि वह सत्य की दोहाई देते हैं?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता की मांग प्रस्तुत करते समय जिन शब्दों में सहकारिता के आधार पर नये समाज की रचना की ओर संकेत किया और जिन शब्दों में उन्होंने आगे आने वाले वर्षों में सहकारिता के कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डाला, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। माननीय नेता राधवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने, जो

स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं, जिनकी पार्टी का जन्म ही इस बात को लेकर हुआ जिस समय नागपुर में ५९ में ए० आई० सी० सी० की तरफ से कोआपरेटिव फार्मिंग का रिजोल्यूशन पास किया गया और साहस के साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में समाजवाद की नींव को डालने का प्रस्ताव पास किया तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप देश में स्वतंत्र पार्टी ने जन्म लिया, इसलिये मुझे आश्चर्य हुआ जब एक तरफ तो माननीय राघवेन्द्र प्रतापसिंह जी ने यह कहा कि सहकारिता एक महान आन्दोलन हैं और अच्छी चीज है लेकिन बाद में जो उसका वे पोस्ट मार्टम करने लगे और अन्त में यह कहा कि आज की सहकारिता सहकारिता नहीं बल्कि सरकारिता है, स्टेटिज्म है तो मैं समझी कि बात आरम्भ कहां से हुई और खत्म कहां पर की गयी। मैं समझती हूं कि आज जो सरकार की नीति है, जिन आधारों और नियमों पर आज हम सहकारिता को संगठित कर रहे हैं उसके ऊपर सैद्धान्तिक बहस की अब विशेष आवश्यकता नहीं रह गयी है, क्योंकि जो भाषण विरोधी पक्ष की तरफ से हुये उसमें उन्होंने भी इस बात को तो स्वीकार किया कि सहकारिता एक अच्छी चीज है। उसके महत्व को हम और आप आज के इस बदले हुये जमाने में स्वीकार करते हैं। अब सवाल केवल यह है कि किस तरीके से इसको लागू किया जाय। कांग्रेस पार्टी के जो घोषित सिद्धांत हैं उनके अनुसार हम जिस समाजवाद की रचना करना चाहते है उसके आधार में सहकारिता हर क्षेत्र में आने जा रही है। सहकारिता का इतिहास हम सब जानते हैं। यहां तो दश की आर्थिक व्यवस्था में आज से नहीं, आज से बहुत वर्षों पहले सहकारिता के द्वारा देहात के किसानों को कोआपरेटिव्ज क्रेडिट सोसायटीज के द्वारा मदद दी जा रही थी। लेकिन जब सर्विस कोआपरेटिव्ज की बात कही जाती है और जिस को ले कर भारतवर्ष में एक विशेष प्रकार की आलोचना हुई और जैसा मैंने कहा कि एक विशेष पार्टी का भी जन्म हुआ उसको भी हमें आज समझने की चेष्टा करनी चाहिये। यह उतना ही डेमोक्रेटिक है जितना कि हो सकता है। कोई भी संस्था अगर उसके ऊपर जिसको आप कहते हैं कि स्टेट का इतना अधिक प्रभाव होता है कि हम यह कह ही नहीं सकते कि यह सहकारिता है, यह तो सरकारिता है, तो अगर केवल सुपरवाइजर या कोआपरेटिव के इंस्पेक्टर या सरकार की तरफ से जिस समय कोआपरेटिव का संगठन होता है उस समय जो मदद दी जाती है उसको संगठित करने के लिये उससे यह नहीं मानना चाहिये कि पूरी तरह उस पर सरकार का ही अधिकार हो जाता है। यह सही नहीं है। जो चुनी हुई कमेटी होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, मेम्बर्स होते हैं उमका काफी मत होता है उसके चलाने में। यह बात दूसरी है कि हम किस तरह से उसको चलाते हैं और किस तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। उसके लिये हम सब लोगों का यह परम कर्त्तव्य होता है कि हम गांव की जनता को सहकारिता के महत्व को समझायें न कि यह कह कर उन्हें गुमराह करें कि यह तो सहकारिता नहीं सरकारिता है। मैं समझती हूं कि कांग्रेस के और हमारे देश के जो महान् नेता हैं पंडित जवाहरालाल नेहरू उन्होंने भी इस बात की ओर आज नहीं आज से चार, पांच वर्ष पहले थर्ड इंडियन कोआपरेटिव कांग्रेस में जो १९५८ में दिल्ली में हुई थी यह कहा था—

"I believe that the approach, it may be argued that there is some reason behind it, was a wrong one and it has given a wrong turn to our co-operative movement."

उनके इस कथन के बाद सहकारिता आन्दोलन में एक नया मोड़ आया और इस दिशा में लोगों ने सोचना आरम्भ किया कि किस तरह से गलती सुधारी जाय। इसके एक वर्ष बाद प्रयास किया गया कि जो कोआपरेटिव मल्टी--परपज सोसाइटीज हैं, उनको विलेज कोआपरेटिव सोसाइटी के लेविल पर संगठित करके यह निश्चय किया गया कि करीब एक हजार लोगों की आबादी पर इस तरह की सहकारी समिति बनाई जाय, जो बहुत बड़ी न हो और ऐसी हो कि साधारण लोग उससे संबन्धित हो सकें और एक दायरे के अन्दर लोग उससे फायदा उठा सकें। इस तरह धीरे-धीरे इस मूवमेंट की ओर जैसा कि मंत्री जी ने कहा प्रयास है कि सरकार की मदद से हम धीरे धीरे जनता में इस आंदोलन को वह स्वरूप दें जिससे यह जन आन्दोलन का रूप ले सके और जनता की चीज बन सके। यह सही बात है कि अभी बहुत कुछ सुधार

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]
करने की इसमें आवश्यकता है और जैसा कि मैंने पी० ए० सी० के अनुभव से और पिछली रिपोर्ट के अध्ययन से देखा कि हमारी सहकारिता का जो आन्दोलन है उसमें हमारे अधिकारियों का जितना अधिक कोआपरेशन की ओर काम होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। उनको एक एक पैसे का सही हिसाब रखना चाहिये और सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहिये। कोआपरेटिव सोसाइटियों में जगह-जगह पर गड़बड़ी रहती है। मुझे विश्वास है कि विभाग के लोग उन पर ध्यान देंगे।

किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उसमें कठिनाइयां होती हैं और इसके बियम ऐसे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कर्जा दिया जाता है वह जनता तक पहुंचते पहुंचते करीब ९ प्रतिशत बढ़ जाता है। मैं समझती हूं कि मंत्री जो अपने विभाग के लोगों के साथ इस पर विचार करेंगे कि सूद अधिक नहीं बढ़ना चाहिये। दूसरी चीज यह है कि जो लोग कोआपरेटिव सोसाइटीज का कर्जा अदा नहीं करते हैं उनके साथ वसूली में या तो बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है या एकदम छोड़ दिया जाता है और वहां पर भी करपशन होता है। मैं समझती हूं कि मार्केटिंग सोसाइटीज से जो क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज को लिंक किया गया है यह बहुत अच्छा तरीका है। आज से २-३ वर्ष पहले यह निश्चय किया गया था। आज हमारी सरकार जिन कामों को करने जा रही है उससे मुझे विश्वास है कि सहकारिता का भविष्य उत्तर प्रदेश में बहुत उज्ज्वल है और मैं समझती हूं कि हर व्यक्ति जो समाजवाद में विश्वास करता है और जो प्रजातंत्र तरीके से समाजवाद लाना चाहता है, वह चाहेगा कि हिन्दुस्तान में और हमारे प्रदेश में सहकारिता का आन्दोलन सफल हो और इन नारों से हम डरते नहीं हैं कि यह सहकारिता सरकारिता है।

श्री अधिष्ठाता---
आपका समय समाप्त।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---
अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता के सिद्धान्त से कौन इंकार कर सकता है। क्योंकि किसी भी गरीब मुल्क में यह बहुत आवश्यक है। इसका मुख्य विद्धान्त है कि एक सबके लिये करता है और सब एक के लिये करते हैं। इस सिद्धान्त के होते हुये भी हमारे देश में सहकारिता का आन्दोलन कागज पर बड़ी तेजी पर है, लेकिन गांव में उसका स्वरूप बहुत कुछ और है।

अधिष्ठाता महोदय, गांव में कर्ज की लेन-देन करने वाली सोसाइटियों के कार्यों के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। सहकारी समितियों की स्थापना गावों में इस लिए हुई थी कि वहां पर जो महाजन और ठढ़िया ५० रुपये, १०० रुपये सैकड़ा तक लेते हैं उससे किसानों को मुक्ति मिल सके। लेकिन आज गांव में जो कर्जा दिया जाता है वह वसूल नहीं होता है। वहां पर एक महाजन नियत किया जाता है जो आठ दिन के लिए एक आना रुपया पर कर्जा देता है और वहीं पर चार हजार, छः हजार जितना गांव का कर्जा रहता है भुगतान कर देता है और आठवें दिन छः रुपया सैकड़ा वसूल कर लेता है। आज वहां पर कर्जा बराबर बढ़ता जा रहा है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि जिन गांवों में कोआपरेटिव सोसाइटियां कायम हैं वह गांव बराबर दरिद्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज वहां पर जो सहकारी बीज भंडार हैं उनकी तरफ आप गौर करें, आप जा कर देखें कि उनकी क्या हालत है। किसानों को जो बीज देते हैं दो सेर फी मन सूखा काटते हैं बिला तौले हुए काश्तकारों को बीज देते हैं। लेते वक्त सूखा लेते हैं। छः महीने में सवाया लेते हैं और फिर छः महीने में सवाया लेते हैं यानी एक मन पर ड्योढ़ा सूद वसूल करते हैं। खाद के बटवारे के सम्बन्ध में किसानों की आम शिकायत है कि बहुत से लोगों को खाद मिलती ही नहीं फर्जी उनके नाम खाद लिखी जाती है। आज गांवों में गरीबी बढ़ती जा रहीं है, जब कि इतना अच्छा उसूल है। हमारे क्षेत्र में, गोरखपुर जिले में, महराजगंज तहसील में, एक गांव गेरना है। वहां पर पांच साल तक पूरे गांव के सारे खेतों को मिला कर सहकारी खेती की गयी। पांच साल के बाद उस गाँव के काश्तकार दाने दाने को तरसने लगे। कारण

यह है कि जब तक मन और कार्य एक नहीं होंगे तब तक किसी समाज की उन्नति होना दूभर है। यह सही है कि हर गांव में किसी के पास बैल होते हैं, किसी के पास रुपया होता है, किसी के पास आदमी होते हैं। अगर यह सहारे साधन इकट्ठा होकर सारे गांव के काम आवें तो कोई वजह नहीं है कि उस गांव की तरक्की न हो जाय। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज कागज पर सहकारी विभाग का बड़ा हलचल है और कागज देखकर कोई नहीं कह सकता कि हम कहां से कहां पहुंचेंगे लेकिन आज केन कोआपरेटिव सोसाइटी की तरफ अगर जाइये तो गन्ने की पैदावार जब केन कोआपरेटिव सोसाइटियों के हाथ में काम नहीं था तो साढ़े चार सौ मन एकड़ थी। आज खाद दी जाती है, बीज दिया जाता है फिर भी गन्ने की पैदावार ३ सौ ढाई सौ, मन फी एकड़ है। कारण यह है कि महकमे के जो लोग हैं जिस तरह से सहकारी विभाग में सहयोग देना चाहिये नहीं देते हैं। आज ईंटों का रोजगार करने वाला लखपती और करोड़पती हो जाता है लेकिन सहकारी समितियों द्वारा ईंट का जो भट्ठा चलाया गया उसमें घाटा लगा। हमारे गांव में एक कोआपरेटिव सोसाइटी कायम है। हमारे यहां एक बहुत बड़ा आदमी है उसने २० गरीब आदमियों के अंगूठा लगवाकर २० आदमियों के नाम कर्जा ले लिया और उसमेंसे कुछ आदमियों को तो पैसा दे दिया, कुछ अभी वैसे ही चिल्ला रहे हैं। उसके खिलाफ दरख्वास्त पड़ी थी, एन्क्वायरी वगैरह हुई। लेकिन बड़े-बड़े लोग मिल गये और कुछ हुआ नहीं। तो आज कोआपरेटिव में जो करप्शन फैलता जा रहा है वह भी कोआपरेटिव की तनज्जुली का कारण है। केन कोआपरेटिव सोसाइटी के जितने मेम्बर होते हैं सबके नाम हिस्सा हर साल कटता है। आप किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, उसके यहां के किसी मेम्बर को मालूम नहीं है कि हमारा कितना रुपया हिस्से का है और आप पता लगा लीजिये, बहुत से मेम्बर जो मर जाते हैं तो उनके वारिस को वह रुपया नहीं दिया जाता है। आज गांवों में कोआपरेटिव में अविश्वास पैदा होता जाता है। आज कोआपरेटिव की तरफ से लोगों के मन मुड़ते जा रहे हैं। लोग देखते हैं कि आज कोआपरेटिव में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोआपरेटिव फेडरेशन, गोरखपुर में लाखों रुपये का गबन था जिसका मदन पांडेय, भूतपूर्व एम० एल० ए० ने कई बार सवाल उठाया था। लेकिन कोई एन्क्वायरी नहीं हुई। हमको तो अफसोस है इसके इतने सीधे सादे और अच्छे मंत्री हैं जिन पर मैं यह इत्मीनान करताहूं कि इनकी जात से कोईहैभी गड़बड़ी नहीं होगी, इतने सीधे सादे आदमी के विभाग में इतना भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? मुझे अफसोस इसलिये भी है कि मंत्री जी ने कहा कि जिस तरह का आदमी होता है वैसा ही उसका समाज भी बनता है। लेकिन आज हमारी इन सहकारी समितियों में खाद हो, बीज हो या आप देखें सहकारी समितियों की तरफ से बहुत से ट्यूबवेल लगे हुये हैं, उनकी नालियों का निरीक्षण कर लीजिये, अभी बने साल भर भी नहीं हुआ और वह टूट रही हैं। केन कोआपरेटिव, घुघली की तरफ से कुछ सड़कें बनाई गई हैं, जिनको बने साल भर भी नहीं हुआ और वह खत्म हो गईं। उसकी कोई एन्क्वायरी भी नहीं होती है। तो आज हम कहांजा रहे हैं? यह मुल्क हमारा है, देखकर अफसोस होता है इस मुल्क की हालत को। इस मुल्क की गाड़ी अगर इस तरह से चलती गई तो आखिर इस मुल्क का क्या होगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोआपरेटिव महकमा ठीक से काम करने लगे तो किसान का बोझ कर्जे का उतर जाय और किसान उन्नति की तरफ अग्रसर हो जाय।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने अनुदान में छोटे काश्तकारों के लिये इस बार जो डेढ़ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और मजदूरों के लिये भी १२५ सोसाइटियां बनायी हैं, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इसके अलावा ७५०० गांवों में माननीय मंत्री जी ने शहरों के अलावा जो कन्ज्यूमर्स सोसाइटी खोलने की व्यवस्था की है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं और इसके अलावा जो लैंडमार्गेज बैंक की स्कीम है इसके द्वारा जो पांच साल से ज्यादा समय के लिय कर्ज दिया जा रहा है, यह व्यवस्था

[श्री माताप्रसाद]

भी बड़ी सराहनीय है, इससे किसानों को बड़ी सहूलियत हो रही है और खासकर के जबकि तकावी वगैरह में कर्ज किसान लेता है तो उसमें कई तरह की उसको कठिनाई होती है, और इस स्कीम के अन्तर्गत खुद ही इंसपेक्टर जाकर तहसीलों में जांच करता है और रिपोर्ट करता है, इससे किसानों को कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिये लैंड मार्गेज की जो व्यवस्था चल रही है इसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाय और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा।

माननीय राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव में सहकारिता नीति का विरोध किया है। माननीय सदस्य जिस समय कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्होंने कांग्रेस में रहते हुये महात्मा गांधी की सहकारिता नीति का समर्थन किया था। अब वह स्वतन्त्र पार्टी के नेता हो गये हैं तो दूसरी तरह की बात करते हैं, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी की नीति का समर्थन करते थे। मैं आपकी आज्ञा से इसको पढ़ देना चाहता हूं जो १५ फरवरी १९४२ को महात्मा गांधी जी ने हरिजन में लिखा था, "जमीन पर किसानों को सहकारिता के आधार पर सामूहिक हक होना चाहिये और उन्हें जोताई, बोआई आदि सब काम आपसी सहयोग से करना चाहिये। खेती में लगने वाली पूंजी हल, बीज, जानवर आदि भी सहकारिता के आधार पर ही लेना चाहिये। इससे हमारी गरीबी दूर होगी और यह तभी हो सकता है जब सभी लोग एक परिवार की तरह से रहना सीखें"। मान्यवर, जिस समय वह खुद कांग्रेस में थे तो महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उनकी बातों का समर्थन करते थे। पहले इस चीज को महात्मा जी ने ही उठाया था। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे देश में पैदावार की कमी हो रही है। इसका कारण यही है कि आजकल ऐसा तरीका चल रहा कि जिनको खेत की जरूरत है उनके पास खेत नहीं है और जिनके पास खेत है वह खेती नहीं करते हैं। इसके अलावा खेत वालों के लड़के भी खेती का काम नहीं करते हैं। वह नौकरी ज्यादा पसन्द करते हैं। दूसरी तरफ जो मजदूर होते हैं, जो सचमुच सही माने में भूमिहीन मजदूर हैं, जो खुद अपने हाथ से काम करते हैं उनके पास खेत नहीं हैं। इसीलिये पैदावार की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। जब तक इन मजदूरों को, जो सचमुच खेत में जाकर खेती करना चाहते हैं, उनको खेती करने का अवसर नहीं दिया जायगा तब तक वास्तव में हमारे देश में पैदावार नहीं बढ़ सकती है। मजदूरों को फायदा तभी हो सकता है जब कि हमारे यहां सहकारिता के आधार पर खेती हो। आजकल व्यवस्था यह है कि मजदूर जाकर खेतों में काम करते हैं और मजदूरी लेकर चले आते हैं। खेत पर काम कराने में काश्तकार की यह कोशिश रहती है कि मजदूर को कम से कम मजदूरी दी जाय। उधर वह मजदूर भी यह चाहता है कि खेत में कम से कम मेहनत करे क्योंकि उसका हिस्सा पैदावर में नहीं होता है। अगर सहकारी खेती द्वारा ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि काश्तकार को उसकी पूंजी के अनुसार उसके खेत में, उसकी उपज में हिस्सा मिले और मजदूर को भी मजदूरी के अलावा हिस्सा मिले तो वह मजदूर ज्यादा मेहनत कर सकता है। उसको यह लालच रहेगी कि मजदूरी तो उसको मिलेगी ही लेकिन मजदूरी के अलावा उस खेत की उपज में भी उसको हिस्सा मिलेगा। तो मजदूर मन लगाकर काम करेगा। इससे हमारे देश की पैदावार बढ़ेगी। हमारे देश में सहकारी खेती की इसलिये ज्यादा जरूरत है कि हमारे यहां खेती की जो सीमा है वह बहुत थोड़ी है। उसके कुछ आंकड़े में आपकी आज्ञा से सदन के सामने रख देना चाहता हूं। हमारे यहां ५ एकड़ तक काश्त करने वाले काश्तकारों की संख्या ५९.१ प्रतिशत है, ५ एकड़ से १० एकड़ तक वाले काश्तकारों की संख्या १९.१ प्रतिशत है, १० से २५ एकड़ तक काश्त करने वालों की संख्या १६.२ प्रतिशत है और २५ से ५० एकड़ तक काश्त करने वालों की संख्या ४.२ प्रतिशत है। मान्यवर, इससे यह मालूम हुआ कि हमारे देश के अन्दर ५० एकड़ से कम काश्त करने वालों की संख्या ९८.६ प्रतिशत है, कम जमीन वाले काश्तकार हमारे प्रदेश में दो तिहाई हैं और उसमें एक तिहाई केवल ऐसे काश्तकार हैं जो बड़े जोत की जमीन को जोतते हैं। दो तिहाई जमीन पर बड़े-बड़े काश्तकार खेती करते हैं। हमारे प्रदेश में और खासकर पूर्वी जिलों में बहुत ही छोटे-छोटे खेत होते हैं। हमारे जिले में अगर देखा जाय तो करीब .४६ एकड़ प्रति व्यक्ति जमीन पड़ती है। बहुत छोटी छोटी खेती है।

ऐसी जगह पर बिना सहकारिता के खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। इसलिये सरकार को चाहिये कि ऐसे जिले, जहां पर बहुत छोटे छोटे खेत हैं, वहां पर किसानों की हालत को सुधारने के लिये सहकारी फार्म खोलने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करे। जो भी सहकारी खेती करना चाहे उनको अपनी इच्छा से उसमें शामिल करना चाहिये। हमारे यहां राजनीतिक पार्टी लोगों को भय दिखाती हैं और लोगों जो बरगलाती हैं जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं और सहकारी खेती के प्रति उनको भय हो जाता है। सरकार को चाहिये कि को लोग सहकारी खेती करना चाहें, उनको खाद दे, उनको लगान में भी छूट दे और ऋण आदि में भी छूट दे। सरकार को उनको हर तरह से रियायत देनी चाहिये ताकि लोगों की रुचि सहकारिता में पैदा हो। इससे सहकारी खेती को बढ़ावा मिलेगा। मेरा यह सुझाव है कि हर जिले में एक-एक सहकारी खेती के लिये सरकारी फार्म्स खोले जायें जिससे कि लोगों को प्रोत्साहन मिले।

दूसरी चीज मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और उसका संबंध माननीय राजस्व मंत्री जी से भी है कि जिन स्थानों पर आज चकबन्दी हो रही है और जहां पर छोटे-छोटे खेत हैं, वहां पर यह कोशिश की जाय कि काश्तकार को भरसक एक ही जगह पर खेत दिये जायें। जहां तक चकबन्दी के नियमों का प्रश्न है, वह तो अपनी जगह पर ठीक ही है परन्तु फिर भी यह भरसक कोशिश होनी चाहिये कि हर काश्तकार को एक ही स्थान पर खेत दिये जायें। इससे उनको सहकारी खेती करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा में एक चीज आपसे और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जिस प्रकार से और विभागों में हरिजनों को भरती में सुविधायें दी जाती है, उसी प्रकार से इस विभाग में भी उनको सुविधायें दी जानी चाहिये। आप देखें कि प्रार्थना पत्र में जहां पर २ रुपये में भी और विभागों में हरिजनों के लिये छट है, उसी प्रकार से इस विभाग में भी होनी चाहिये। मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थना-पत्र के खर्चे को भी आप हरिजनों के लिये घटायें और उन्हें रियायत दें। साथ ही साथ एक बात और कि जो कभी इस विभाग में हरिजनों की की है, उनको पदों की पूर्ति होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। अब श्री झिलमिट राम जो बोलेंगे और वह अपना भाषण ५ मिनट में ही समाप्त करें।

श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिये ही यह सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। परन्तु जिस प्रकार से हमारे यहां पर कोआपरेटिव सोस इटियां चल रही हैं अथवा जो उनके गठन के कानून हैं, वह ठीक नहीं हैं। उससे गरीब जनता की भलाई नहीं हो सकती है। सहकारिता का जो पुराना कानून है, उसी के आधार पर आपका विभागीय काम चलता है। आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि सहकारिता के वर्तमान कानून में आमूल परिवर्तन किये जायें ताकि समाज की बढ़ती हुई नई आवश्यकताओं को सहकारिता द्वारा पूरा किया जा सके। ये कोआपरेटिव सोसाइटीज आज उन्हीं लोगों के हाथ में हैं जो कि गांव के प्रभावशाली लोग हैं। आज उन्हीं लोगों को इतनी सुविधायें दी गई हैं कि वह इन पर कब्जा करके इनका इस्तेमाल अपने लाभ के लिये करते हैं। इस कानून में संशोधन करने का प्रश्न काफी अरसे से सरकार के विचाराधीन है, परन्तु दुख: की बात है कि आज तक उस कानून को सरकार नये रूप में ढालने में समर्थ नहीं हो पाई है और उसका कोई सफल प्रयास नहीं किया गया है। ये सहकारी समितियां गांव के उन बड़े लोगों के ही प्रभाव में हैं जिनकी कि पुरानी जमींदारी थी पुराने जमींदार और जो दूसरे प्रभावशाली लोग हैं तथा धनी मानी है वह इन सोसाइटियों से लाभ उठाते हैं। गरीबों को सोसाइटियों से कर्जा नहीं मिल पाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं गाजीपुर जिले का, खड़िया दुल्लहपुर और जंगीपुर की कोआपरेटिव सोसा-

[श्री झिनकमिटराम]

इटियों में हरिजनों को कर्जा नहीं दिया जा रहा है। कृषि के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है ? गरीबों की और भी हालत बदतर है। गाजीपुर जिले में कोआपरेटिव की तरफ से देवकली में गन्ने की एक मिल चल रही है। उसमें हालत यह है कि १२ आने एक रुपया मन ऊख लिया जा रहा है जबकि आज हालत में ३ रुपया मन लकड़ी बेची जा रही है। इस तरह जनता की गाढ़ी कमाई, १२ आने एक रुपया पर ली जा रही है। मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि इन चीजों को अच्छी तरह से जानकारी करायें। गरीबों को सुविधा पहुंचाने के लिए नये रूप से कानून निर्धारित करें और इस हाउस के अन्दर जल्द से जल्द उस विचाराधीन बिल को लाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

श्री प्रेमसिंह, आप दो मिनट में खत्म कर दीजिये।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस विषय में एक दो शेर कहना चाहता हूं।

एक सदस्य---

जिनके लिए शेर है वह तो चले गये।

श्री प्रेमसिंह---

उनके कानों तक बात पहुंच जायगी।

"ऐ चहार दस्त तुझको भुला दूं किस तरह ?
दर्द दिल का ही दिखाना काम है।"

श्री अधिष्ठाता---

आप कोआपरेटिव के सम्बन्ध में बोलिये।

श्री प्रेमसिंह ---

जी हां, इसमें ही कोआपरेशन आ जाता है। सदन में कोआपरेशन हो तो आगे तो होगा ही। हां तो सुनिये---

"शेशे रंजित आप लाते हैं यहां सहकारिता,
अफसरी की नीति का यह बुरा अंजाम है।"

देखिये, सहकारिता आ गयी। आप कंज्यूमर्स सोसाइटी ८ बड़े-बड़े शहरों में कायम करने की सोच रहे हैं यानी स्टोर्स ५० हजार की आबादी के शहरों में और जिलों में ये खोले जायंगे। आप शहरों में कायम करने पर विचार कर रहे है, लेकिन क्या उनके कायम होने का काम गरीबों को भी दिया है ?

श्री अधिष्ठाता---

अब आप स्थान ग्रहण करें। श्री चन्द्रसिंह रावत।

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने सदन के दोनों ओर से माननीय सदस्यों के भाषणों को प्रस्तुत अनुदान पर बोलते हुए सुना है, मैं उनके विचार और भावनाओं का आदर करता हूं और धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किये। उनके विचारों को देखते हुए हमें हर क्षेत्र में सहकारिता की कमियों और खामियों को समझने में बहुत मदद मिलती है और उनके अनुभव का आदर करते हुए हम समझते है कि सरकार अवश्य उन बातों पर विचार करेगी और जो कमियों और खामियों पर प्रकाश डाला गया है, उनको दूर करने का प्रयास किया जायगा। परन्तु एक बात कहना चाहता हूं। नयी व्यवस्थाओं का जब सूत्रपात होता है किसी देश अथवा समाज में तो वह एकदम से नहीं पनपा करतीं, उसमें कुछ समय अवश्य लगता है और वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर देश की स्थिति के मुताबिक पनपा करती है। इसलिये कोआपरेटिव मूवमेंट का जाल आज चारों तरफ बिछाया जा रहा है, उसकी एक लांग रेंज पालिसी है। हिन्दुस्तान में विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं और वह कई प्रांतों में बटा हुआ है, अगर उसको एकता के सूत्र में लाना है तो उसके लिये यही एक तरीका है कि चारों तरफ देश में सहकारिता का जाल बिछाया जाय। इससे हम हिन्दुस्तान के अन्दर एक बहुत बड़ी ताकत पैदा कर सकते हैं। जो उसका उद्देश्य है उसको तो माननीय मंत्री जी ने आपके सामने रख दिया है, उसको रखने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु एकता को हम अपने देश में कोआपरेटिव का जाल बिछा कर ही कर सकते हैं। मुल्क को संभालने के लिये सरकार है और सरकार को संभालने के लिये विरोधी दल है, यह मैं बताना चाहता हूं। अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती तो उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी विरोधी दल के ऊपर है और उससे आप इंकार नहीं कर सकते। कमियों की जिम्मेदारी दोनों तरफ है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। हमारा भी कटौती का प्रस्ताव है। किन्तु हमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता––

यहां यह कन्वेंशन रहा है कि कटौती का प्रस्ताव एक मान लिया गया है और जितने वक्ताओं को अवसर मिल सका है वह बोले हैं।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह––

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने आज के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लिया और मुझे खुशी है कि हर कोने से मेरी बात को समर्थन मिला। मैं वास्तव में अपने साथी शांतिचन्द्र शुक्ल जी का बड़ा आभारी हूं, वे मेरे पुराने साथी हैं और मेरे जिले के ही रहने वाले हैं, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ रोशनी डाली। उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। वास्तव में जिन बातों को कहने में मुझे संकोच था, उन्होंने उन पर ज्यादा रोशनी डाली है। चूंकि वे सरकारी पक्ष के हैं, मैं उम्मीद करता हूं जिन जिन भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र किया है उसकी जांच सरकार जरूर करायेगी और ऐसा करके जो व्यक्ति उस आरोप में पाये जायेंगे उन पर मुकदमा भी सरकार चलायेगी क्योंकि शांतिचन्द्र जी उन्हीं के दल के हैं और उन्हीं के दल के आज तक मंत्री रहे हैं और वह हर बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं। वे असलियत को जानते हैं। वाइस प्रेसीडेंट भी उन्हीं के दल के हैं।

हमारे एक साथी ने गांधी जी के बारे में कहा और कहा कि मैं उस समय कांग्रेस में था जब महात्माजी ने सहकारी नीति का समर्थन किया। मैंने पहले कहा है कि मैं जहां तक सहकारिता के सिद्धांत का संबंध है, उसका कायल हूं, स्वतंत्र पार्टी भी हमेशा उसकी कायल रही है। गांधी जी ने कभी यह नहीं कहा कि ऐसी सहकारी नीति को अपनाया जाय जिसमें किसान का स्वामित्व ही खत्म होता हो। उसके लिये उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने साधन सहकारिता पर जोर दिया था और मैं भी कहता हूं कि जितने उपार्जन के साधन हैं वह अगर सहकारी रूप से किये जायं तो जरूर काश्तकार को बल मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को सदन स्वीकार करेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन सदस्यों ने आज विवाद में भाग लिया, उन सब का मैं आभारी हूं, खासतौर से राजा साहब का जो उन्होंने कुछ तथ्य, अपने अनुभव, इस सदन सामने रखे। मैं उनका इस बात के लिये भी आभारी हूं कि कुछ अच्छे शब्द उन्होंने मेरे बारे में कहे। वह मेरे पुराने सहयोगी हैं और मैं उनको जानता हूं कि वह एक बैलेंस रखते हैं, लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

मुझे इस बात का थोड़ा-सा खेद हुआ कि पार्टी के प्रभाव से शायद वह नीतियों के बारे में कहते समय उस संतुलन को नहीं रख सके।

जो स्थानीय बातें, चाहे गोंडा जिले और प्रतापगढ़ जिले के बारे में हों, उनकी थोड़ी जानकारी मुझे है, लेकिन अधिक नहीं है, कही गयी है उनके लिये मैं राजा साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई करप्शन होगा उसकी जांच-पड़ताल जरूर की जायगी और अगर मुकदमा बनता होगा तो वहां वह जरूर चलाया जायेगा, चाहे वह कांग्रेसी हों, गैर कांग्रेसी हों, चाहे सरकारी आदमी हो, चाहे गैरसरकारी आदमी हों। राजा साहब यह बात जानते है कि उनके फेडरेशन में कुछ गड़बड़ी थी। उसकी जब रिपोर्ट आफिसर्स से आयी तो एक ऐसा सेक्रेटरी अब वहां बनाया गया जिसमें राजा साहब को भी विश्वास है कि वह ईमानदार आदमी है। अब वह ईमानदार आदमी कितना काम कर सकता है यह उसके ऊपर निर्भर होगा।

यहां पर भ्रष्टाचार की बात कह दी जाती है, मैंने अर्ज किया था कि हमारे किसान ज्यादा इस कोआपरेशन में शामिल हो रहे हैं। जैसे हमारे लोग हैं वह लोग चलाते हैं। अब जैसे लोग हैं उसी तरह का रिफ्लेक्शन हमारी सहकारिता के आन्दोलन पर आयेगा। जैसा हमारा समाज होगा उसी का तो रिफ्लेक्शन सहकारिता पर आयेगा। मगर फिर भी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन में से इम्बेजिलमेंट और गबन वगैरह बराबर कम होता जा रहा है। थोड़े दिन हुये जब से मैं आया, आपके सवालों के जरिये से और दूसरे जरिये से भी, जब भी मेरी नोटिस में आ जाता है तो नोटिस जरूर लेता हूं, पत्र लिखता हूं, और जांच करवाता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। आडिट रिपोर्ट सन् १९६१-६२ में यह दिया हुआ है कि गोंडा के आपकी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को आपने तीन दिन के लिये क्यों रखा और तनख्वाह क्यों उनको दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि भ्रष्टाचार और गबन के मामलों का परसेंटेज औसतन कम होता जा रहा है। मैं आपकी आज्ञा से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। सन् १९५१-५२ में यहां .४ प्रतिशत जितना हमारा कारोबार था उसका इम्बेजिलमेंट था। सन् १९५७-५८ में वह .०७ रहा। पारसाल सन् ६०-६१ में .०४ हुआ और इस साल सन् ६१-६२ में वह .०३ हो गया। इतना बड़ा हमारा कारोबार है। मैं अर्ज करूं कि १३८ करोड़ ९८ लाख का सारे कोआपरेटिव के काम को मिला करके रोजगार होता है उसमें अगर .०३ परसेंट इम्बेजिलमेंट हो जाता है तो उसके लिये यह सारा शोरगुल! यह मैं जरूर कहता हूं कि निगरानी होनी चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ३२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

फिर भी उस पर निगरानी रखी जा रही है, हम उसको और भी घटाना चाहते हैं क्योंकि जनता का पैसा है। लेकिन आप किसी भी फर्म या बैंक को ले लीजिये वहां एम्बेजिलमेंट तो होते ही हैं।

किसी कारबार को यह देखने के लिये कि यह कैसा चल रहा है दो-तीन बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि उस पर मैनेजमेंट को कास्ट क्या है। जहां तक उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव की अपेक्स बाडी यू०पी० कोआपरेटिव बैंक का ताल्लुक है उस पर मैनेजमेंट की कास्ट .३ प्रतिशत है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक्स पर मैनेजमेंट का खर्चा .७५ प्रतिशत है तथा जो प्राइमरी यूनिट्स गांवों में हैं उन पर यह खर्चा १.५ प्रतिशत है। अब जो अच्छे प्रदेश माने जाते हैं उनको देख लीजिये। जैसे गुजरात है उसमें अपेक्स बैंक पर .२ प्रतिशत खर्चा है

लेकिन डिस्ट्रिक्ट बैंक पर, १.३ प्रतिशत है जब कि हमारे यहां .७५ प्रतिशत है। प्राइमरी यूनिट्स पर हमारे यहां जब कि खर्चा डेढ़ प्रतिशत है वहां पर ३ प्रतिशत है। इसी प्रकार से केरल में भी ३ प्रतिशत है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र भी हमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे भी बैंक प्रदेश में हो सकते हैं जिनका खर्चा हमसे भी कम होगा, लेकिन हमारे बैंक का जहां तक ताल्लुक है उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी हालत अच्छी नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव––

फिर यह नुक्सान क्यों हो रहा है, बाजपुर शुगर फैक्ट्री में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

जो बातें डिबेट में कही जा चुकी हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। अगर इस प्रकार से बीच-बीच में प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो कठिनाई हो जायगी।

राजा साहब ने अपने पार्टी मेनीफेस्टो और कांग्रेस के मैनीफैस्टो को लेकर यह बतलाया कि यह सहकारिता नहीं है, सरकारिता है। उन्होंने इसके लिये दो सिद्धांत बताये। उन्होंने कहा कि एक तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिये, बिल्कुल रेलीजिस और पोलीटिकल इन्टर-फियरेंस नहीं होना चाहिये। अगर आप कोआपरेटिव के सारे कान्स्टीट्यूशन को देख जायं तो आपको ऐसी बात कहीं भी उसमें १ प्रतिशत भी नहीं मिलेगी। यहां तो सीधा 'एक आदमी एक मत' का सिद्धांत रखा गया है। अगर कहीं आर्बिट्रेशन की आवश्यकता होती है तो दोनों पार्टीज का एक-एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी एक मकरूज का और एक सोसाइटी का और तीसरा रजिस्ट्रार का नामिनी होता है। वह इसलिये कि अगर तीसरा आदमी वहां न हो तो जजमेंट ही नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यह जो पैनेल होता है उसमें सरकार के सदस्य न हों। आखिर यह रुपया कहां से आता है? जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ज्यादातर रुपया शेयर कैपिटल का होता है, कुछ डिपोजिट का होता है जो यू०पी० कोआपरेटिव बैंक में जनता जमा करती है, और इस तरह से जो आपको रुपया मिलता है उससे वह यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की एक साख हो जाती है। उसमें सरकार भी भी थोड़ा बहुत मदद करती है क्योंकि हमारा मुल्क गरीब है। अगर समितियां अपने पैरों पर खड़ी हो जायं तो इससे तो सरकार को बहुत बड़ी खुशी होगी। सरकार तो चाहती है कि वह दिन आवे जब कि सरकार अपना शेयर जो उसमें थोड़ा बहुत लगाये हुये है उसे हटा ले और सहकारिता का काम पूरा का पूरा जनता के हाथ में आ जाय। लेकिन आज की विशेष अवस्था में समितियों की मदद करना जरूरी है, चाहे वह कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटी हो, चाहे कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे कोआपरेटिव मारकेंटिंग सोसाइटी हो। यह सही बात है कि आज इन समितियों की मदद सरकार द्वारा होनी चाहिए।

एक बात कही गयी कि समितियों में पालिटिक्स घुस गयी है। बड़ा मुश्किल है और हमारे मुल्क की यह बदकिस्मती है कि हम लोग एक दायरे के ऊपर नहीं आ पाते। चाहे सामाजिक काम हो, चाहे आर्थिक काम हो, चाहे दूसरे तरह के सोशल काम हों, सब जगह हमारी पालि-टिक्स रहती है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य हमारी आर्थिक हालत को ठीक करना है इस समय जो समितियां हैं वे अपने आप बनती हैं, अपने आप उनका संचालन होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से उनका चुनाव होता है और अब वहां भी प लिटिक्स आ जावे और वहां के अधिकारी लोग सारे के सारे ऐसा करें तो यह कुछ असंभव,सा ही मालूम होता है। मैं कई जिले की सोसाइटीज को जनता हूं जिनमें पोलिटिकल पार्टीज का हाथ है, उनमें सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और दूसरी पार्टी के लोग भी चुने गये हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर पुराने कोआपरेटर्स ही हैं जिनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी इन समितियों के द्वारा अपना काम करती है लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस का आर्गनाइजेशन बहुत बड़ा है और उसे अपना काम चलाने के लिये किसी समिति या दूसरे आर्गनाइजेशन की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। हां, जहां तक राष्ट्रीय संकट के समय में

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

मदद करने की बात है, कोआपरेटिव सोसाइटीज के सदस्यों ने अपने दिल से पूरा का पूरा योगदान दिया । ग्राम समितियों में तो पोलिटिक्स का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं से चुन कर प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट से चुने हुए प्रतिनिधि यू० पी० कोआपरेटिव समिति में जाते हैं । फिर वहां पोलिटिक्स आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ।

इतना मैं और अर्ज कर दूं कि ६५ हजार तो हमारी प्राइमरी सोसाइटीज हैं, जिनके ४३ लाख के करीब मेम्बर हैं । अब ४३ लाख मेम्बर सब एक ही पार्टी के हों यह तो असंभव ही है । किसी पार्टी की इतनी ज्यादा मेम्बरशिप नहीं है । इन समितियों में बहुत ज्यादा लोग गांव के ही हैं जिनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है । इसलिये मैं कहूंगा कि समितियों में पार्टी की बात लाना गलत चीज है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कोई विरोधी दल से संबंध रखने वाला सदस्य हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाला सदस्य हो, कोआपरेशन के काम में पार्टी पोलिटिक्स उठाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता ।

राजा साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया सहकारिता खेती पर और बातों का उन्होंने विरोध किया लेकिन बीच में और बातों को छोड़कर मैं कहता हूं, खासकर विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कि जब वे कोई कटमोशन देते है तो कृपा करके देख लिया करें कि यदि कभी उनकी गवर्नमेंट बन जाय और इस तरह की चीज कही जाय तो इस तरह से रखना कि सारा बजट काट दिया जाय और एक रुपया रख दिया जाय यह कटमोशन की मंशा नहीं होती। राजा साहब ने स्वयं कहा था कि वह कोआपरेटिव में क्रेडिट सोसाइटीज को मानते हैं, कंज्यूमर्स मार्केटिंग सोसाइटीज को मानते है, और उनके कहने के अनुसार अगर सब घटा कर १ रुपया रख दिया जाय तो यह सब कैसे चलेगा । राजा साहब की मैं मानता हूं कि हो सकता है कि उन की ऐसी धारणा हो और उनका तजुर्बा हो और जो उच्च नेता उन के दल के हैं उनका ऐसा तजुर्बा हो लेकिन हमारे देश ने मंजूर किया, हमारा जो संविधान है, उसमें सोशलिस्ट पैटर्न का कामनवेल्थ बनाने का हमारा मकसद है और किसान हमारे समाज का इतना बड़ा तबका है जिसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता । उसका जरूर बड़ा लाभ और हित होना चाहिये। इसलिये जो हमारा ध्येय है उस को हमें पूरा करना है, वह हम करेंगे और कर रहे हैं । वह कभी भी सहकारिता से नहीं हो सकता क्योंकि अगर वह सरकारी तरीके से हो सकता तो हम में और कम्युनिज्म के मानने वालों में फिर अन्तर ही क्या होता। हम तो हर चीज लोगों की मर्जी पर छोड़े हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है । अगर कोई जबरदस्ती लादने की बात होती है तो जैसा कि आप ने खुद फरमाया कि इतने दिनों से चल रहा है तो अगर जिलाधीश और सरकार की सारी ताकत लगती तो सारे प्रदेश मे साढ़े ६०० कोआपरेटिव सोसाइटियां बनती । तो वाकया और सही बात यह है कि यह उनकी मर्जी पर मुनहसिर है कि वह चाहें तो शामिल हों और न चाहें तो न हों। कहा गया कि उन को फौरन अलग होने का हक नहीं है तो फिर मर्जी कहां है ? राजा साहब इस बात को मानेंगे कि सरकार हो या कोई भी हो अगर कोई नया व्यापार करता है तो एक साल में कोई तरक्की नहीं हो सकती और कोई सही नतीजे बरामद नहीं हो सकते, वह ३–४ साल बाद ही निकल सकते हैं । वह आज सम्मिलित होने आते हैं, हाथ मिलाने के लिये बढ़ते हैं तो कल ही उन को तमाचा देकर तो नहीं जाने देना चाहिये । वह कम से कम ३/४ साल उसमें रखकर देखें, अगर घाटा हो जाय तो वह अलग हो सकते हैं, उनको उसी कीमत की जमीन मिल जायगी । इसमें कौन-सी जबरदस्ती हो गई ?

एक बात राजा साहब ने कही और एक और साहब ने भी कहा था कि उन को रद्दी जमीन क्यों दी जाती है । जो सहकारिता में शामिल हुये वह इत्तिफाक से जो हमारे रिफ्यूजी आये, वह पड़ी हुई जमीन उन्होंने रिक्लेम की, उन में हमेशा ही सहकारिता अच्छी चलती है। जो मुसीबतजदा होते हैं, जिनके पास अभाव होता है जिन को जल्दी तरक्की का खयाल होता है, उनमें सहकारिता सफल होती है । इस मामले में आप जानते हैं कि यहूदियों का देश इसराईल

बहुत सफल हुआ है इसी कारण से कि वहां पर बाहर से लोग पहुंचे थे। उन्हें जमीनें मिली, उन्होंने मिलजुल कर काम किया, जमीन रद्दी थी लेकिन उन्होंने कोशिश से मिलजुल कर उसकी पैदावार को बढ़ाया और एवरेज पैदावार को कम नहीं होने दिया। मैंने कहा था कि कुछ सोसाइटियां एवरेज से ऊपर हैं। बहुत-सी एवरेज में होंगी, कुछ थोड़ी-सी होंगी जो एवरेज से कम पड़ती हों। मैं बताना चाहता हूं कि एक भाटिया फारमर्स सोसाइटी है, उसकी १९४९–५० में जो गेहूं की पैदावार का ५ एकड़ में एवरेज था वह बढ़ कर १९६०–६१ में १७.६ मन हो गया। करीब करीब तिगुनी गेहूं की पैदावार बढ़ी। चने का साढ़े ७ मन का एवरेज था वह १७ मन हो गया और शुगर केन का १४९ मन था वह बढ़कर ४०९ मन हो गया। पैडी का १३.७ मन था वह २० मन के करीब बढ़ गया। ऐसी कई सोसायटीज हैं जिन्होंने निरन्तर अपनी पैदावार बढ़ाई है, मैं सदन का अधिक समय न लेने की दृष्टि से और अधिक विस्तार में न जाऊंगा। यह बात सही है कि लोगों ने फर्जी सोसाइटीज बना लीं, लेकिन मैं अर्ज करूं कि फर्जी सोसायटी बनाने से किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता, कोई सीलिंग से नहीं बच सकता। जिनके पास ज्यादा जमीन है और सीलिंग से बचने के लिये अगर कोई कोआपरेटिव फार्मिग बनाता है तो नहीं बना सकता है। कुछ बड़े लोगों ने सोसाइटीज बनायीं, मैंने आर्डर्स निकलवाये कि एक फैमिली के लोग जिस सोसायटी में हों उसको आर्गेनाइज न किया जाय, जिन सोसायटीज में ज्यादा बड़े लोग हों उनको आर्गेनाइज न किया जाय, उनको प्रीफरेंस न दिया जाय और छोटे काश्तकारों को प्रीफरेंस दिया जाय। इसका एक सबूत मैं दे रहा हूं कि जो पहले सोसायटीज बनीं थीं उनमें फी मेम्बर एवरेज १० एकड़ का था। बड़ी सोसाइटी थी, अब घटकर ५ एकड़ एवरेज हो गया। तो जाहिर है कि आज छोटी होल्डिग्स वाले आ रहे हैं वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में। देवरिया में भी मैंने देखा एक सोसायटी में खासा अच्छा काम हो रहा है और लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो जो सहकारी फार्म्स हैं यह सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। हमारा और आपका उद्देश्य है कि सहकारी कृषि बढ़े और हम सब का फर्ज है कि हम ऐसी सोसायटीज आर्गेनाइज करायें जिनमें छोटे लोग शामिल हों जो खुद मेहनत करते हैं। हमने यह भी कर दिया कि जो एबसेंटी लैन्ड लार्डस हैं, जो खुद कल्टीवेट नहीं करते वह सरटैन परसेंटेज के अलावा बहुत थोड़े हैं, उसके बाद मेम्बर नहीं होंगे, और अगर मेम्बर होंगे तो जो सहूलियतें औरों को मिलती है, वे उनको नहीं मिलेंगी। तो उद्देश्य यही है कि किस तरह से इन सोसाइटीज को ऐसा बनायें जिनसे गरीब और छोटे किसानों को फायदा हो। राजा साहब ने कहा कि इनकी जरूरत नहीं है। हो सकता है बड़े फारमर्स को जरूरत न हो, लेकिन छोटे किसान को इसकी जरूरत है। अगर डेवलपमेंट करना है तो १ से ३ एकड़ वाला किसान न तो अपने यहां कुंआ खोद सकता है, न बंधी डाल सकता है, न उन्नत हल से खेती कर सकता है। मतलब यह कि उन्नतिशील साधनों का फायदा अकेले खुद नहीं उठा सकता है जब तक कि १०–५० आदमी मिल कर बड़ी होल्डिंग न करें। सिवाय कोआपरेटिव खेती के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर दूसरे एक फायदा और होता है। सही मानों में पैदावार में बढ़ोत्तरी होगी और छोटे छोटे फार्म सहकारी खेती में शामिल होते हैं तो उनको ज्यादा काम मिल जायगा। लोग कहते हैं बेकार हो जायंगे और कुछ मजदूर हो जायेंगे, यह ठीक नहीं है। एक बीघा, दो बीघा का जो काश्तकार है और वे इकट्ठा हो जायं डेवलपमेंट के काम में और १०० बीघे का फार्म हो उसमें वह शामिल हो जायं और एक आधा मजदूर भी शामिल हो जाय तो उसको काम मिलेगा। फिर जो पैदावार होती है उसको इकट्ठा बेचने में, उसके प्रोसेसिंग में भी वह लग सकता है। दाल बना सकते हैं। बहरहाल लोगों को काम मिलेगा। सोसाइटी की माली हालत अच्छी हो जायगी तो छोटी मोटी इंडस्ट्री खोली जा सकती है जिसे छोटा किसान नहीं खोल सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे काश्तकार के लिये सहकारी खेती के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है कि उसकी हालत दुरुस्त की जाय।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

मेरे मित्र ने इधर से कहा कि मजदूरों को सहकारी खेती में हिस्सा दिलाया जाय तो ज्यादा फायदा होगा। मैं अर्ज कर दूं कि जो मजदूर शामिल होता है वह हिस्सेदार हो गया। मुनाफा होगा वह बांटा जायगा तो मजदूरी के अलावा जो प्राफिट होगा उसमें भी उसे हिस्सा मिलेगा। हिस्सेदार होने के माने ही यह होते हैं कि उसे फायदा मिलेगा।

एक बात राजा साहब ने यह कही कि लार्ज स्केल सोसाइटीज बनेंगी। लाखन दास जी ने काफी इंफार्मेशन दी। मैं अर्ज कर दूं कि पहले क्रेडिट सर्वे हुआ था। उसमें यह पालिसी रखी गयी थी कि लार्ज स्केल सोसाइटीज बनाई जायं, २०, २० गांव को मिला कर। उस पेटर्न पर पहले काम शुरू हुआ। नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इस पर फिर जांच-पड़ताल की और वह इस नतीजे पर आई कि वे लार्ज स्केल सोसाइटीज ठीक काम नहीं करतीं। इसलिये हर गांव में एक सोसाइटी बनाई जाय। लार्ज स्केल सोसाइटीज बनी हुई हैं। उनको बिल्कुल नहीं मिटायेंगे। साइज वही रहेगा। उनका सर्विस कोआपरेटिव कैपिटल वही बना रहेगा, लेकिन वे छोटे एरिया में संकुचित कर दी गयीं और बाकी जो एरिया रहेगा उसमें नई कोआपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी।

एक मेहता कमेटी बनी थी। बड़े कोआपरेटर वे हैं। मिनिस्ट्री उन्होंने त्याग दी और कोआपरेशन में उन्होंने अपने को आफर किया। उनसे पूछा गया कि सही पैटर्न क्या होगा सोसाइटी का? उनकी यह रिपोर्ट है कि कम से कम जो विलेज सोसाइटी हो वह ऐसी हो कि उसका खर्चा खुद निकल सके। वह हो सकती है ३ हजार की पापुलेशन तक और उसका टर्नओवर बिजनस ४५ हजार से ५० हजार तक हो तो वह सोसाइटी फायदे में चल सकती है। इसलिये मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ही हम सोसायटीज अब आर्गनाइज करेंगे और शुरू कर रहे हैं।

एक बात सूद के बारे में कही गयी कि सूद ज्यादा लिया जाता है। मैं अर्ज करूं कि यह सरकार का रुपया नहीं है। इसे आप ध्यान में रखें। यह रुपया है उन्हीं किसानों का, उन्हीं डिपाजिटर्स का जो गांवों या शहरों में रहते हैं। उसका हमें सूद देना पड़ता है। तो सरकारी रुपया न होकर जनता का रुपया है, जनता अपने आप खर्च करती है, अपने आप कर्जा लेती है। उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है इसलिये उसमें खर्चा होता है और वह खर्चा निकालना जरूरी है। वह सूद में से ही निकलेगा। आप मुकाबला करते हैं बड़ी बड़ी साख वाले लोगों से कि उनको किस सूद पर कर्जा मिलता है। सही बात है, हमको कम्पेयर करना चाहिये उस सूद से जो गांव के किसान को और लोगों से लेने में देना पड़ता है। जैसा कि कहा गया २५ से ५० फीसदी तक सूद गांवों में चार्ज किया जाता है। कोशिश जरूर हमारी यह होनी चाहिये और बराबर रही है कि सूद कम किया जाय। १२ फीसदी सूद लिया जाता था। उसको घटा कर पौने ९ फीसदी कर दिया और कुछ सोसायटीज में तो ६ फीसदी ही लिया जाता है जिनका अपना कैपिटल हो गया है। तो हमारा मुनाफा कमाने का आन्दोलन नहीं है। यह तो जैसी उनकी आर्थिक हालत होती जायगी वह अपना सूद कम करती जायेंगी। हमने बराबर कम किया है। हम आधा परसेंट और कम करना चाहते थे, यू० पी० बैंक ने कर भी दिया था, लेकिन सभी को मालूम होगा कि इसी बीच सभी बैंक्स के रेट बढ़ गये इसलिये जो हम और घटाना चाहते थे वह नहीं घटा सके। लेकिन इतना जरूर है कि हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ाने वाले हैं और चाहे और बैंकों का रेट बढ़ जाय। कोशिश यही करेंगे कि इससे कम सूद हो सके। यह इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मैनेजमेंट है, कितना फायदा है।

एक बात बीज भंडारों के लिये कही गयी। मैं नहीं समझता, माननीय सदस्य चाहे जिस इलाके से आते हों अगर वे किसानों की राय लें तो कोई एक ऐसा इलाका नहीं होगा जो यह कहे कि ये बीज भंडार तोड़ दो, इनकी जरूरत नहीं है खासतौर पर पूर्व के जिलों में जहां गरीबी है और बीज नहीं मिलता। यह सही है कि ५३ फीसदी हमारे बीज गोदाम अनएकोनामिक हैं। लेकिन एक बीज भंडार जो कम से कम दो हजार मन गल्ला दे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उसमें एक सुपरवाइजर, एक तौला, एक चौकीदार रहेगा। इनका खर्चा होगा। फिर

कुछ डेप्रिशियेशन चार्जेज होंगे, बोरा वगैरह हैं, इन सबको मिला कर इतना खर्चा होता है कि जो सवाया लिया जाता है उसका बहुत थोड़ा बचता है, बाकी खर्चे में जाता है। जिस भंडार से दो हजार मन दिया जाता है, वहां भी अगर किसी साल उतना नहीं लिया, फसल अच्छी हो गयी, लोगों के पास अनाज रह गया, तो हम तो वहां की नीड का अन्दाजा लगा कर रखते हैं लेकिन अगर बच गया तो वह कहां जायगा ? जब आप बिजनेस करेंगे और लोगों को फायदा पहुंचायेंगे तो बिजनेस प्वाइंट को भी सामने रखना पड़ेगा। असल मकसद तो यह है कि किसानों को अच्छा और सस्ता बीज मिले। सब्सिडी जो हम देते हैं वह इसलिये कि जो ३-४ साल में बीज डेटिरियोरेट होता है उसको अच्छा बनाने के लिये जो हम रिप्लेस करते हैं उसमें कीमत में जो डिफरेन्स आता है उसके लिये सब्सिडी दी जाती है। फिर भी हमने अपनी पालिसी बदली और वह पालिसी यह है कि जो एक हजार मन के अनइकोनामिक बीज भंडार हैं, उनको बंद कर दिया जाय और बाकी के लिये कोशिश की जाय कि वे इकोनामिक हो जायं क्योंकि किसानों के लिये सबसे बड़ी जरूरत बीज की है। जिस तरह से किसान को कर्जे की जरूरत पड़ती है उसी तरह से बीज की जरूरत पड़ती है। जब गरीब किसान को अपने खेत में बीज बोना होता है तो वह १०-१० गांवों में बीज के लिये मारा मारा फिरता है तो कितनी उसको तकलीफ होती है। इसलिये बीज की सहायता भी किसान को अच्छी सहायता है। इसके जरिये से जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वे कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। एक तो किसान की अच्छी हालत होती है और दूसरे गल्ला मौजूद रहता है जो वक्त जरूरत लिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि दो दफा सवाया लिया जाता है लेकिन दो दफा सवाया नहीं लिया जा सकता है। वे कोई बीज मुझे बतला दें जो साल में दो दफा बोया जाता हो। खरीफ का बीज जिस खेत में बोया जाता है, उसमें दुबारा खरीफ की फसल नहीं हो सकती है। किसान जानता है कि एक बीज साल में एक ही दफा बोया जाता है। छै महीने में सवाई नहीं हो सकता है। सूद जो है वह ऐसा है कि इसको किसान खुशी से देता है।

एक बात यह कही गई कि क्रेडिट सोसाइटीज जमींदारों के असर में हैं और गरीब किसानों को कर्जा नहीं देती हैं। मैंने आपको बताया कि यह बात नहीं हैं। जमींदार पहले थे अब नहीं हैं। वे मेम्बर बने थे लेकिन बहुत कम हैं। जैसा कि मैंने अपने बयान में बताया था कि छोटे लोगों को क्रेडिट-वर्दीनेस नहीं होती है इसलिये कोई उनको कर्जा देने के लिये तैयार नहीं होता है। इसलिये हमने एक स्कीमस चलाई है कि ३ प्रतिशत प्राइमरी सोसाइटीज को ग्रांट के रूप में देंगे और एक प्रतिशत बैंक को देंगे ताकि जिनको कर्जा नहीं मिलता है, उनको कर्जा मिल सके। हमारा यह निरन्तर प्रयास है कि नीचे के लोगों की सेवा होनी चाहिये। कोआपरेटिव मूवमेंट देश में लाना है तो छोटे लोगों की सेवा होनी चाहिये। हमारा निरन्तर प्रयास है, तीसरी योजना में भी हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे कि लोगों को कर्जा मिले।

हमारा उद्देश्य है कि हर किसान को कोआपरेटिव में शामिल करना चाहिये, इसके माने यह हैं कि जो मेम्बर बनेंगे उनको हम कर्जा देंगे। ज्यादातर उन्हीं लोगों की मेजोरिटी है जिनको वीकर सैक्स आफ दि सोसाइटी कहा जाता है, उनको कर्जा मिलेगा और उनको लाभ होगा। धीरे-धीरे यह फैल जायेंगे, जैसे ५० फीसदी हो गये हैं तो सभी अमीर नहीं हो सकते हैं। कर्जे के बारे में अमरीका से हिन्दुस्तान का मुकाबला किया गया। मुझे ता जुब हुआ अमरीका और हिन्दुस्तान की इकोनामिक कंडीशन क्या हैं, उनका मुकाबला करें। यहां तो गनीमत है कि उनको इतना कर्जा मिलता है। महाजनों के खातों को देखिये कि तीन-तीन पुश्त तक कर्जा अदा नहीं हुआ है तो वह चीज यहां नहीं लग सकती जो अमरीका में लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि १७५ रुपये ज्यादा हैं। मैं कहता हूं कि किस काश्तकार परिवार को ७५ रुपये की जरूरत नहीं है ? अगर एक बैल खरीदना हुआ तो पांच सौ, तीन सौ रुपया चाहिए। फिर हम डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं जिससे किसान लोग तरक्की करें और

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

जो कर्जा लेते हैं वह उसमें लगाएं। इसलिए जरूरी है कि हम उनको कर्जा दें और कम सूद पर कर्जा दें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि लोग ऐसी दशा में हों कि कर्जा न लें और ऐसे भी मेम्बर्स हैं जो कर्जा नहीं लेते।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैंने अर्ज किया था शार्ट टर्म्स लोन के बजाय आप मीडियम टर्म लोन्स को प्रिफर करें।

श्री चतर्भुज शर्मा—

तो हमारे देश की जो हालत है, उसमें जरूरी है कि अभी हम कुछ दिनों तक लोगों को कर्जा दें और वह बढ़ता जायगा। लेकिन अगर लोग खा पी डालें तो यह गलत होगा। अगर सही मानों में कर्जा उत्पादन में लगता है तो किसान की माली हालत इससे अच्छी होगी और वह कर्जा आपको अदा कर देगा और अपनी जरूरियात भी पूरी कर लेगा। इसीलिए लिंकिंग किया गया कि नकद न देकर फर्टीलाइजर और बीज से उन को लिंक करें। उसका मकसद यही है कि वह सीधा उत्पादन में जाय।

एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि मीडियम टर्म लोन देना चाहिए, शार्ट टर्म नहीं देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसकी कोशिश कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि यह निरन्तर बढ़ रहा है मीडियम टर्म लोन। डिस्ट्रिक्ट या विलेज सोसाइटीज का रिजर्व इतना नहीं है कि वह ज्यादा लोन दे सकें। इसीलिए इस साल हमने मीडियम टर्म लोन के लिये काफी रुपया रखा है ४ करोड़ या कितना। दूसरी बात आपने लांग टर्म लोन की कही। इसीलिए मार्गेज बैंक खुला है। इसमें काफी अच्छा काम हुआ है। इस साल ७५ लाख सेक्शन हुए हैं, कर्ज लांग टर्म के ४५ लाख आलरेडी बांट दिया है। उम्मीद है कि पांच करोड़ इसका टार्गेट है, धीरे-धीरे हम पूरा करेंगे। जहां तक लांग टर्म और मीडियम टर्म की बात है हम लोग इस सिद्धान्त को मानते हैं कि जो रुपया लांग टर्म और मीडियम टर्म में जायगा यह ज्यादातर उत्पादन में लगेगा और यह अंदेशा कम होगा कि वह और कामों में लगे। यह डेवलपमेंट लांग टर्म में हो सकता है या मीडियम टर्म में हो सकता है। इसको हर एक आदमी मानेगा कि उसका डेवलपमेंट इसी से होगा। तो यह हमारी पालिसी है। धीरे-धीरे हम उधर जा रहे हैं। अभी मैं लांग टर्म और शार्ट टर्म की बात कह रहा था। उसी में एक साहब ने कहा था कि शार्ट टर्म लोन बिलकुल खत्म कर देना चाहिए। यह बिलकुल अव्यावहारिक बात है। लोगों को रोज जरूरत पड़ती है और सारी सोसाइटीज यह काम करती हैं और फिर अगर उसको खत्म करना है तो जो मेम्बर्स हैं वह शार्ट टर्म लोन लेना बन्द कर दें, मीडियम टर्म लेना शुरू कर दें, तो हो सकता है लेकिन वैसे कैसे हो सकता है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत जरूरत बनी रहती है। यह एक तजुर्बे की बात है कि शार्ट टर्म लोन खत्म नहीं हो सकता और न होना चाहिए।

एक बात कही गई मार्केटिंग सोसाइटीज के बारे में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके सूबे में मार्केटिंग सोसाइटीज का काम बड़ा अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। २०० सोसाइटीज हैं और १२ परसेंट मंडी के एराइवल्स को हम उनके जरिये से डील करते हैं। साढ़े नौ करोड़ रुपये के करीब का, इतना गल्ला हमारी यह सोसाइटियां डील करती हैं। यह कहा गया कि यह कमीशन एजेंट्स हैं, कच्चे अढ़तिये हैं, पक्के अढ़तियों का काम नहीं करतीं और ट्रेडर्स ने काफी किसी किसी मंडी में हमारी मुखालिफत भी की है, हमको नहीं जमने दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सहकारिता आन्दोलन ने इस कठिनाई को पार कर लिया और ट्रेडर्स एक भी मंडी में सफल नहीं हो पाये, क्योंकि आपके यहां पी० सी० एफ० का एक आर्गेनाइजेशन मौजूद है, जिसने यह काम अपने ऊपर लिया पक्के अढ़तियों का। हालांकि काफी घाटा उसको उठाना पड़ा लेकिन जिन-जिन मंडियों में पक्के अढ़तिये अड़चन पैदा करते थे वहां-वहां पी० सी एफ० ने खरीदा और इस तरह हमारी मदद हुई। इस तरह पक्के अढ़तिये का काम उन्होंने किया है। फिर बनारस में और आगरे में हमने पक्के अढ़तिये

की भी मार्केटिंग सोसाइटी खोल दी और वहां काम काफी अच्छा हो रहा है। वहां के तजुर्बे पर और जगह भी जहां जरूरत होगी होलसेल की वहां इसे खोलेंगे और उसके साथ-साथ हमारा पी० सी० ए० तो यहां मौजूद है ही, जहां जरूरत होगी इसके जरिये से खरीद होती रहेगी। एक बात मार्केटिंग सोसाइटी के लिए यह कही गई कि यह फेल हो गई। मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि एक ही दो चीजें तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमको कुछ थोड़ा सा कहने को मिलता है कि हमें सफलता मिली है और उसी को कह दिया जाय कि हम फेल हो गए तो हम कैसे इसे मानें क्योंकि अभी-अभी तो एस्टैब्लिश की हैं और अभी करते जा रहे हैं, पूरी मंडियों में कर भी नहीं पाये हैं, रुपये की कमी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हम इसमें फेल हो गए। तो ऐसे जितने काम हुए हैं उनसे सही माने में किसानों को लाभ हुआ है, यह भी किसान अब समझ रहा है। कच्चे अढ़तिये के काम का अपोजीशन तो हुआ, लेकिन उससे एक फायदा भी हुआ कि जो तरह-तरह के इल्लीगल ड्यूज ट्रेडर्स ने लगा रखे थे वह जहां-जहां हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज खोली गईं वहां-वहां बंद हो गए। सही तरीके से काम हुआ और उससे भी किसानों को काफी फायदा हुआ। इसलिए मार्केटिंग सोसाइटीज हमारी चल रही हैं। बाबूलाल श्रीवास्तव जो मेरे मित्र हैं। उन्होंने हृदय पर पत्थर रखने की बात कही। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको हृदय पर कभी पत्थर रखना नहीं पड़ेगा। भगवान की कृपा से यह चीज सही सही चलेगी। इस डिपार्टमेंट से जो उनको उम्मीद है वह जरूर पूरी होगी। इस विभाग में काम अभी बहुत करना है। अभी बहुत काम की कमी है। अभी इसमें शुरुआत है। अभी तो हमने कोआपरेशन की तरफ कदम रखा है। चाहे क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे मार्केटिंग सोसाइटी हो और चाहे दूसरी सोसाइटी हो और चाहे कोआपरेटिव फार्मिंग हो उन सोसाइटियों में हमने कमजोर आदमियों के लिये काम शुरू किया है और उनको फायदा पहुंचाने के लिये हमने इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रारम्भ किया है। ३-४ साल से यह काम अच्छी तरह से चल रहा है। मुझे विश्वास है कि यह आन्दोलन आप सबके सहयोग से अच्छी तरह से सफल होगा क्योंकि इसमें पोटेन्शियलिटी बहुत है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि जिनके पास साधन नहीं हैं, उनको यदि साधन दे दिये जायं, अगर उनकी मदद कर दी जाय तो उनके साधन ज्यादा हो जाते हैं और वे अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से जो यह नई नई सोसाइटी तरह तरह की बन रही हैं यह सही है माने में कोआपरेशन का काम है। जैसा मैंने कहा इसमें साधनों की जरूरत है और साथ ही स्प्रिट की जरूरत है, स्प्रिट लाना है। मैं इस बात को मानता हूं कि कमी है और गड़बड़ी है और गबन भी होते हैं, लेकिन उसको भी धीरे-धीरे दूर किया जायगा। कहा गया कि आफिशियलडम ज्यादा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो प्रिसाइड करने के लिये आता है वह केवल सालाना मीटिंग में ही आता है क्योंकि उसमें झगड़े का अन्देशा रहता है। उसको बचाने के लिये आता है इसके लिये यहां से आर्डर चले गये हैं। आर्डिनरी मीटिंग से जो आपका वायस-चेयरमैन होता है वही प्रिसाइड करता है। सब जगह अफसरों का इन्टरफियरेन्स कम करने की बात सोची जा रही है। उसके लिये बिल लाने की बात है। उसमें कुछ अफसरों के अधिकार हैं, लेकिन मैं इस सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे समाज की हालत है और जिस तरह से हमारी सोसाइटी है, जिस तरह से गबन के सवाल बराबर आते हैं उसमें केवल हमारे अफसर ही नहीं रहते हैं बल्कि उसमें हमारे कार्यकर्त्ता भी ज्यादातर रहते हैं। उसमें सब लोग रहते हैं और सब पार्टियों के लोग रहते हैं चाहे वे किसी पार्टी के हों और चाहे जिस धर्म के हों। कोई एक नहीं रहता है। यह हमारी आज स्थिति है। इसके लिये थोड़ी निगरानी रखने की जरूरत होगी। इस आन्दोलन के हित में इसको सही दिशा में चलाने की जरूरत होगी। जैसा राजा साहब ने कहा था कि क्यों नहीं मुकदमा चलाते। अगर यह मुकदमा चलाने का काम उन पर छोड़ दिया जाय तो वह प्राइवेट सोसाइटी कागज गायब कर देती है। १० साल तक रिपोर्ट नहीं देती हैं। हमसे सवाल किया जाता है कि सरकार सब जगह काम करती है लेकिन इस तरह की गड़बड़ होती है तो उसको रोकना जरूरी है उस पर थोड़ी बहुत निगरानी होनी चाहिये। जैसी हमारी परिस्थिति है उसमें हम को निगरानी

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

रखने की जरूरत है। जब हमारा कैडर अच्छा हो जायगा तो मुझे विश्वास है कि यह गड़बड़ी कम होगी और इस तरह की जो गलती हो रही है वह कम होगी। यह जो कोआपरेशन का काम है वह ३ करोड़ कुछ लाख रुपये का है। इसके अलावा और भी कई करोड़ रुपये का काम है जो दूसरे हेड के अन्दर आता है। यह सब जनता का बिजनेस है और जैसा मैंने कहा कि यह बहुत बड़ी चीज है और जनता के लाभ की चीज है। इसको हमको हमेशा बढ़ाते रहना है। हमारा उत्तर प्रदेश गरीब है और हमारे समाज की स्थिति और खासतौर से उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। परकैपिटा इनकम को अगर हमें बढ़ाना है, खेती की पैदावार को बढ़ाना है और अपनी आमदनी जो बढ़ाना है तो उन बड़ी-बड़ी चीजों के लिये यह सहकारिता ही एक मात्र जरिया है, जिसके द्वारा हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों और भले आदमियों का यदि इसमें सहयोग हुआ तो मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं समस्त भारतवर्ष का भविष्य उज्ज्वल है। यह मुहकमा सही काम करेगा तो यहां पर समाजवादी समाज की स्थापना होगी, उससे आप देखें कि शोषण खत्म होगा। इस लिये आपका सहयोग अपेक्षित है और उससे इस सहकारिता विभाग का नाम उज्ज्वल होगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस अनुदान को पास करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—

विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत ३,१२,५४,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश के विभिन्न जिलों से सुरक्षा कोष के धन में कथित गड़बड़ी की शिकायतों के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सुरक्षा संबंधी बातों जो लेकर इस सदन में अक्सर सवाल हो जाया करते हैं। मान्यवर, मुझे इस बात की तकलीफ है कि ऐसे समय में जबकि इस देश पर एक क्राइसिस है विदेशियों के आक्रमण की संभावना है और आप देखें कि लोग स्वेच्छा से अपने आप दान दे रहे हैं, ताकि उनके देश की रक्षा हो सके। ऐसे समय में जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया, इस विधान सभा में तो स्वभावतः मेरे जैसे आदमी को कष्ट होता ही है। मैंने आधे घंटे का विवाद इसलिये इस पर मांगा कि इस सदन के सदस्यों को और सरकार को इस वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के सवालों की पुनरावृत्ति रुक सके। इससे इस देश का बड़ा भारी कल्याण होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न के उत्तर में ऐसा था कि कुछ शिकायतें आई हैं और वह सही हैं। यह गलत है। मैं उसके मेरिट पर इस समय नहीं जाना चाहता हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर शिकायतें आई हैं तो सरकार ने इस तरह की हरकतों को रोकने के लिये कौन से उपाय किये हैं? आप देखें कि जिला स्तर पर समितियां बनी हुई हैं और इस तरह का भ्रम फैलेगा

तो इससे समूचे भारतवर्ष का इस प्रदेश के माध्यम से अहित होगा और इसके लिये जिम्मेदारी में यह जरूर समझता हूं कि सरकारी पक्ष की ही होगी। यह एक ऐसा मौका था कि जिस पर यह शिकायत गांव स्तर की ब्लाक स्तर पर की कमेंटियों में और बड़े पैमाने पर, इन शिकायतों का निराकरण जिला सुरक्षा समितियों में होना चाहिए था। यदि इस प्रकार की शिकायतों का निराकरण पहले ही हो जाता तो यहां पर विधान सभा में इस प्रकार के विवाद के आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पार्लियामेंट या विधान सभा जहां पर कि सभी देश और प्रदेश के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, वहां पर इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए थीं। इन भावनाओं से मैंने इस सवाल को उठाया था। लेकिन मुझे जहां तक सूचना है और सदन के माननीय सदस्यों को सूचना है कि बाराबंकी के एक कांग्रेसी सदस्य ने भी एक पत्र लिखा है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कुछ अधिकारियों पर कि उन्होंने लोग को रसीदें नहीं दीं। जगह का नाम नहीं लेना चाहता, केवल संकेत मात्र करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के उदाहरण होंगे तो देश का अहित होगा। स्वेच्छा से दान में अगर गड़बड़ी हो तो नैतिक बल गिरने की गुंजायश रहती है, लोगों के हतोत्साहित होने की गुंजायश रहती है और आक्रामक का मनोबल बढ़ने की गुंजायश रहती है, इसलिए जबरदस्ती अगर जोई चन्दा या टैक्स वसूल करेंगे और लेखा-जोखा जहां चाहें करेंगे लेकिन चन्दा देने में ऐसा होगा तो उससे बड़ा अहित प्रदेश और देश को होने वाला है। इसलिए इस तरह की घटनाओं को ब्लाक स्तर और जिला स्तर और राज्य स्तर की कमेंटियों में दूर करिये, इस तरह का प्राविधान ले आइये कि जो दुर्भावनाएं और प्रचार फैल सकते हैं वह प्रदेश में और देश में न फैलें तो बड़ा कल्याण होगा।

एक उदाहरण बनारस जिले का है। प्रश्न ११ के उत्तर में जो चौथे बुधवार के लिए निर्धारित था, उसमें कहा गया था कि सरकार की तरफ से रसीदें नहीं दी गयीं, जिला बोर्ड ने अपनी रसीदें छपवायीं और लोगों को वितरित किया। मुझे इस बात का भी दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जहां तक मुझे याद है इस बात की घोषणा की थी कि सरकारी रसीदें छपाकर जिलों में दे दी गयी हैं और उन पर चन्दा वसूल किया जायगा, लेकिन बनारस जिला जो कि माननीय वित्त मंत्री का जिला है और इस सरकार के जो होनहार सभा सचिव हैं उनका जिला है, वहां इस तरह की गड़बड़ी होती है कि सरकारी रसीद पर नहीं, जिला बोर्ड की रसीद पर चन्दा वसूल किया जाता है। अगर इस तरह के शक की भी गुंजायश रहती है तो हमारे लिए, इस प्रदेश और देश के लिए सब के लिए घातक है। अभी माननीय लखी सिंह बता रहे थे कि मथुरा में कुछ सभापतियों ने पैसा दिया, रसीद नहीं दी गयी, बल्कि ग्राम सेवक ने बाद में रुपया जमा किया, लेकिन कितना दिया, यह पता नहीं। उनके मन में भी इसका संदेह है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये केवल आध घंटे का विवाद है इस पर।

श्री कल्पनाथसिंह—

बस खत्म करता हूं। तो इस भावना से कि आगे इस तरह की बातें सदन म सुरक्षा और दान के विषय में न आवें, यह ज्यादा उचित होगा। यह दान स्वेच्छा से दिया गया है। हमारे राजा साहब मझोली ने बांके लाल जी हैं, बहुत से लोगों का मुझे मालूम है, उन्होंने जो उदाहरण पेश किया है, बाबाजी हैं जिन्होंने सारी तनख्वाह दे दी, इसको मैं जबरदस्ती मानूंगा? लेकिन जहां यह वातावरण हम सदन के सदस्यों ने पैदा किया वहां अगर इस तरह का भ्रम फैल गया तो इस प्रदेश और देश के हित में नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

मान्यवर, मैं माननीय कल्पनाथ जी का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ बातें कहीं कि आज की संकट-कालीन स्थिति में यह सब का कर्त्तव्य है कि हमारे प्रदेश और देश का मनोबल ऊंचा हो और

[श्री नवलकिशोर]

चन्दा जो दे जितना दे सकें, वह स्वेच्छा से दें। उन्होंने माना कि अगर इस सम्बन्ध में भ्रम फैलता है तो वह हमारे प्रदेश और देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी किस्म का कोअर्सिव मैथड इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। मान्यवर, सरकार ने कई बार यह कहा है कि सरकार की तरफ से एक बार नहीं, कई बार ऐसे आदेश जारी किये जाते रहे हैं कि चन्दा स्वेच्छा से वसूल किया जाय क्योंकि हम चन्दे के साथ साथ जनता की सद्भावना भी चाहते हैं। श्रीमन्, २० नवम्बर के बाद लगातार कई सर्क्यूलर ईश्यू किये गये हैं बराबर याद दिलाने के लिए इस बात पर कि कोई कोअर्सिव मैथड इसमें इस्तेमाल न किया जाय। दो बातें उसमें हैं—एक तो धन स्वेच्छा से लिया जाय, साथ ही साथ एक एक पैसे की रसीद दी जाय यह आदेश हैं। जो शिकायतें आई, उसकी जांच भी की गयी। अब अगर वह निराधार पायी जाय, तो क्या ऐक्शन लिया जाय? श्रीमन्, जिस उच्च आदर्श को रख कर उन्होंने अपनी बात कही, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस कार्य में हमारे हर भाई को सहयोग देना चाहिये। हर एक जिले के अन्दर जिलाधीशों की चेयरमैनशिप में कमेटियां बना दी गयी हैं जिनमें ३०–४० आदमी तक हैं। जिलाधीश से हमने खतोकिताबत की, उनके पास भी कोई शिकायत नहीं आयी। एक आध पहुंची थी, तो उसकी जांच की गयी। फिर जो कमेटियां बनी हुई हैं, अगर कोई बात हो, और उसका वहीं पर निराकरण हो जाय, तो यह अच्छी बात है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—
मीटिंग नहीं होती।

श्री नवलकिशोर—
ऐसा हर कमेटी का कायदा है कि जब मेम्बर चाहें कि मीटिंग बुलाई जाय तब बुलाई जा सकती है (श्री उग्रसेन द्वारा कुछ कहने पर) मैं एक ही बात जानता हूं कि माननीय उग्रसेन जी की और उनकी पार्टी की जो भावना है, उसके लिए मेरा यह निश्चित मत है कि वह और उनकी पार्टी इस बात की चेष्टा कर रही है कि प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में धन एकत्र न किया जा सके।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय उप मंत्री जी ने सीधे-सीधे सोशलिस्ट पार्टी पर चार्ज लगाया है कि उनकी पार्टी सारे देश में सुरक्षा कोष में गड़बड़ी करके विदेशियों में भ्रम फैलाना चाहती है। यह सोशलिस्ट पार्टी की देशभक्ति पर प्रहार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकारी पार्टी के किस माननीय सदस्य से कम सहयोग सुरक्षा कोष में सोशलिस्ट पार्टी के किस सदस्य ने दिया है? जरा इसे स्पष्ट करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—
व्यवस्था के नाम पर यह बात नहीं कही जा सकती है।

श्री कल्पनार्थसिंह—
मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय नवलकिशोर जी ने और माननीय राधेश्याम जी ने जो असंगत बातें कही हैं वे कार्यवाही से हटा दी जावें।

श्री नवलकिशोर—
जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, उनकी जांच होती है। हमारे सभी साथी जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के दौरे में भिन्न-भिन्न स्थानों पर हजारों और लाखों आदमियों को सम्बोधित किया और कहा कि हम चन्दा वालंटरी चाहते हैं। इस बात को भी कहा कि चन्दा देने वाले इस बात का भी ध्यान रखें कि बिना किसी किस्म की रसीद के चन्दा न दें।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने २ जिलों के नाम लिये, मथुरा और बाराबंकी। बाराबंकी में मुझे भी ३ तारीख को जाने का अवसर मिला और ६ मीटिंग्स मैंने अड्रेस की। मेरे पास

कोई शिकायत इस प्रकार की नहीं आई मथुरा के लिये। माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज ही एक सवाल के उत्तर में जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं विद्युत् बिभाग के, उन्होंने कहा कि मथुरा से जवाब आगया है कि वहां इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

श्री उग्रसेन---

एक जज की अध्यक्षता में कमेटी बैठा दें जो इस बात की जांच करे। मैं जज की अध्यक्षता में कमेटी की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

उग्रसेन जी, या तो आप बैठ जाइये वरना सदन छोड़ दीजिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

जज की कमेटी द्वारा जांच की हमारी मांग है, जो इन बातों की जांच करे।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जावें वरना मुझे इंगित करना पड़ेगा।

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। जिन जगहों से शिकायतें आई थीं उनकी जांच की गयी। ११ जिले ऐसे हैं जहां से जवाब आ गये हैं, जो जवाब आये हैं उनसे साफ हो जाता है कि जो शिकायतें की गयी हैं वह सभी निराधार थीं, उसके पीछे गुटबंदी और पार्टीबाजी के सिवा और कुछ नहीं था।

श्री उग्रसेन---

पार्टीबाजी, गुटबन्दी यह सरकार करती है। इसने प्रदेश में जोर, जबरदस्ती और जुल्म से चन्दा वसूल किया है। अगर न हो तो एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठावें।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, आप बैठ जाइये। अगर आप काम नहीं चलने देंगे तो मैं इंगित करूंगा, बहुत साफ बात है। (श्री उग्रसेन के बोलते रहने पर) आप नहीं बैठते हैं तो मैं इंगित कर दूंगा

(श्री उग्रसेन ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

(श्री चन्द्रबलीसिंह के खड़े होने पर)

चन्द्रबली सिंह जी, बैठ जाइये। (श्री चन्द्रबली सिंह के न बैठने पर) श्री चन्द्रवली सिंह, तो आप सदन छोड़ दीजिये या बैठ जाइये। (श्री चन्द्र बली सिंह ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

(श्री राधेश्याम शर्मा के खड़े होने पर) तो आप सदन को चलने नहीं देंगे? आप बैठ जाइये।

श्री राधेश्याम शर्मा---

इस तरह से तो आप लोगों को कहने नहीं देना चाहते। मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं आप बैठ जायं। माननीय मुख्य मंत्री अपनी बात पूरी करें।

श्री नवलकिशोर---

मुझको जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

अभी गृह उप मंत्री जी ने यह बताया कि किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। मैं मंत्री जी से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से, कमिश्नरों की ओर से प्रत्येक जिले के लिये निश्चित नहीं कर दिया गया है और कलेक्टरों की ओर से ब्लाक और विलेज लेविल पर ग्राम सेवक तक के लिये एक निश्चित धनराशि वसूल करने की बात नहीं कह दी गयी हैं ? क्या इसी कारण दबाव नित्य प्रति हो रहे हैं ? क्या सरकार की ओर से आदेश ऐसे नहीं हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

मुझे दुख है कि आज ऐसे विषय के सिलसिले में इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं, जो विषय इस हमारे प्रदेश की जनता के लिये गौरव का विषय रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, भाषण होगा या जवाब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपसे अर्ज करूं।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, जवाब दिलायें। औरों को भी सवाल करना है।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा यह हो जाय कि पहले लोग दो चार सवाल कर लें तो फिर सब का जवाब हो जायगा।

श्री उग्रसेन--

किस नियम के अनुसार यह किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियमों में यह है कि सवाल करने के बाद फिर प्रस्तावक को मौका होगा कि वह कुछ कहना चाहें कह लें और फिर मंत्री जी जवाब दे दें।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया स्पष्ट करेंगे कि एक तरफ तो वह कहते हैं कि सारे प्रदेश में कोई जोर, जबरदस्ती और जुल्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधान मंत्री ने परसों ही भाषण दिया था, मुख्य मंत्री जी उसको पढ़ लें जिसमें प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि सभी अधिकारियों ने जोर जुल्म किया है और अगर उन्होंने जोर, जबरदस्ती और जुल्म से वसूल किया है तो ऐसे रुपये को समुद्र में फेंक देना चाहिये और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। तो हमारी बात का प्रमाण तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दे दिया है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जोर जबरदस्ती और जुल्म हुआ है। कृपया उसके लिये वे एक जांच कमेटी बैठावें और सारे प्रदेश की जांच करवावें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करावें। यदि उनको जनतंत्र को फलते फूलते रखना है। यह भी क्या वह करेंगे कि जो रुपया जोर जबरदस्ती और जुल्म से लिया गया है उसका उपयोग इस काम में न हो क्योंकि वह रुपया सुरक्षा के काम में बाधा डालेगा ? मैं इन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(श्री झारखंडेराय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, जवाब पहले दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, जवाब अभी नहीं होगा। अन्त में वह सब का जवाब देंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--
उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उग्रसेन--
व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--
क्या व्यवस्था का प्रश्न है, कहिये ?

श्री उग्रसेन--
श्रीमन्, हमेशा इस सदन की परम्परा रही है कि प्रस्तावक अन्त में जवाब देते हैं या इस विषय में अन्त में मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे । प्रश्न होते जाते हैं और उसके बाद मंत्री जी जवाब देते हैं । जो व्यवस्था अब तक रही है सदन की क्या वही व्यवस्था अब भी है या कोई दूसरी व्यवस्था अब लागू होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--
मैं नियम को पढ़कर सुनाये देता हूं । वह इस प्रकार है--
"सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे । जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेगा । सम्बद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे । तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन के प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे । विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी ।"

बाद में जो अपना भाषण देंगे उनमें आपके सवालों का जवाब देंगे । इसलिये अब और ज्यादा टाइम बरबाद न कीजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--
क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर देते समय सब प्रश्नों को याद रख सकेंगे ? आप जरा ठीक तरह से नियमों को पढ़ तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष--
मंत्री जी अगर जवाब देना चाहेंगे तो दे सकेंगे ।

श्री झारखंडेराय--
माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में इस बात का विश्वास दिलाया कि सरकार की ओर से कोई ऐसे आदेश नहीं गये हैं कि सुरक्षा--कोष के चंदे की वसूली में किसी प्रकार की जबरदस्ती की जाय लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्पेसिफिक शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी के पास, जनरल तौर पर या खास तौर पर, जैसी कि मैंने स्वयं भी भेजी थी आई हो तो उसके सम्बन्ध में उन्होंने कौन प्रक्रिया निर्धारित की है, जांच करायी है अथवा आगे क्या किया जाय कि ऐसी बात न हो ।

श्री उपाध्यक्ष--
अब ज्यादा समय नहीं है । ५-२५ पर शुरू हुआ है और इसके लिये आधे घंटे का समय है । श्री कल्पनार्थासिंह जो कुछ और कहना चाहते हैं कहें ।

श्री कल्पनार्थासिंह--
श्रीमन्, मेरी जो टिप्पणी है उसकी मद ५,६,७ और ८ के बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । क्या वे कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे इस प्रकार की शिकायतों का निराकरण हो सके ? अगर ऐसी व्यवस्था है तो वह क्या है ?

[श्री कल्पनाथसिंह]

ऐसे लोग जिनके खिलाफ अगर कोई ऐसी शिकायत हुई है, इस सदन के सदस्यों द्वारा पब्लिक की ओर से, या ब्लाक प्रमुख की ओर से अथवा किसी गैर सरकारी संस्था की ओर से कोई शिकायत हुई है तो ऐसे लोगों की दरख्वास्तों पर उसी तरह से विचार होगा जैसे कि साधारण जनता की शिकायतों पर होता है या कोई खास बात निहित रहेगी ? क्या माननीय सदस्यों की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जायगा ? यह दो तीन बातें मैं जानना चाहता हूं ताकि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री को अब सुनना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राधेश्याम जी आप बैठ जायं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उपाध्यक्ष महोदय, जितने प्रश्न यहां उठाये जाते हैं चन्दे के विषय में, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चन्दा प्रदेश में बिलकुल वालंटरी इकट्ठा किया गया है और प्रदेश की आम जनता, किसान मजदूर सभी ने चन्दा देने में मदद की है और उनका यह कार्य सराहनीय रहा है । वे लोग जिन्होंने चन्दा सम्बन्धी कोई काम नहीं किया है, महज पार्टीबन्दी के मोहरे का परिचय देते हैं और वे ही सबसे ज्यादा इस चन्दे के विषय में इस तरह की बात उठाते हैं। यदि किसी अधिकारी ने कोई गलती की है तो जिले जिले में हमने कमेटियां बना रखी हैं। उस कमेटी के सामने अभी तक किसी व्यक्ति ने कोई इस तरह का सवाल नहीं उठाया है, लेकिन यहां सदन में आकर महज राजनीतिक आलोचना करने के लिये और दुनिया को यह दिखाने के लिये कि यहां की जनता को लूटाखसोटा गया है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मनोवृत्ति का यह परिचय है जिससे प्रदेश के लोगों का मनोबल गिर सकता है । एक तरह से यह किसानों के साथ ज्यादती है कि जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई देश के इस गाढ़े अवसर पर दी है और वे आज भी देने की उत्सुकता रखते हैं। मुझे पता है कि मेरे साथी मंत्रिगण गये हैं और मैं भी स्वयं प्रदेश के बहुत से भागों में गया हूं और कल ही हरदोई से आया हूं और जैसा कि अभी हमारे उपमंत्री जी ने बताया कि हजारों की संख्या में मैंने लोगों को सम्बोधित किया है लेकिन कहीं भी मेरे सामने कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने यह कहा हो कि मेरे साथ यह ज्यादती हुई है, वह ज्यादती हुई है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जो लोग केवल मौखिक बातें करते हैं, जो लोग कोई भी देश के कार्य में सहायता नहीं देते हैं वे ही यहां भी और बाहर भी सब जगह अड़चनें डालते हैं। उन्हें तो इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति सरकार ने अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जो कि डिफेंस के प्रति अड़चन डालने वालों के खिलाफ करना चाहिये । इस तरह की गलत मिथ्या बातों का प्रचार कर वह दुनिया को यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि जनता को लूटा-खसोटा गया है । इस तरह से वह अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं । क्या इसी से देश का भला वह करेंगे ? हर व्यक्ति जो देश की सेवा करना चाहता है वह खुशी से रुपया देता है और उसने दिया है । जबरिया किसी से भी रुपया नहीं लिया जाता है, यदि कहीं किसी छोटे अधिकारी ने कोई ऐसी गलती की हो और यदि वह चीज सरकार के सामने लाई जाय तो वह उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के लिये तैयार है लेकिन इस प्रकार से मिथ्या तरीके से रच-रच कर बातें कहना यह जनता के मनोबल को कमजोर करने की चेष्टा है और एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसे न तो सरकार बरदाश्त कर सकती है और न मैं स्वयं इसे पसन्द करता हूं ।

(तालियां) जो लोग जनता के मनोबल को गिराने की कोशिश करते हैं वे एक तरह से देश के दुश्मन हैं। राजनीतिक लड़ाई और मंच की लड़ाई दूसरी चीज है लेकिन देश के प्रश्न, आजादी के प्रश्न पर ऐसे प्रश्नों को मिथ्या रूप में उठाना जब कि उनको सहयोग देना चाहिये, एक तरह से यह देश के साथ विश्वासघात करना है। जब हमारे जिले जिले में कमेटियां बनी हुई हैं और यदि वह उस कमेटी के सामने अपनी शिकायतों को रखें और वहां भी उनका निराकरण न हो सके तब मेरे पास लायें तब मैं अवश्य ही उनका निराकरण करने की चेष्टा करूंगा लेकिन मैं कहता हूं कि सामान्यतः और अधिकांशतः जनता ने अपनी खुशी से रुपया दिया है और अगर ऐसी कोई बात कहीं हुई होती तो वह हमारे सामने प्रस्तुत की गई होती। लाखों की संख्या में हमारी मीटिंग को लोग अटेंड करने नहीं आते अगर इस तरह की बातें हुई होतीं, तो मेरी बात सुनने के लिये वहां कोई नहीं आता। लेकिन आज जो यहां शिकायत करते हैं और चिल्लाहट मचाते हैं वे अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये ही इस तरह से जो लोग आलोचनायें रच-रच कर मिथ्या आरोप लगाते हैं वे हमारे इस देश के प्रति पुनीत कार्यों में बाधा डालने की चेष्टा करते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के १०–१/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
७ मार्च, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५ पर)

सूचना विभाग के फिल्म एवं फोटो शाखा में उपलब्ध कर्मचारियों की सूची

फिल्म शाखा

१—फिल्म एवं फोटो अधिकारी	१	
२—फिल्म सूचना अधिकारी	१	
३—न्यूज़ रील कैमरा मैन	१	(स्थान रिक्त है।)
४—कैमरा असिस्टेंट	१	
५—डार्क रूम असिस्टेन्ट	१	(स्थान रिक्त है।)
६—फिल्म लाइब्रेरियन	१	
७—फिल्म लाइब्रेरियन एवं स्टोर कीपर	१	

फोटो शाखा

१—सहायक फोटो ग्राफर	२	
२—लेबोरेटरी असिस्टेंट	२	
३—लेबोरेटरी ब्वाय	१	

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

नगरों की सूची

१—देहरादून
२—सहारनपुर
३—हरिद्वार
४—रुड़की
५—मुजफ्फरनगर
६—मेरठ
७—गाजियाबाद
८—हापुड़
९—अलीगढ़
१०—हाथरस
११—मथुरा
१२—आगरा
१३—फिरोजाबाद
१४—फर्रुखाबाद
१५—इटावा
१६—कानपुर
१७—इलाहाबाद
१८—बरेली
१९—बदायूं
२०—मुरादाबाद
२१—सम्भल
२२—अमरोहा
२३—रामपुर
२४—शाहजहांपुर
२५—पीलीभीत
२६—झांसी
२७—वाराणसी
२८—मिर्जापुर
२९—जौनपुर
३०—गोरखपुर
३१—नैनीताल
३२—लखनऊ
३३—सीतापुर
३४—फैजाबाद
३५—बहराइच

संसद भवन

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

३१ दिसम्बर, १९६२ के बिजली के खर्चे के भेजे हुये बिलों में से १५ फरवरी, १९६२ तक कानपुर के सूती मिलों तथा जूट मिलों पर अवशेष धन का विवरण

क्रम-संख्या	सूती मिलों व जूट मिल का नाम	१५-२-६३ तक कुल अवशेष धन
१	२	३
		रु० न० पै०
१	सर्वश्री लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि०	२,६८,२७६.४६
२	सर्वश्री अथर्टन वेस्ट एन्ड कं० लि०	१,१९,०९१.०७
३	सर्वश्री म्योर मिल्स कं० लि०	१,०३,८४३.३७
४	सर्वश्री विक्टोरिया मिल्स कं० लि०	१,०१,२२९.५५
५	सर्वश्री स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०	१२,५२१.४५
६	सर्वश्री जुग्गी लाल कमलापति	२,१७,८०९.४५
७	दि कानपुर टैक्सटाइल्स लि०	१,९४०.००
८	दि इलगिन मिल्स कं० लि० नं० २	२,५८०.६७
९	दि इलगिन मिल्स कं० लि० नं० १	४,११७.६०
१०	सर्वश्री जे०के० रायन फैक्ट्री	१,१९,६४५.३९
११	सर्वश्री माहेश्वरीदेवी जूट मिल्स लि०	१७,५००.६०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

तालिका

जिला फर्रुखाबाद नाम थाना		कत्ल		डकैती	
		१९६०–६१	१९६१–६२	१९६०–६१	१९६१–६२
१		२	३	४	५
को० फर्रुखाबाद	..	५	३	१	१
को० फतेहगढ़	..	२	३	..	२
कन्नौज	..	२	४	३	७
ठठिया	..	४	२	१	३
इन्दरगढ़	..	५	३	१	२
गुरसहायगंज	..	४	४	४	७
सौरिख	..	..	२	१	९
छिबरामऊ	..	१	७	..	८
कमालगंज	..	५	३	१	३
मोहम्मदाबाद	..	४	३	१	५
राजेपुर	..	४	२	१	३
कम्पिल	..	२	६	१	९
कायमगंज	..	९	९	१	५
नवाबगंज	..	३	७	३	७
शमशाबाद	..	५	२	३	४
योग	..	५५	६०	२१	७५

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५०–५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर)

समाचार समितियों को वित्तीय वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में दिये गये आर्थिक अनुदान का विवरण

समाचार समिति का नाम	धनराशि	उद्देश्य
१	२	३
	वर्ष १९६०–६१	
१—नेशनल प्रेस आफ इंडिया, लखनऊ ।	(क) २००० रु० का वार्षिक अनुदान ।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिये दिया गया ।
	(ख) १००० रु० का मासिक अनुदान	यह धन विभाग की ओर से हिन्दी समाचार-पत्रों को तार द्वारा संवाद भेजने के लिये दिया गया ।
२—हिन्दुस्तान समाचार समिति, दिल्ली ।	(क) २००० रु० का वार्षिक अनुदान ।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिये दिया गया ।
	(ख) ६००० रु० का अतिरिक्त अनुदान ।	यह धन हिन्दी टेलीप्रिन्टर न्यूज सर्विस तथा विकास कार्यों के विशेष प्रचार के लिये दिया गया ।
३—इन्डिपेन्डेन्ट न्यूज सर्विस, लखनऊ ।	१२०० रु० का वार्षिक अनुदान ।	यह धन उर्दू न्यूज सर्विस के लिये दिया गया ।
	वर्ष १९६१–६२	
१—नेशनल प्रेस आफ इंडिया, लखनऊ ।	२००० रु० का वार्षिक अनुदान	यह धन हिन्दू न्यूज सर्विस के लिये दिया गया ।
२—हिन्दुस्तान समाचार समिति, दिल्ली ।	(क) २००० रु० का वार्षिक अनुदान ।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिये दिया गया ।
	(ख) २००० रु० का अतिरिक्त वार्षिक अनुदान ।	यह धन वर्ष १९६०–६१ में हिन्दी टेलीप्रिन्टर सर्विस तथा विशेष प्रचार के लिये दिया गया ।
	(ग) ६००० रु० का अतिरिक्त वार्षिक अनुदान ।	यह धन हिन्दी टेलीप्रिन्टर न्यूज सर्विस तथा विशेष प्रचार के लिये दिया गया।
३—इन्डिपेन्डेन्ट न्यूज सर्विस, लखनऊ ।	(क) १२०० रु० का वार्षिक अनुदान ।	यह धन उर्दू न्यूज सर्विस के लिये दिया गया ।

१	२	३
	(ख) २०० रु० का अतिरिक्त वार्षिक अनुदान ।	यह धन समिति को अतिरिक्त सहायता के रूप में दिया गया ।
	वर्ष १९६२–६३	
१––नेशनल प्रेस आफ इंडिया, लखनऊ ।	(क) २००० रु० का वार्षिक अनुदान ।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिये दिया गया ।
	(ख) ८०० रु० का मासिक अनुदान-जनवरी तथा फरवरी, १९६३ के लिये।	यह धन विभाग की ओर से हिन्दी पत्रों को तार द्वारा संवाद भेजने के लिये दिया गया ।
२––इन्डिपेन्डेन्ट न्यूज सर्विस, लखनऊ ।	१२०० रु० का वार्षिक अनुदान ।	यह धन उर्दू न्यूज सर्विस के लिये स्वीकृत हुआ है ।
	टिप्पणी––६०० रु० की प्रथम किश्त का भुगतान हो चुका है । शेष ६०० रु० का भुगतान होना है ।	
३––इन्फारमेशन एन्ड प्रेस एजेन्सी, वाराणसी ।	७५ रु० का मासिक अनुदान जनवरी तथा फरवरी, १९६३ के लिये ।	यह धन उर्दू न्यूज सर्विस के लिये स्वीकृत हुआ है ।
	टिप्पणी––उक्त धन का भुगतान अभी होना बाकी है ।	

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

जल विद्युत् योजना	कस्बे अथवा गांव जहां बिजली उपलब्ध होगी
१	२
१—चमोली	(क) चमोली
	(ख) नन्द प्रयाग
	(ग) गोपेश्वर
	(च) कर्णप्रयाग
२—उत्तरकाशी	(क) उत्तरकाशी
३—रुद्रप्रयाग	(क) रुद्रप्रयाग
४—चम्पावत	(क) चम्पावत
	(ख) लोहाघाट
	(ग) मायामतो

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर)

परिशिष्ट 'ग'

अतारांकित प्रश्न संख्या १६ में उल्लिखित सूची

क्रम-संख्या	व्यक्तियों का नाम	वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में मांगी गई ऋण की धनराशि	वितरित की गई धनराशि
१	२	३	४
		रु०	रु०
१	सर्वश्री मुहम्मद अतीक फारुकी	५,०००	५,०००
२	,, अलीरजा खां	१०,०००	८,०००
३	,, डोमा राम	१०,०००	..
४	,, सम्पत कुमार राय	८,०००	..
५	,, विष्णु देव मिश्रा व श्री कपिल देव मिश्रा ..	१०,०००	..
६	,, राम अधार सिंह	१०,०००	..
७	,, विश्राम सिंह	१०,०००	..
८	,, जनार्दन	१०,०००	..
९	,, कृष्ण लाल	१०,०००	..
१०	,, शिव दास राम	१०,०००	..
११	,, बरकत अली	१०,०००	..
१२	,, अमीर चन्द सिंह	२५,०००	..
१३	,, एहसान अहमद	८,०००	..

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०-३४२ एल० ए०--(प्रो०) १९६३--८५० ।